भारत 2023 INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वर्ष-41 अंक 148 जनवरी-जून, 2023

पुलिस विज्ञान

आई एस एस एन 2230-7044 पुलिस विज्ञान

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

पुलिस विज्ञान

अंक-148 (जनवरी - जून, 2023)

सलाहकार समिति

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक

अनुपमा निलेकर चंद्रा
अपर महानिदेशक

रूचिका ऋषि
निदेशक (एस.पी.डी.)

शशि कान्त उपाध्याय
उप निदेशक (एस.पी.डी.)

संपादक : सतीश चन्द्र डबराल

संपादन सहयोग
मनोज कुमार साव, वरिष्ठ अनुवादक
पिसाल विक्रम आनंदराव, हिंदी अनुवादक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
राष्ट्रीय राजमार्ग - 48, महिपालपुर, नई दिल्ली – 110 037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, की सहमति आवश्यक नहीं।

बालाजी श्रीवास्तव, भा.पु.से.
महानिदेशक

Balaji Srivastava, IPS
Director General

Tel. : 91-11-26781312 (O)
Fax : 91-11-26781315
Email : dg@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

Bureau of Police Research & Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-48, Mahipalpur,
New Delhi-110037

संदेश

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो पुलिसिंग एवं आंतरिक सुरक्षा आदि विषयों पर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस संगठन, कारागार एवं सुधारात्मक प्रशासन को प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण एवं अनुसंधान के माध्यम से उच्च गुणवत्ता प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। पुलिसिंग से संबंधित उत्कृष्ट प्रकाशनों के माध्यम से नवीनतम जानकारी को जमीनी स्तर तक पहुँचाने का कार्य भी ब्यूरो प्रमुखता से कर रहा है। इसी श्रृंखला में, ब्यूरो की छमाही हिंदी पत्रिका 'पुलिस विज्ञान' एक प्रमुख प्रकाशन है जिसमें पुलिस, पुलिस प्रशासन, जेल प्रबंधन, न्यायालयिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा, आपराधिक जाँच आदि विषयों पर उत्कृष्ट लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

यह पत्रिका हिंदी भाषी राज्यों के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य बहुत लोकप्रिय है जिसकी पाठकों को प्रतीक्षा रहती है। पुलिस कार्मिक पत्रिका के माध्यम से अपने व्यावसायिक कौशल को बढ़ाते हैं जिससे उन्हें अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने में सुविधा प्राप्त होती है। पत्रिका का प्रेषण केंद्रीय पुलिस संगठनों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, गृह मंत्रालय और हिंदी भाषी राज्यों में थाना स्तर तक किया जाता है। पत्रिका के इस अंक में आंतरिक सुरक्षा, आत्महत्या एक वैश्विक चुनौती, बच्चों के विरूद्ध बढ़ते साइबर अपराध, अपराध व रोकथाम के प्रयास, जेल प्रशासन सुधार एवं इनसे संबंधित अच्छे आचरण जैसे विषय बहुत ही प्रासंगिक हैं जो इस अंक को निश्चित रूप से पुलिस कार्मिकों के लिए उपयोगी बनाएंगे।

मैं इस अवसर पर 'पुलिस विज्ञान' पत्रिका के निरंतर प्रकाशन हेतु ब्यूरो के हिंदी अनुभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों की सराहना करता हूँ।

(बालाजी श्रीवास्तव)
महानिदेशक

"उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन"

लेखकों से निवेदन

पाठकों से अनुरोध है कि पुलिस विज्ञान पत्रिका में प्रकाशन के लिए पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर भेजें और लेख लिखने में सक्षम अपने सहयोगियों को भी लेख लिखकर भेजने के लिए प्रेरित करें। लेख टाइप किया गया हो और कम से कम दस पेज का हो। यदि लेख से संबंधित कोई फोटो हो तो वह भी साथ भेजें। अच्छे लेखों को पुलिस विज्ञान पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा। लेख ई-मेल satishdabral@bprd.nic.in पर भी भेजे जा सकते हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लिए रूपये 3000/- प्रति लेख पारिश्रमिक दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि आपने पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों के हिन्दी के अलावा अन्य भाषा के किसी अच्छे लेख को हिन्दी में अनूदित किया है या करना चाहते हैं, जिसका कॉपीराइट आपके पास हो अथवा जिसके कॉपीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख भी प्रकाशन के लिए आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों के लिए समुचित मानदेय दिया जाता है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित है और इसका कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है तथा इसके लिए कहीं से कोई मानदेय नहीं लिया गया है। इस संबंध में, अधिक जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

संपादक
पुलिस विज्ञान
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली – 110 037

संपादकीय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो देश की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गत 52 वर्षों से कार्यरत है। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्यूरो प्रशिक्षणों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों व प्रकाशनों के माध्यम से पुलिस कर्मियों को सक्षम बनाने का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अपनी छमाही हिंदी पत्रिका पुलिस विज्ञान का प्रकाशन किया जाता है। ब्यूरो सतत् प्रयास करता है कि पुलिस विज्ञान पत्रिका में केवल ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जाए जिनमें पुलिसिंग संबंधी प्रामाणिक व उपयोगी जानकारी हो, जो भारतीय पुलिस कार्यप्रणाली को प्रभावी व सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे सकें।

'पुलिस विज्ञान' पत्रिका का अंक 148 पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। पत्रिका के इस अंक में ऐसे लेखों का चयन किया गया है जो वर्तमान समय में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन लेखों में आतंरिक सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा में पुलिस का उत्तरदायित्व एवं अनूठी पहल, आत्महत्या- एक वैश्विक चुनौती, पुलिस बलों में इमोशनल इंटेलिजेंस- आवश्यकता क्यों, बच्चों के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराध, अपराध व रोकथाम के प्रयास, जेल प्रशासन सुधार एवं इनसे संबधित अच्छे आचरण, सायबर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग जैसे विषय बहुत ही प्रासंगिक हैं जो इस अंक को निश्चित रूप से उपयोगी बनाएंगे।

हमें विश्वास है कि इस अंक से पुलिस कर्मियों को देश की आंतरिक सुरक्षा संबंधित जानकारी, पुलिस बलों में इमोशनल इंटेलिजेंस- आवश्यकता क्यों हैं इसे जानने एवं बच्चों के विरूद्ध बढ़ते साइबर अपराधों के कारणों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जेल प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे सुधारों से संबंधित अच्छे आचरणों एवं साइबर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड सिस्टम की जानकारी से पुलिस कर्मियों को अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने में मदद मिलेगी ।

पुलिस विज्ञान के आगामी अंकों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी ।

सतीश चन्द्र डबराल
संपादक

विषय सूची

लेख	लेखक	पृष्ठ सं.
आतंरिक सुरक्षा	श्री उदय कुमार	1
वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा में पुलिस का उत्तरदायित्व एवं अनूठी पहल	श्री मुकेश कुमार डूडी	14
आत्महत्या : एक वैश्विक चुनौती (पुलिस प्रशासन व आत्महत्या की समस्या का अवलोकन)	डॉ. नाज़िया खान	23
पुलिस बलों में इमोशनल इंटेलिजेंस:- आवश्यकता क्यों ?	श्री हरीश चंद्र सिंह नेगी डॉ. अनामिका पांडे श्रीमती शीतल नेगी	35
बच्चों के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराध : बड़ों का मार्गदर्शन एवं सावधानी है समाधान	श्री संजय चौधरी	45
अपराध व रोकथाम के प्रयास	श्री अभिषेक पिप्पल	54
जेल प्रशासन सुधार एवं इनसे संबधित अच्छे आचरण	श्री राधाकृष्ण	62
साइबर क्राइम नियंत्रण में क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम की भूमिका	श्री सोहन लाल साहू	68

समीक्षा समिति के सदस्य

श्री राजेंद्र कुमार, आईपीएस, श्री राजेश प्रताप सिंह, आईपीएस, डॉ. सत्येंद्र नारायण पांडे, डॉ. शरद, डॉ. अशोक कुमार वर्मा, आईपीएस, श्री नसीरुद्दीन एस. एल., डॉ. अरविंद तिवारी, श्री कमल कांत शर्मा, डॉ. उपनीत लाली, श्री सुनील कुमार गुप्ता

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : स्मैट फॉर्मस, 3588, जी.टी.रोड़, दिल्ली–110007

आतंरिक सुरक्षा

श्री उदय कुमार
द्वितीय कमान अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल

परिचय

आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से है। आंतरिक सुरक्षा एक बहुत पुरानी शब्दावली है लेकिन समय के साथ ही इसके मायने बदलते रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जहाँ आंतरिक सुरक्षा के केंद्र में धरना-प्रदर्शन, रैलियाँ, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई भी छद्म कार्य था तो वहीं स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं तकनीकी की विकसित होती प्रणालियों ने आंतरिक सुरक्षा को अधिक संवेदनशील और जटिल बना दिया है। पारंपरिक युद्ध की बजाय अब छदम युद्ध के रूप में आंतरिक सुरक्षा हमारे लिये बड़ी चुनौती बन गई है। अब हमारी आतंरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक देश के अंदरूनी घटक ही नहीं बल्कि सीमा पार के भी अवयव मुख्तया रूप से इससे जुड़े होते हैं।

वर्तमान में भारत वाह्य व आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर विभिन्न चुनौतियों को झेल रहा है और साथ ही साथ देश विरोधी ताकतों को मुँहतोड़ जवाब भी दे रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा भारत में सीमापार से आतंकियों को भेजने हेतु प्रयास और अभी हाल में पंजाब में कुछ लोगों के द्वारा समाज की शांति को भंग करने का प्रयास है। आंतरिक सुरक्षा की अवधारणा एक आधुनिक रचना प्रतीत हो सकती है लेकिन, सामान्य ज्ञान के विपरीत, यह राज्यों के निर्माण जितना ही पुराना है। भारत में शासनकला के सबसे पुराने ग्रंथ – कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र – में आंतरिक और साथ ही बाहरी खतरों से राज्य की सुरक्षा के प्रबंधन के संदर्भ थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में खतरों को चार श्रेणियों में बांटा है: आंतरिक, बाहरी, आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी और बाहरी सहायता प्राप्त आंतरिक।

आधुनिक समय में, किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ बाहरी सुरक्षा के लिए खतरों का स्वरुप और संख्या पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। एक देश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय शासन कला और परिदृश्य में अपनी संप्रभुता बनाए रखे और साथ ही नागरिकों की स्वतंत्र इच्छा और शांतिपूर्ण शासन सुनिश्चित करे। देखा जाए तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अनेक चुनौतियाँ हैं। देश में खतरों की सीमा और दायरा जटिल, विविध और विशाल हैं। दुनिया का कोई भी देश एक ही समय में इतनी तीव्रता के साथ इतने अधिक खतरों का सामना नहीं करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 50 प्रतिशत से अधिक भारत को इन खतरों में से एक या दूसरे से प्रभावित बताया जाता है जो सिर्फ 'कानून और व्यवस्था' की समस्या नहीं हैं। इन खतरों के बाहरी आयाम हैं जो परंपरागत ज्ञान को गलत साबित करते हैं कि आंतरिक सुरक्षा रूपी खतरे मुख्य रूप से आंतरिक स्रोतों के कारण होते हैं और यह बाह्य कारक से प्रवाभित नहीं होते हैं। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा

खतरों के पहलू आपस में इतने गुंथे हुए हैं कि दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल है।

इस तरह से अगर देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा अपनी सीमाओं के भीतर किसी देश की सुरक्षा से संबंधित है। इसका तात्पर्य शांति और कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा देश की संप्रभुता को अपने क्षेत्र के भीतर अक्षुण्ण बनाए रखना है। आंतरिक सुरक्षा बाहरी सुरक्षा से इस हद तक अलग है कि बाहरी सुरक्षा किसी विदेशी देश द्वारा आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा है। बाहरी सुरक्षा पूरी तरह से देश के सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी है, जबकि आंतरिक सुरक्षा पूर्णरूपेन पुलिस के दायरे में आती है और जिसकी विवेचना राज्य-सूची के अंतर्गत 'कानून-पुलिस' विषय के रूप में की जाती है। इसलिए आतंरिक सुरक्षा की परिभाषा राज्य की अपने लोगों की भलाई की रक्षा के कार्य को करने की क्षमता से संबंधित है। हमारी आतंरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की नये घटनाक्रम पर भी निर्भर करता है। हाल के वर्षों में, आईएसआईएस, बोको हराम आदि जैसे नए आतंकवादी संगठनों के उदय के साथ, आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धी उद्योग बन गया है। माफिया संगठनों की तरह, जहां वन-अपमैनशिप अक्सर इस पर आधारित होती है कि किसके पास सबसे अधिक बंदूकें, पैसा या स्थानीय शक्ति है, आतंकवादी समूहों के पास भी एक पेकिंग ऑर्डर है।

पारंपरिक युद्ध की बजाय अब छदम युद्ध के रूप में आंतरिक सुरक्षा हमारे लिये बड़ी चुनौती बन गई है। भारत की सुरक्षा ऐतिहासिक, भौगोलिक और जनसांख्यिकीय अनिवार्यताओं के कारण दक्षिण एशिया की घटनाओं से प्रभावित है। इस क्षेत्र ने चार बड़े युद्ध और कई निकट युद्ध देखे हैं। आज भले ही हम भू-राजनैतिक परिदृश्य में अग्रणी हो गये हों लेकिन बार-बार हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते आए हैं। कभी साम्प्रदायिकता, तो कभी क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और जम्मू कश्मीर में सीमा-पार प्रायोजित आतंकवाद आज बड़े आतंरिक सुरक्षा के मुद्दे बन चुके हैं। इस बात की पुष्टि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नही हैं कि अलग-अलग धर्म जाति और भाषाओं में विविधता होने के उपरांत भी हम भारतीय सदा एकता के सूत्र में बंधे रहे हैं।

हमारा इतिहास इस बात का गवाह हैं, कि प्राचीन काल से आज तक हजारों जातियों और समुदायों, विचारधाराओ के लोग भारत आए और भारत की इस संस्कृति के साथ रस बस गये, इन्हे अपना लिया। इस देश का प्रत्येक नागरिक चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम, सिख,इसाई किसी सम्प्रदाय से आता हो पहले भारतीय है और हमेशा आपस में मिल-जुलकर रहना चाहते हैं। मगर कुछ शरारती तत्त्व और कट्टरपंथी जाति और धर्म के नाम पर हमें बाटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। वे हर घटना को जाति और धर्म के नजरिये से देखकर उस पर राजनीति करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। ये ही चंद लोग भारत में साम्प्रदायिकता का जहर घोलकर आतंरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।

आतंरिक सुरक्षा के लिए अलगाववाद एक गंभीर खतरा है। अलगाव अपने आप में अशुभ शब्द हैं। भारत राज्यों का संघ हैं, किसी भी देश के समग्र विकास के लिए सत्ता की धुरी का मजबूत होना जरुरी समझा जाता हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाए कि हर समय भारत में एक नये राज्य की मांग होती रहती हैं। प्रशासन की सुविधा और अधिक अधिकारों के नाम पर आजादी के

बाद से कई बड़े राज्यों का विघटन होकर लघु राज्यों में तब्दील हो गये हैं। एक सीमा तक यदि राज्य बहुत बड़ा हैं, जिनका प्रशासन सुचारू रूप से चलाना असम्भव हो तो जरुरी हैं उस राज्य का टुकड़ा कर पृथक राज्य बनाया जाए । मगर एक संभाग से भी कम आकार के क्षेत्र को लेकर बार-बार अलग राज्य बनाने की जिद्द और इसी जिद्द को लेकर उग्र प्रदर्शन, हड़ताले और तोड़फोड़ कहाँ तक उचित हैं। भाषा के आधार पर विभाजित पहला राज्य आंध्रप्रदेश था, जो 1953 में बना था और आज भारत में कुल राज्यों संख्या 29 हो गई हैं।

आजादी के 75 साल बाद भी आज क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन से उत्पन्न होने वाले खतरे हैं, जिन्होंने उग्रवाद, आतंकवाद, उप-राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। आर्थिक विषमताओं ने सामाजिक तनाव, शहरी अशांति, ग्रामीण उभार और युवा मोहभंग को जन्म दिया है। अभाव, बेरोजगारी, गरीबी, भूख और भोजन की कमी, आवास की कमी, अत्यधिक भीड़, बुनियादी सुविधाओं के ह्रास की समस्याओं ने क्रोध और अपराध को जन्म दिया है। समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के कारण आपूर्ति में वृद्धि के बिना मांग पर दबाव बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो भारत के 535 में से 201 जिले किसी न किसी रूप में कम या अधिक हिंसा से प्रभावित हैं।

आतंरिक सुरक्षा में बदलते नजरिये

सरकार ने आतंरिक सुरक्षा की समस्याओं को राजनीतिक और कानून व्यवस्था के चश्मे से ही देखा है। हमारी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं पर बहस और आम सहमति की आवश्यकता है । यद्यपि हमारी आतंरिक सुरक्षा की समस्या के आयाम कठोर कानून और व्यवस्था से परे हैं और कम तीव्रता के संघर्षों से एक या दूसरे तक फैले हुए हैं। हाल के दिनों में आतंरिक सुरक्षा की हर नई स्थिति के लिए हमारी प्रतिक्रिया सुरक्षा बलों के प्रकार और संख्या में वृद्धि हुई है। पंजाब ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को जन्म दिया और जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स को छद्म युद्ध से निपटने के लिए बनाया गया । अन्य अर्धसैनिक बलों के जन्म का भी ऐसा ही इतिहास है, भले ही हम उनकी स्थापना के औचित्य को स्वीकार करें या न करें। समझने वाली बात यह है कि संख्या और प्रकार के बलों में वृद्धि दक्षता का कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात बलों को भी समय समय पर इस ओर मोड़ दिया जाता है। जबकि एक तरफ इसने हमारी सीमाओं को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है ।

आतंरिक सुरक्षा और प्रतिक्रिया

आंतरिक सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिक्रिया विशुद्ध रूप से संकट प्रबंधन, अति-केंद्रीकरण और राज्यों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का परित्याग करने की रही है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के स्वतंत्र कामकाज और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और कानून और व्यवस्था के पहलुओं को शामिल करते हुए एक समग्र नीति सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। पाकिस्तान के मंसूबों का मुकाबला करने के लिए, विकासशील आतंरिक सुरक्षा की स्थिति का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य विकसित करने और उसी के लिए नीतियां तैयार करने की आवश्यकता है।

किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पारंपरिक अर्थों में भौतिक खतरों से राज्य, इसकी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक संस्थानों और राष्ट्रीय संप्रभुता के संरक्षण को संदर्भित करती है। लेकिन आधुनिक समय में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करने के लिए परिभाषाओं का विस्तार किया गया है: *आर्थिक खतरे*: ये अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रक्रियाओं को परेशान करके विकासात्मक गतिशीलता को खतरे में डालते हैं। *प्रौद्योगिकी संचालित खतरे*: हाल के दिनों में साइबर आतंकवाद, अंतरिक्ष युद्ध आदि जैसे खतरों ने इसका महत्व बढ़ा दिया है। *स्वास्थ्य सुरक्षा*: क्षय रोग, मलेरिया और एचआईवी जैसी बीमारियों को मानव सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है क्योंकि इनसे होने वाली भारी जानमाल की हानि होती है।

देश की सरकार अपनी सीमाओं की रक्षा करने के साथ-साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य देश की प्रगति और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावी कानून और व्यवस्था के बिना, देश का आर्थिक विकास असंभव होगा । इसलिए हमें इस पहलू की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियाँ राष्ट्र के लिए पहली प्राथमिकता होती है । हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने देश को अपनी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। राज्यों को खुफिया जानकारी साझा करने से आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का मुकाबला करने में देश को "सतर्क" और "अपडेट" रहने में आसानी होती है ।

आंतरिक सुरक्षा के घटक

अगर सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो असंख्य विशेषताएं हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा का गठन करती हैं। और इनकी गणना इस प्रकार की जा सकती है:

कानून और व्यवस्था का रखरखाव : कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना किसी भी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी होती है ।सरकार यह सुनिश्चित करे कि 'कानून का शासन' बना रहे और कानून का पालन करने वाले नागरिक किसी भी तरह से पीड़ित न हों।

राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा : राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के रूप में राज्य और राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को बेअसर करने की आवश्यकता है।

घरेलू शांति और शांति सुनिश्चित करना : राष्ट्र में शांति और शांति सुनिश्चित करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा, जातीय संघर्ष, भीड़ हिंसा आदि जैसी घटनाओं की जाँच की जानी चाहिए।

समानता : भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी है । राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अधिकारों की रक्षा की जाए।

भय से मुक्ति: समाज में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ लोग बिना भय के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें।

अभेदभावपूर्ण व्यवहार: राज्य या बड़े पैमाने पर समाज के हाथों नागरिकों के किसी भी वर्ग का कोई भेदभाव

(जिसमें शोषण और उत्पीड़न शामिल है) नहीं होना चाहिए। कमजोरों को सुरक्षा की आवश्यकता है ।

सामाजिक सद्भाव और भाईचारा : विभिन्न जातियों, समुदायों, क्षेत्रों आदि के बीच सामाजिक सद्भाव आंतरिक सुरक्षा खतरों को रोकने और हल करने के लिए अनिवार्य है।

भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां

भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ उत्पन्न होने के कई कारण हैं। इन्हें निम्नलिखित तरीके से सूचीबद्ध किया जा सकता है: बाहरी चुनौतियाँ, विकासात्मक घाटे की चुनौतियाँ, भौगोलिक चुनौतियाँ, सामाजिक चुनौतियाँ तथा तकनीकी चुनौतियाँ प्रमुख हैं ।

इन तथ्यों की विवेचना से पहले यह भी एक सत्य है कि पड़ोसी देशों में अस्थिरता ने बाहरी खतरों को प्रेरित किया है । यह हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि भारत के पड़ोसी देश धार्मिक कट्टरवाद या जातीय संघर्षों के कारण अस्थिर सुरक्षा वातावरण से त्रस्त हैं। पाकिस्तान तीन दशकों से अधिक समय से आतंकवाद, जाली मुद्रा और मादक पदार्थों की तस्करी के रूप में भारत के विरुद्ध एक छद्म युद्ध छेड़ रखा है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में खालिस्तान अलगाववादी को समर्थन देने के साथ हुई और फिर 1980 के दशक के अंत से जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद को समर्थन प्रदान किया। हाल के समय में खालिस्तानियों का मनोबल पाकिस्तानी सहायता से फिर करवट बदल रहा है ।

बांग्लादेश में, उत्तर-पूर्व भारत के विद्रोहियों से संबंधित उग्रवादी शिविरों पर कार्रवाई 2014 में हुई थी, लेकिन अभी भी लगता है कि विद्रोहियों के लिए यह छिपने का स्थान बना हुआ है । अधिक चिंताजनक संकेत यह है कि कट्टरपंथी ताकतें देश के अंदर जमीन हासिल कर रही हैं जिससे सांप्रदायिक और धार्मिक हिंसा में वृद्धि हो रही है। म्यांमार, जिसने लोकतंत्र की दिशा में पहले कुछ कदम उठाए हैं, का उत्तर-पूर्व भारत के विद्रोहियों को शरण देने का इतिहास रहा है। अब यह रखाइन प्रांत में रोहिंग्याओं के उत्पीड़न में अपनी भूमिका के लिए अंतरराष्ट्रीय जांच के दायरे में है, जिससे पड़ोसी देशों में लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों का पलायन हुआ, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा हो सकता है। नेपाल में एक दशक पहले तक माओवादी हिंसा का सामना करता था। माओवादियों का पुनर्वास नेपाल और उसके बाहर आंतरिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बना हुआ है। इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिर वातावरण से प्रभावित हो सकती है।

पूर्वोत्तर भारत में चीन की दिलचस्पी

चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। अभी हाल में चीन ने अरुणाचल के पांच शहरों का चीनी नाम रखा है । इसने पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को नत्थी वीजा जारी करके अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कुछ विवाद खड़े किए हैं। चीन के साथ उत्तर पूर्वी आबादी की नस्लीय और जातीय समानता के कारण चीन को लगता है कि अरुणाचल के कुछ समूहों में चीन समर्थक रवैया है। चीन की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निगरानी और लगातार घुसपैठ भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा रहा है। 2017 में, सिक्किम सीमा के पास डोकलाम

पठार पर चीन के साथ एक प्रमुख सीमा गतिरोध हुआ, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि इस क्षेत्र में चीन की रुचि जल्द ही कम नहीं होगी।

भूटान-चीन सीमा पर स्थित डोकलाम भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत-भूटान-चीन ट्राइ-जंक्शन पर स्थित है। भूटान का चीन के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है और भारत का भूटान के साथ सैन्य सहित विशेष संबंध है। संक्षेप में, भारत की भूटान के प्रति जिम्मेदारियां हैं, जिसमें उसकी संप्रभुता की रक्षा में मदद करना शामिल है। भूटान के मजबूती से अपने पक्ष में होने से भारत को भी लाभ हुआ है।

बांग्लादेश से अवैध प्रवासन

बांग्लादेश से अवैध प्रवासन भारत के लिए एक प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा यानी 4096.7 किलोमीटर साझा करता है। इस क्षेत्र में सैकड़ों छोटी नदी धाराओं और कुछ प्रमुख नदियों की उपस्थिति सीमा को घुसपैठियों के लिए मार्ग बना देती है जिससे अवैध प्रवासी पानी की धाराओं को पार करके भारत में आ जाते हैं। इससे पशुधन, दवाओं और दवाओं की तस्करी, जाली मुद्रा रैकेट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी भारत-विरोधी गतिविधियां हो सकती हैं, सबसे खतरनाक चिंता आतंकवादियों द्वारा भारत में घुसपैठ करने और भारतीय क्षेत्र में हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मार्ग है। प्रवासियों के नियमित आगमन ने पड़ोसी राज्यों की जनसांख्यिकी को बदल दिया है और भारतीय शहरों में अवैध प्रवासियों की उपस्थिति भी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा है, क्योंकि वे विदेशी शक्तियों के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

पाकिस्तान के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद और आतंकवाद

भारतीय सेनाएं जम्मू-कश्मीर में तीन दशकों से अधिक समय से आतंकवाद से जूझ रही हैं। इस समस्या के कई आयाम हैं, जैसे अलगाववादी आंदोलन, सांप्रदायिक हिंसा - कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन, पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप। उग्रवाद की उपस्थिति ने पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है - राज्य के प्रमुख राजस्व और रोजगार सृजन - सामाजिक आर्थिक विकास की कमी और बेरोजगारी में वृद्धि के कारण यहाँ के युवा पाकिस्तान के दुष्प्रचार के आसानी से शिकार हो जाते हैं। गुमराह युवाओं को सीमा पार पड़ोसी देश द्वारा प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है और फिर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान इनका इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया के आगमन के साथ खतरे और गंभीर हो गए हैं क्योंकि युवाओं को इसके माध्यम से प्रेरित किया जाता है । इस तरह से देश विरोधी शक्तियां ऑनलाइन अभियान और एक अभूतपूर्व तरीके से अपनी गतिविधियों को संप्रेषित और समन्वयित करने में सक्षम हैं।

वामपंथी उग्रवाद

सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच एक सहमति है कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) देश के सामने सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा खतरा है हालाँकि यह बहुत हद तक सिमट चुका है और इसका शहरी प्रारूप अब दिख रहा है । यह 60 और 70 के दशक के अंत से है और देश के विभिन्न हिस्से नक्सली हिंसा के विभिन्न

स्तरों से प्रभावित हुए हैं। लाल आतंक एक तरह से चुनौती अभी भी बनी हुई है । पुलिस बलों के लिए चुनौतियाँ भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को वामपंथी उग्रवादी संगठनों के नेताओं से बातचीत करने के लिये बढ़ावा देने के लिए अपने सूचना और जनसंपर्क तंत्रों को मजबूत करके एक सामंजस्य स्थापित करना भी चुनौती है। और इस प्रकार से अधिक नक्सली संगठनों को उदासीन बनाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल भी किया जा सकता है। वामपंथी अतिवाद से ग्रसित क्षेत्रों की क्षेत्रीय विशेषता यथा-कलाकृतियों आदि के निर्माण से संबंधित व्यापार को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ना। इससे धन के प्रवाह को बढ़ाकर समावेशन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

शिक्षा, रोज़गार, अवसंरचनात्मक विकास और आपसी संवाद को बढ़ाना चाहिये। और इस हेतु क्षेत्र में पुलिस बलों की अत्याधिक सक्रियता और भूमिका होती है । आर्थिक विकास नीतियों के सही क्रियान्वयन के साथ ही लचीली परंतु कठोर सुरक्षा नीति को अपनाने की भी आवश्यकता है। राज्यों को अपनी आत्मसमर्पण नीति को और अधिक तर्कसंगत बनाना चाहिये ताकि लाल आतंक में फँसे निर्दोष व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाया जा सके।

उत्तर पूर्व में उग्रवाद

उग्रवाद की समस्या ने सबसे पहले म्यामांर से सटे मिजोरम में सिर उठाया था। वहां लालदेंगा की अगुवाई में कोई दो दशक तक हिंसक आंदोलन हुआ था। लेकिन बाद में केंद्र सरकार के साथ समझौते के तहत वहां शांति बहाल हुई और फिलहाल वही राज्य सबसे शांत माना जाता है। मिजोरम की तर्ज पर बाकी राज्यों में भी संप्रभुता की मांग में उग्रवाद ने सिर तो उठाया, लेकिन वहां समाधान का वह तरीका कारगर नहीं हो सका जिसके चलते मिजोरम में स्थायी शांति बहाल हुई थी। मिसाल के तौर पर नगालैंड को गिनाया जा सकता है। इस क्षेत्र के अधिकांश उग्रवादी अलगाववादी हैं। पाकिस्तान और चीन भी इन उग्रवादी संगठनों की अलगाववादी प्रवृत्ति का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहे हैं। इस काम में सबसे आगे आइएसआइ रही है। उल्फा के वार्ता-समर्थक गुट ने अतीत में आइएसआइ के साथ संबंधों का खुलासा कर दिया है। कहा जाता है कि संगठन का भगोड़ा कमांडर-इन-चीफ परेश बरुआ अभी भी आइएसआइ के शिकंजे में है और चीन में अवैध हथियार व्यापारियों के साथ उसके संपर्क बने हुए हैं। दूसरी ओर माओवादी पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों के साथ संपर्क में हैं।

2022-23 में 1997 के बाद से सबसे कम उग्रवाद देखा गया है । इस क्षेत्र ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से कई अलगाववादी आंदोलनों को देखा है। उत्तर पूर्व के सभी आठ राज्य किसी न किसी तरह के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। इस क्षेत्र में जातीयता और उप-राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, जिससे विभिन्न समूहों द्वारा अपनी विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है।

संगठित अपराध और आतंकवाद के साथ इसका गठजोड़

आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच विकसित होता संबंध भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है । आतंकवादियों और

संगठित अपराधियों की गतिविधियां अक्सर एक-दूसरे को मजबूत करती हैं, जहां आतंकवादी वित्तीय और/या भौतिक लाभों के लिए तस्करी, तस्करी, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण और प्राकृतिक संसाधनों के अवैध व्यापार जैसे संगठित अपराध गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं।

इस तरह के लाभ राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और सामाजिक और आर्थिक विकास को कम करने में योगदान करते हैं, जो बदले में संगठित आपराधिक समूहों के फलने-फूलने की स्थिति पैदा कर सकते हैं या बनाए रख सकते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मुद्रा और माफिया गतिविधियों जैसे संगठित अपराध का उपयोग भारत में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है। संगठित अपराध के नेटवर्क और साधन का उपयोग आतंकवादी संगठन द्वारा आतंकवादी की योजना बनाने, समन्वय करने और उसे अंजाम देने के लिए किया जा सकता है

सामाजिक-आर्थिक

सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कानून व्यवस्था की समस्या और आंतरिक सुरक्षा के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति है। जब आबादी अपनी बुनियादी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है और अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक अंधकारमय भविष्य देखती है, तो वे स्थिति को सुधारने के लिए विकल्पों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं। दुर्भाग्य से, उनमें से कुछ हताशा में या किसी विचारधारा के प्रभाव में राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आकर्षित होते हैं जो उन्हें भविष्य में बेहतर रास्ते का वादा करता है। यह स्थिति आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है ।

चुनौतियों का विश्लेषण

ठीक उसी तरह आतंकवादी विघटनकारी समाज विरोधी लोगों का एक हिंसात्मक अभियान है जो भारत क्या संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है और जिसके चलते आज संपूर्ण मानवता का अस्तित्व खतरे में हैं। आज आतंकवाद की आग में समूचा विश्व जल रहा है । वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं, लेकिन इनमें से तीन ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया त्रस्त है। ये हैं, राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता एवं गैर-राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद। आतंकवादी हमेशा आतंक फैलाने के नये-नये तरीके आजमाते रहते हैं। इस घृणित कृत्य में संलग्न देश तथा व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ति और देश को अस्थिर करने के लिए राष्ट्र व समाज के विरुद्ध अनैतिक, जघन्य व घृणित कृत्य किया जाता है।

ऐसे तो देश के अन्दर वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। खतरों की सीमा और दायरा जटिल, विविध और विशाल हैं। दुनिया का कोई भी देश एक ही समय में इतनी तीव्रता के साथ इतने खतरों का सामना नहीं करता है जितना भारत कर रहा है। कुल मिलाकर भारत का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इनमें से किसी न किसी खतरे से प्रभावित बताया जाता है, जो सिर्फ 'कानून व्यवस्था' की समस्या नहीं है। खराब आंतरिक सुरक्षा की स्थिति भारत के प्रतिकूल सामरिक वातावरण के कारण नहीं है,

बल्कि कमजोर आंतरिक सुरक्षा तंत्र, अन्य दृश्य और ज्ञात सामाजिक और राजनैतिक विचारों के कारण भी है। इस संदर्भ में, मेरा एक सार्वभौमिक तर्क यह है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इन खतरों के परिणामस्वरूप भारतीय राज्य का क्रमिक क्षरण भी हो सकता है। हमारी आतंरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की नये घटनाक्रम पर भी निर्भर करता है।

आतंकवाद में मौजूदा प्रतिस्पर्धी बाजार का मतलब है कि समूह अधिक यादगार हिंसा (जैसे चार्ली हेब्दो हमलों या दिसंबर 2014 में पेशावर हमलों) के अभ्यास के माध्यम से एक-दूसरे को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता है क्योंकि यह एकमात्र तरीका है जिससे उन्हें सुना जा सकता है, भर्ती करने वालों को आकर्षित करने और अन्य समान समूहों से खुद को अलग करने के लिए पर्याप्त लोकप्रिय हो जाते हैं।कमोबेश यही स्थिति हम कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों के बिच देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए आतंकवादी समूह हिंसा और रक्तपात की तीव्रता और दायरे में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उनके साथ पहचान कर सकें और उनसे जुड़ सकें। उदाहरण के लिए- जहां कुछ साल पहले अल-कायदा दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी समूह था, वहीं अब इस पोजीशन को आईएसआईएस ने पछाड़ दिया है।इसका एक कारण यह हो सकता है कि ISIS लोन-वुल्फ़ हमलों को प्रोत्साहित करता है जो उसके अनुयायियों के लिए युद्ध में लड़ने के लिए समूह में शामिल होने के लिए वास्तव में यात्रा किए बिना करना आसान होता है। मध्य पूर्व के देशों में तेल भंडार, अफीम की खेती, हथियारों का सौदा आदि जैसे विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न आतंकवादी संगठन भी एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं। दुनिया भर में अपनी विचारधाराओं को स्थापित करने की होड़ ने आतंकवादी संगठन को भी उकसाया है,उदाहरण के लिए सीरिया में कई समूह आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए हाल के समय में आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धी उद्योग बन गया है जिसने पूरी दुनिया में अपना प्रभाव फैला लिया है।हम इस स्थिति को पिछले एक दशक से कश्मीर में लश्कर और जैश के आतंकियों के बिच देख रहे हैं।

समाधान की राह पर

भारत इस समस्या के समाधान के लिए काफी गंभीर और कठोर कदम उठा रहा है। एनआईए (NIA) अधिनियम और यूएपीए (UAPA) अधिनियम में संशोधन करके केंद्र सरकार भारत की आतंकवाद विरोधी एजेंसी को और अधिक शक्तियां प्रदान करने और भारत के आतंकवाद विरोधी कानून के दायरे का विस्तार करने का प्रयास करती है, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा मशीनरी को एक बड़ा संबल मिलता है। यूएपीए अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है यदि वह आतंकवाद के कृत्यों में भाग लेता है या उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है; या आतंकवाद को बढ़ावा देता है; या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। पहले केवल एक संगठन को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। यह संशोधन सरकार को ऐसे व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में नामित करने की अनुमति देता है जिनके आतंकवादियों के साथ संबंध होने का संदेह है। इसी तरह, एनआईए अधिनियम में

संशोधन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की शक्तियों को मानव तस्करी, नकली मुद्रा, निषिद्ध हथियारों में लेनदेन और साइबर-आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए भी शक्ति प्रदान करता है। ये पहले राज्य पुलिस के अधीन थे। एनआईए किसी भी अपराध की जांच कर सकती है, चाहे वह किसी भी स्थान पर घटित हुआ हो। ये संशोधन आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है। पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद एक सतत चुनौती रही है जिससे आतंकवादी-संगठन, क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालने के लिए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। इसमें अक्सर व्यक्तियों द्वारा नए आतंकवादी-संगठन का गठन करके शामिल होना है, यदि उनके पिछले संगठन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया हो। यह मुद्दा मसूद अजहर को आतंकवादी के रूप में नामित करने के भारत के प्रयासों के दौरान सामने आया जब कुछ विदेशी राजनयिकों ने भारत के घरेलू कानून पर सवाल उठाया जो व्यक्ति को शामिल नहीं करता था। अब, किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने से सरकार को ऐसी स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, आतंकवाद के वित्तपोषण और मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद आदि जैसे संगठित अपराधों का खतरा बढ़ रहा है। एक सशक्त एनआईए इस दिशा में एक अच्छा कदम है। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि ये संशोधन बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और देश को एक पुलिस राज्य बनाना चाहते हैं। यूएपीए (UAPA) स्पष्ट रूप से एक 'आतंकवादी अधिनियम' को परिभाषित नहीं करता है। बेगुनाही की धारणा को एक सार्वभौमिक मानवाधिकार सिद्धांत माना जाता है, लेकिन यूएपीए जब्त किए गए सबूतों के आधार पर आतंकवादी अपराधों के लिए अपराध की धारणा बनाता है। इसके अलावा, आतंकवादी के रूप में एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है।

न्यायपालिका को छोड़कर, और कार्यपालिका को नामित करने का अधिकार देकर, यह एक आतंकवादी और एक आतंकवादी आरोपी के बीच के अंतर को कम करता है। इसी तरह, एनआईए अधिनियम में 'भारत के हितों को प्रभावित करने' शब्द अपरिभाषित है और नागरिक समाज को डर है कि इसका इस्तेमाल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, हालांकि मौजूदा सुरक्षा वातावरण को पूरा करने के लिए परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, आतंकवाद से निपटने के लिए नीतिगत ढांचे में मानवाधिकारों के हनन और पीड़ितों के उपचार के लिए अधिक से अधिक पहुंच के खिलाफ राज्य के कर्तव्य को शामिल करना चाहिए। आतंकवाद से निपटने के अलावा पुलिस बल की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और भारत के न्यायिक तंत्र को तेज करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

अफस्पा और आतंरिक सुरक्षा

यह प्रश्न अक्सर उठाया जाता है कि अफस्पा को इतने दिनों तक लागू रखने से क्या लाभ हुआ है ? इस प्रश्न का उत्तर गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत हालिया आंकड़ों में मिल जाता है। अफस्पा के समर्थन और विरोध को समझने के लिए आवश्यक होगा कि हम पहले यह जान लें कि आखिर अफस्पा है क्या ? सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनयम यानी अफस्पा देश की संसद

द्वारा 1958 में पारित किया गया एक क़ानून है, जिसके तहत हमारे सुरक्षाबलों को सम्बंधित क्षेत्र में कार्यवाही सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसके द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों में मुख्यतः सुरक्षाबलों को बिना अनुमति किसी भी स्थान की तलाशी लेने और खतरे की स्थिति में उसे नष्ट करने, बिना अनुमति किसीकी गिरफ्तारी करने और यहाँ तक कि क़ानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने जैसे अधिकार प्राप्त हैं। लागू होने की प्रक्रिया की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में यदि उग्रवादी तत्वों की अत्यधिक सक्रियता महसूस होने लगती है, तब सम्बंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र द्वारा उस क्षेत्र को 'अशांत' घोषित कर वहाँ अफस्पा लागू कर केन्द्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती की जाती है।

अफस्पा देश के जिन भी राज्यों में लागू है, वहाँ की परिस्थितियों को देखें तो इसकी जरूरत समझ में आ जाती है। मणिपुर, नागालैंड, असम, जम्मू-कश्मीर इन सब राज्यों में अलग-अलग प्रकार के उग्रवादी व अलगाववादी ताकतें सक्रिय हैं। मणिपुर और नागालैंड में मिले-जुले उग्रवादी संगठनों का प्रभाव है, तो असम में उल्फा का प्रभाव व्याप्त है। जम्मू-कश्मीर की कहानी तो खैर देश में किसी से छिपी ही नहीं है कि कैसे वहाँ नापाक पड़ोसी द्वारा प्रेरित आतंकवाद दहशत फैलाए रहता है। इन सब जगहों के उग्रवाद में एक समानता यह है कि ये सब देश की अखण्डता को क्षति पहुँचाने की मंशा रखते हैं। इन अराजक तत्वों की इस दुष्ट मंशा का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अफस्पा जरूरी है। यहाँ बीपी जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशों की तर्ज पर यह तर्क दिया जा सकता है कि इन तत्वों से निपटने के लिए बिना अफस्पा के भी तो सेना की तैनाती की जा सकती है ? यह तर्क कागजों में तो मजबूत दिखाई देता है, लेकिन जब धरातल की कसौटियों पर इसे परखते हैं, तो धराशायी हो जाता है। ये ठीक है कि अफस्पा द्वारा सुरक्षाबलों को प्रदान अधिकार प्रथमदृष्टया कुछ अधिक ही निरंकुश प्रतीत होते हैं, परन्तु मामले के दूसरे पहलू को देखने पर इनका औचित्य समझ में आता है।

चूंकि, सुरक्षाबलों को अफस्पा के तहत जिन क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, वे कोई शांतिप्रिय क्षेत्र नहीं होते जहाँ सबकुछ चैनो-अमन से चल जाए, बल्कि वे घोषित रूप से 'अशांत' क्षेत्र होते हैं। प्रायः वे ऐसे ही क्षेत्र होते हैं, जहाँ कहीं भी कोई आतंकी तत्व हो सकता है। ऐसी जगहों पर यदि इस प्रकार के अधिकार सुरक्षाबलों के पास न रहें और हर कार्यवाही से पहले उन्हें अनुमति की विविध स्तरीय प्रक्रिया से गुजरना पड़े, तो निस्संदेह उनके लिए काम करना आत्महत्या करने जैसा ही जाएगा। ऐसे में, बिना अफस्पा के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबलों की तैनाती उन्हें बिना किसी कवच के मौत के मुंह डालना होगा। अतः अफस्पा का विरोध करने वाले मानवाधिकारवादियों को हमारे सुरक्षाबलों के मानवाधिकार के विषय में भी कभी सोचना चाहिए।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, अफस्पा प्रभावित पूर्वोत्तर के इलाकों में उपद्रवी हिंसा में 63 फीसदी की कमी आई है। 2020 में पूर्वोत्तर में नागरिकों की मौतों में 83 फीसदी और सुरक्षाकर्मियों की मौतों में 40 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के मुकाबले 2020 में पूर्वोत्तर में उपद्रवी घटनाओं में 85 फीसदी की कमी आई। वहीं, 1997 की तुलना में सुरक्षाकर्मियों की मौत के मामले 96 फीसदी कम रहे। पूर्वोत्तर के अलावा अफस्पा प्रभावित जम्मू-कश्मीर में भी आतंकी घटनाओं में कमी आई है।

कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि पूर्वोत्तर को लेकर दिल्ली की सोच में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। अब दिल्ली के लिए पूर्वोत्तर और उसके मुद्दे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अच्छी बात यह भी है कि वहाँ उग्रवाद में कमी भी देखने को मिल रही, जिस कारण वर्ष 2015 में त्रिपुरा से तो फिर मेघालय से अफस्पा पूरी तरह से हटा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि पूर्वोत्तर में बदलाव की ये बयार और तेज होगी तथा उसके शेष राज्य भी शीघ्र ही उग्रवाद तथा अफस्पा से मुक्त होकर एक स्वस्थ वातावरण में देश के विकास के साथ कदमताल कर सकेंगे।

उपसंहार

अमूमन कानून-व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है यानी राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम संबंधित राज्य का होता है। लेकिन नक्सलवाद की विकटता को देखते हुए इसको राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया गया है । उसके बाद गृह मंत्रालय में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए एक अलग प्रभाग बनाया गया। साथ ही इससे समस्या से निपटने के लिये बहुआयामी रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसमें सुरक्षा और विकास से जुड़े क़दम और आदिवासी समेत दूसरे कमज़ोर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने से जुड़े कदम शामिल हैं। सरकार वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर काम कर रही है।

जून, 2013 में आजीविका योजना के तहत 'रोशनी' नामक विशेष पहल की शुरूआत की गई थी ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित ज़िलों में युवाओं को रोज़गार के लिये प्रशिक्षित किया जा सके। विगत वर्ष नक्सल समस्या से निपटने के लिये केंद्र सरकर ने आठ सूत्रीय 'समाधान'नाम से एक कार्ययोजना की शुरुआत की है। सबसे अधिक नक्सल प्रभावित सभी 30 ज़िलों में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। हिंसा का रास्ता छोड़कर समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए सरकार पुनर्वास की भी व्यवस्था करती है। आतंरिक सुरक्षा से जुड़े तार अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर बैठे विघटनकारी ताकतों से भी मिले हुए हैं । ऐसे में सोशल मीडिया और साइबर जागरूकता और उसका निगरानी महत्त्वपूर्ण हो गया है । टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथों में सूचना के प्रचार-प्रसार की ऐसी शक्ति हमारे हाथ कर दी जो हमारी समझने की शक्ति से कई गुना आगे है। बटन दबाते ही संदेश समझ में तो नहीं आता है फॉरवर्ड अवश्य हो जाता है। और बटन दबा हम अथाह संदिग्ध सूचनाएं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर डाल कर उनका आदान-प्रदान करने में मशगूल रहते हैं। साइबर सुरक्षा के लिये हर विभाग में विशेष सेल बनाए जाने के साथ-साथ आईटी अधिनियम में संशोधन कर सजा के सख्त प्रावधान किये जाने चाहिये।सीमा को तकनीकी की सहायता से प्रबंधित व निगरानी करने की आवश्यकता है। निश्चित ही सरकार ने इस दिशा में आंशिक प्रयास ज़रूर किये हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, रक्षा नियोजन समिति की स्थापना आदि। लेकिन ये सभी निकाय अपने-अपने स्तरों पर कार्यरत हैं। आवश्यकता है ऐसी नीति और ऐसी संरचना की जो इन सभी को एक साथ लेकर चले।

अभी वैश्विक परिदृश्य भी पाकिस्तान के सीमा पार से प्रायोजित आतंक के लिए अनुकूल नहीं है । शायद इसलिए भी अभी आतंक के इस मोड़ पर अभी शांति है । अभी आतंकवादी घटनाओं और सीमा पार से घुसपैठ में आई कमी को स्थायी बदलाव मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। जैसा कि हम ने पहले भी देखा है कि आतंकवादी घटनाओं में आया ये वक़्ती सन्नाटा कभी किसी छोटी सी घटना से भी टूट सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार जम्मू-कश्मीर को लेकर संवेदनशील तरीक़े से फूंक-फूंक कर ही क़दम उठाए। जैसे कि 2008 और 2010 में कश्मीर घाटी में आया उबाल कुछ महीनों तक की बना रह सका था। लेकिन, विरोध-प्रदर्शनों की उन घटनाओं का असर हमने लंबे वक़्त तक देखा था।

बालाकोट के बाद के हालात में आया सुधार इस बात का साफ़ इशारा करता है कि कश्मीर समस्या की असल जड़ सीमा के उस पार है। लेकिन, जिस तरह पिछली सरकारों ने जम्मू-कश्मीर के अंदरूनी हालात को संभालने में ग़लतियां की हैं, उन से पाकिस्तान को हमेशा ही हालात का फ़ायदा उठाने का मौक़ा मिल जाता है। अब जम्मू-कश्मीर में ज़मीनी स्तर पर लोगों का ग़ुस्सा कम हो रहा है। पाकिस्तान की विश्वासघाती गतिविधियों से बचने के लिए स्थानीय गतिविधियाँ पर्याप्त नहीं हैं। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान ने हिंसक झड़पों को बढ़ावा देने के लिए विध्वंसक भूमिका अपना रखी है। खतरनाक और उग्रवादी सशस्त्र गुटों पर निर्भर रहने के लिए उनकी सेना की भर्त्सना की जानी चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों से बेपरवाह पाकिस्तान की कट्टरवादी नीति के कारण ही खास तौर पर कश्मीर में असंतोष का वातावरण अक्सर बना रहता है।

संदर्भ

- आतंकवाद के जन्म का कारण- हिंदुस्तान समाचार
- बैरेल ऑफ़ द गन- त्रिनाथ मिश्र
- नक्सलाईट मूवमेंट – प्रकाश सिंह
- दैनिक जागरण- आतंकवाद और उग्रवाद पर लेख
- इंडिया टुडे – उग्रवाद तथा आतंकवाद पर आलेख
- शर्मा, रजनीश (1 मार्च 2012) "इंटेल ने आईएसआई-नक्सल लिंक का खुलासा किया"। एशियाई युग ।
- बी रमण - "पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई)"
- पीटीआई (12 मई 2011) "भारतीय वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाने की साजिश के पीछे आईएसआई"
- आतंरिक सुरक्षा-चुनौतियाँ एवं समाधान- उदय कुमार

****

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा में पुलिस का उत्तरदायित्व एवं अनूठी पहल

श्री मुकेश कुमार डूडी

सारांश

वर्तमान में हमारे देश को युवा शक्ति के नाम से जाना जाता है। परंतु एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 तक भारत विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा वृद्ध जनसंख्या वाला देश होगा ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं देखभाल एक संवेदनशील विषय बन जाता है। उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कानूनी प्रावधान किए गये हैं जहां पुलिस को महत्वपूर्ण भूमिका एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अपने उत्तरदायित्वों के सफल निर्वहन एवं कानून के अनुसरण में देश की कई पुलिस एजेंसियों ने अनेक सुरक्षा परियोजनाएं प्रारंभ की हैं साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए कई अनूठी पहल की गई हैं जो अन्य पुलिस एजेंसियों के लिए अनुकरणीय हैं।

परिभाषा- *माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (MWPSC) अधिनियम, 2007 की धारा 2 (ज) तथा वृद्ध नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1999 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, उसे 'वरिष्ठ नागरिक' कहा जाता है।*

जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात-

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या करीब 10.38 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का करीब 8.3% हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि के अनुमान के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों की ये संख्या वर्ष 2026 में 17.32 करोड़ (कुल जनसंख्या का 17.32%), 2050 में 32.3 करोड़ (कुल जनसंख्या का 20%) तक पहुँचने की संभावना है। अर्थात वर्ष 2050 में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों की संख्या वाला देश होगा।

एकल परिवार, शहरीकरण, कार्यशील जनसंख्या का अन्य देशों में स्थापित होने की प्रवृति आदि के कारण वरिष्ठ नागरिकों को अकेले जीवन यापन करना पड़ता है जिसके चलते उनकी सुरक्षा एवं देखभाल में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों की इतनी विशाल जनसंख्या की देखभाल एवं सुरक्षा का कार्य थोड़ा चुनौती पूर्ण होगा। जिसके लिए कार्यशील जनसंख्या पर व्यक्तिगत व पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ-साथ पुलिस प्रशासन पर उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व काफी बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारी पुलिस एजेंसियों को अभी से सजग एवं तैयार रहना आवश्यक हो गया है।

वरिष्ठ नागरिक और अपराध –

वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की बात की जाये तो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया, 2021' के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में उनके विरुद्ध घटने वाले अपराधों की कुल संख्या 26,110 है, जो प्रति एक लाख वरिष्ठ नागरिक जनसंख्या पर करीब 25.1 की दर दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के अकेले रहने का अनुपात अधिक होने के कारण महानगरों में उनके साथ अपराध की दर अधिक पायी जाती है।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण के कानूनी प्रावधान –

संवैधानिक प्रावधान-

हमारे देश में संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 41 में संविधान निर्माण के समय से ही नागरिकों को बुढ़ापे की अवस्था में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के प्रावधान किये जाने के निर्देश राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में किये गए हैं।

विधिक प्रावधान-

वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा, कल्याण, एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007** पारित किया गया था। जिसके अध्याय – 5 (वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा) के अंतर्गत धारा- 21 में पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के मामलों पर समय-समय पर जागरूक होने का प्रशिक्षण दिए जाने व वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिये संबंधित सभी विभागों में प्रभावी समन्वय बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही धारा 22 में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 32 (राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति) के अनुसरण में राज्यों ने अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाए हैं, जहां पुलिस को अनेक उत्तरदायित्व दिए गए हैं।

वृद्ध नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1999 एवं 2011 में पुलिस को वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हेतु विशेष सतर्कता बरतने व पुलिस बल को वृद्ध नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनाए जाने पर जोर दिया गया है।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम (MWPSC), 2007 में संशोधन करता है। जिसमें प्रत्येक पुलिस थाने में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने और जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष पुलिस इकाई तथा एक वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन की स्थापना किये जाने का प्रावधान किया गया है।

न्यायिक दृष्टिकोण-

योगेश साधवानी बनाम पुलिस आयुक्त (2015)[1] यह मामला माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (MWPSC) अधिनियम,

1 योगेश साधवानी बनाम पुलिस आयुक्त, 2015 SCC Online Bom 959.

2007 की पालना हेतु न्यायालय के प्रत्यक्ष न्यायिक हस्तक्षेप का उदाहरण है। इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अधिनियम की पालना की पूर्ण विफलता पर राज्य सरकार को अनेक निर्देश जारी किये हैं, जिसमें धारा 21 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जागरूकता एवं प्रचार प्रसार का निर्देश पुलिस से भी संबंधित है।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए पुलिस की योजनाएं एवं पहल –

ऊपर वर्णित कानूनी प्रावधानों के अनुसरण में देश की विभिन्न पुलिस एर्जेसियों ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं देखभाल को सुनिश्चित करते हुए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों के साथ - साथ सम्पूर्ण समाज में सुरक्षा की भावना व पुलिस के प्रति एक विश्वास पैदा करते हैं। पुलिस द्वारा किये गए अनूठे एवं अनुकरणीय प्रयोगों में से कुछ उत्तम अभ्यासों का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. मुंबई पुलिस की अनूठी पहल 'एल्डरलाइन 1090'

यह हेल्पलाइन मुंबई पुलिस व टाइम्स ऑफ इंडिया का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें तकनीकी सहयोग के लिए Spanco Telesystems and Solutions की साझेदारी है। एल्डरलाइन वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा व देखभाल से संबंधित उन सभी हितग्रहियों, एजेंसियों और संगठनों का एक कॉमन मेगा-नेटवर्क है जो वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। यह योजना मुंबई पुलिस की देखरेख में संचालित की जा रही है।

एल्डरलाइन एक महत्वपूर्ण पहल है जहां मुंबई पुलिस बुजुर्गों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों, डॉक्टरों, क्लिनिकों, अस्पतालों, परामर्शदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों, पुलिस कार्मिकों को एक सर्वोत्तम तकनीक के माध्यम से एक साथ लाती है। जहां पर कोई भी सक्षम व्यक्ति या संगठन एक साधारण साक्षात्कार और पूरी पृष्ठभूमि की जांच के बाद अपने आप को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत कर सकता है। पंजीकरण के पश्चात उनको एक विशेष पहचान पत्र दिया जाता है।

कार्यप्रणाली –

एल्डरलाइन एक उन्नत जीपीएस-आधारित ट्रैकिंग और डिस्पैच प्रणाली से लैस है। जैसे ही कोई व्यक्ति 1090 पर कॉल करता है, उसकी अवस्थिति/स्थान की सटीक जानकारी नियंत्रण कक्ष में स्थापित स्क्रीन पर वास्तविक समय में प्रकट हो जाती है। कॉल में मांगी गई सहायता यथा- उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, चिकित्सा समस्या, सुरक्षा संबंधी चिंता, कानूनी मदद, परामर्श आदि को तुरंत डाटा बेस में दर्ज करके आवश्यकता अनुरूप संबंधित क्षेत्र के एक सत्यापित स्वयंसेवक/एजेंसी को अग्रेषित की जाती है। संबंधित स्वयंसेवक/एजेंसी कॉलर से संपर्क करके तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हैं

जिसका फॉलो-अप नियंत्रण कक्ष द्वारा लिया जाता है। एल्डरलाइन के पास स्वयंसेवकों/एजेंसियों का एक बड़ा डेटाबेस उपलब्ध होता है। स्वयंसेवकों की अनुपलब्धता या आपात स्थिति में, स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा अपने मोबाइल पुलिस दल को जल्द से जल्द मामले की जांच एवं कार्यवाही के लिए भेजा जाता है।

पंजीकरण प्रक्रिया-

एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में पंजीकरण करने के लिए www.mumbaipolice.org वेबसाइट पर उपलब्ध एक सरल फॉर्म भरना होता है अथवा सीधे 1090 पर कॉल करके भी पंजीकरण किया जा सकता है।

2. दिल्ली पुलिस 'वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ'

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जो मुख्य रूप से समन्वय, निगरानी और सलाहकार की भूमिका में कार्य करता है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय पुलिस की मदद से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए समन्वय, टेलीफोन के माध्यम से नियमित आधार पर बातचीत कर पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों की निगरानी, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए फील्ड विजिट, वरिष्ठ नागरिकों के अपने पड़ोस में सामुदायिक संपर्क को प्रोत्साहित करना और स्थानीय पुलिस द्वारा घरेलू सहायकों के पुलिस सत्यापन का समन्वय करना है। वर्तमान में यह प्रकोष्ठ संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध की प्रत्यक्ष निगरानी में कार्य कर रहा है।

कार्यप्रणाली-

दिल्ली में निवास करने वाला कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तथा वह अकेले रहते हैं, तो उनका पंजीकरण इस प्रकोष्ठ द्वारा वरिष्ठ नागरिक के रूप में किया जाता है। उनको एक निर्धारित पहचान पत्र जारी किया जाता है। दिल्ली पुलिस अनेक गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सहायता एवं देखभाल के लिए निम्न प्रकार से कार्य करती है-

वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी प्रतिदिन बारी-बारी से कुछ वरिष्ठ नागरिकों से मिलने जाते हैं। व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है:

- घर के भौतिक सुरक्षा उपकरणों जैसे – सीसीटीवी कैमरा, डोर बेल, घर के मुख्य दरवाजे पर मैजिक आई आदि की जांच की जाती है। कोई कमी नजर आने पर उसको स्थापित करने की सलाह दी जाती है।
- घरेलू सहायकों/नौकरों के सत्यापन की जानकारी लेना, सत्यापन नहीं होने की स्थिति में सत्यापन करवाना।
- यह पता करना कि वे अकेले रह रहे हैं या पति या पत्नी के साथ।
- यह पता करना कि क्या स्थानीय पुलिस, मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और उनकी विशेष योजनाओं को लागू करने में पर्याप्त रुचि ले रही है।
- वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे रिश्तेदारों, दोस्तों, बीट पुलिस कर्मियों, थाना पुलिस और वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1291

के टेलीफोन नंबर टेलीफोन कंसोल के पास नोट करके रखें ताकि आपातकालीन स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके।

- वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो उसके लिए पंजीकरण करवाना आदि ।

प्रकोष्ठ द्वारा फरवरी 2022 तक 41,113 वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 38,714 नागरिकों को पहचान पत्र जारी किये जा चुके हैं। 3,24,263 फील्ड विज़िट सम्पन्न किये जा चुके हैं तथा 5,15,880 टेलीफोन कॉल से संपर्क किया जा चुका है। फील्ड विज़िट के दौरान 38,552 सुरक्षा जांच रिपोर्ट तैयार कर आवश्यक कार्यवाही की गई है। इस प्रकोष्ठ में पंजीकरण के लिए दिल्ली में निवास करने वाले वरिष्ठ नागरिक दिल्ली पुलिस की वेबसाइट http://www.delhipolice.nic.in/seniorcitizen.htm पर आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक मोबाइल ऐप-

यह दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक मोबाइल ऐप् है जिसपर कोई भी वरिष्ठ नागरिक आसानी से अपना पंजीकरण कर सकता है। ऐप पर बीट पुलिस अधिकारियों के नाम और टेलीफोन नंबर उपलब्ध होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस तक पहुंच की आसान सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें आपातकालीन स्थिति में कॉल के लिए एक एसओएस बटन भी उपलब्ध है, जो कॉलर को वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1291 से जोड़ता है। आपातकालीन स्थिति में जब कोई कॉलर एसओएस बटन का प्रयोग करता है तो उसकी लोकेशन और विवरण एसएमएस के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1291 के साथ - साथ संबंधित क्षेत्र के थाना अधिकारी, बीट ऑफिसर को मिल जाता है जो कॉलर को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।

size- 16x25cm Span Communications

इस ऐप के माध्यम से बीट ऑफिसर पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों के विवरण का पता लगा सकते हैं। जब भी कोई बीट अधिकारी किसी पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक से मिलने जाता है, तो उसे उसके साथ सेल्फी लेने और ऐप पर अपलोड करने का निर्देश दिया जाता है, जिससे फील्ड विज़िट का आसानी से पर्यवेक्षण भी किया जा सके। यह ऐप क्षेत्र के थानाधिकारी को सीधे वरिष्ठ नागरिकों को पंजीकृत करने की सुविधा भी प्रदान करता

है। वर्ष 2022 तक 38,094 नागरिकों ने वरिष्ठ नागरिक मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है।

3. सायबराबाद पुलिस 'ओल्ड बट नॉट अलोन'

यह हेल्प लाइन सेवा सायबराबाद पुलिस द्वारा समाज कल्याण विभाग, राजस्व अधिकारियों और सभी प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से शुरू की गई है। शुरुआती स्तर पर यह सेवा रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में एक पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य पुलिस और वरिष्ठ नागरिकों के बीच इंटरफेस को बदलना और सामुदायिक पुलिसिंग पहल के माध्यम से समस्याओं के समाधान में पुलिस के साथ वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करना है।

इसके माध्यम से पुलिस और वरिष्ठ नागरिकों के बीच सीधे संवाद एवं संचार के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया गया है। जो वरिष्ठ नागरिकों को उनके लिए उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के साथ उनमें नए आत्मविश्वास का विकास करेगा। जहां वरिष्ठ नागरिक एक सुरक्षित एवं सद्भाव पूर्ण वातावरण में जीवन यापन कर पाएंगे।

इस परियोजना में संबंधित क्षेत्र में निवास करने वाले वरिष्ठ नागरिकों का विवरण एकत्र कर उनका एक डेटा बेस तैयार किया जाता है। उसके बाद पुलिस अधिकारी उन तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर उनकी समस्याओं एवं जरूरतों का पता लगाते हैं तथा पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता एवं सुविधाओं के बारे में उनको अवगत करवाते हैं। इस पहल के परिणामस्वरूप नागरिकों में पुलिस के प्रति एक विश्वास एवं स्वयं में सुरक्षा के प्रति एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है।

4. केरल पुलिस 'विश्वास की घंटी' (बेल ऑफ फेथ)

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केरल पुलिस ने बेल ऑफ फेथ नाम से एक मुहिम प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य किसी भी आपातकालीन सेवा या स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के मामले में वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल सहायता प्रदान करना है। इस परियोजना के तहत अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस प्रदान किया जाता है, जिसमें एक आपातकालीन बटन स्थापित किया गया है। किसी भी सहायता के लिए आपातकालीन बटन दबाकर मदद के लिए कॉल किया जा सकता हैं। कॉलर के द्वारा की गई सहायता की कॉल तुरंत नजदीकी स्वयंसेवकों की

टीम को प्राप्त होती है जो आवश्यक कार्यवाही/सहायता प्रदान करते हैं। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को जनमैत्री पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देशित एवं मॉनिटर किया जाता है। इस परियोजना में रिमोट डिवाइस पुलिस द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाती है। परियोजना के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए क्षेत्र के निवासियों, आवास कल्याण संघों, बाजार समितियों के बीच एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

5. उड़ीसा पुलिस

उड़ीसा पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा मांग को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कटक एवं भुवनेश्वर जिले में वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की है जिसका मुख्य उदेश्य स्थानीय पुलिस की मदद से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक बनाना है।

इसको क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी के पास स्थानीय थाना क्षेत्र में अवस्थित/निवास करने वाले सभी पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों का विवरण और मोबाइल नंबर उपलब्ध होता है। प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार नोडल अधिकारी द्वारा स्वयं तथा सप्ताह में एक बार बीट स्टाफ द्वारा उपरोक्त नागरिकों के घर पर मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व सहायता के बारे में अवगत करवाया जाता है और उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो उसकी जानकारी प्राप्त कर उस पर उचित कार्यवाही की जाती है।

यहाँ पंजीकृत सभी वरिष्ठ नागरिकों को एक पहचान पत्र जारी किया जाता है जिसमें उनकी सम्पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी यथा- ब्लड ग्रुप, फोन नंबर, चिकित्सकीय आवश्यकता, आपातकालीन संपर्क विवरण, पूर्ण पता आदि अंकित किया जाता है।

इसके अलावा स्थानीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से मुफ़्त चिकित्सा शिविर का आयोजन, क्या करें और क्या नहीं करें, साइबर अपराध जैसे विषयों पर विशेष जागरूक किया जाता है। साथ ही पुलिस स्टेशन स्तर पर सभी पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति विनम्र व संवेदनशील बर्ताव किये जाने के बारे में समय - समय पर संवेदनशील सत्रों का आयोजन किया जाता है।

6. बेंगलुरु पुलिस

बेंगलुरू पुलिस ने त्वरित मदद के लिए वरिष्ठ नागरिकों को स्थानीय पुलिस के साथ जोड़ने के लिए बुजुर्ग सहायता हेल्पलाइन (1090) प्रारंभ की है। जिसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिक अपनी किसी भी शिकायत जैसे- दुर्व्यवहार, संपत्ति से संबंधित विवाद और चिकित्सा आपात काल के बारे में शिकायत होने पर त्वरित सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श और पुलिस मदद के लिए उपरोक्त हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बेंगलुरु पुलिस ने सभी सार्वजनिक स्थानों यथा- बैंकों, एटीएम, बाजार, बस स्टॉप आदि पर वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1090 के साथ - साथ अपने संबंधित क्षेत्रीय बीट अधिकारी के बारे में जानकारी, उनकी तस्वीरें और संपर्क विवरण के पोस्टर और फ्लायर्स चिपकाए हैं, जिससे नागरिकों को उनके बीट अधिकारी, उनके संपर्क नंबर की जानकारी

सुगमता से प्राप्त हो सके तथा आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क संभव हो सके।

7. चेन्नई पुलिस

चेन्नई पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए समर्पित अनेक सेवाओं को प्रारंभ किया है। इनमें से कुछ प्रमुख सेवाएं जैसे- वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड, एकल-बटन पुलिस कॉल और पुलिस द्वारा दैनिक चेक-इन सेवा शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और चिकित्सा जानकारी वाला कार्ड है, जिसे कोई भी वरिष्ठ नागरिक प्राप्त कर सकता है। यह कार्ड अस्पताल में भर्ती होने के मामले में तत्काल पहचान और उचित उपचार में मदद करता है।

एकल बटन पुलिस कॉल सेवा में एक पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक किसी भी आपात स्थिति में पुलिस से संपर्क करने के लिए मोबाईल की कुंजीपटल के '2' नंबर बटन को लंबे समय तक दबाता है, जिससे पुलिस के पास उपलब्ध डेटा बेस के अनुसार कॉलर की जानकारी पुलिस के पास पहुँच जाती है जिस पर पुलिस तत्काल अपनी टीम को पंजीकृत पते पर भेजती है, एम्बुलेंस को कॉल करती है और कॉल करने वाले की मदद करती है। पुलिस लैंडलाइन या मोबाइल फोन पर स्पीड डायल स्थापित करने में भी सहायता करती है।

दैनिक चेक-इन एक सेवा है जो पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों और उनके पति या पत्नी को प्रदान की जाती है जहां पुलिस हर रोज वरिष्ठ नागरिकों के साथ चेक इन करती है, उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं का पता लगाती है, तथा उनको सुरक्षा उपायों के बारे में अवगत करवाती है।

8. सूरत ग्रामीण पुलिस 'वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा'

इस योजना के अंतर्गत सूरत पुलिस महीने में एक बार अपने क्षेत्र में निवासित वरिष्ठ नागरिकों से उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुलाकात करती है, जिसमें जिले के कांस्टेबल से पुलिस अधीक्षक स्तर के सभी अधिकारी शामिल होते हैं। मुलाकात के दौरान उनके सामाजिक, मानसिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाती है तथा उनके कल्याण के लिए बनाई योजनाओं, उनसे मिलने वाले लाभ, योजना में शामिल होने की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

उपसंहार-

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिये पुलिस द्वारा चलाई जा रही उपरोक्त परियोजनाएं एवं पहल अपने आप में अनूठी मिसाल हैं। जिससे वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज में एक आत्मविश्वास तथा सुरक्षा की भावना पैदा होती है। साथ ही आम जन में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं विश्वास का निर्माण होता है। अन्य पुलिस एजेंसियों को भी इन परियोजनाएं एवं पहल का अनुकरण करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची एवं वेब लिंक-

- क्राइम इन इंडिया, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो
- भारत का संविधान
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (MWPSC) अधिनियम, 2007
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण

और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
- वृद्ध नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1999
- वृद्ध नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2011
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि
- :: DELHI POLICE Shanti Sewa Nyay ::
- 201907030907416174623COMMUNITYPOLICINGFORSENIORCITIZENS-MM-02.pdf (bprd.nic.in)
- APC-2022-FINAL-(24-2-22).ppt (live.com)
- Community Policing for Senior Citizens (slideshare.net)
- Cyberabad police launch helpline for safety, security of senior citizens (siasat.com)
- Cyberabad Police launches new initiative to help senior citizens - Telangana Today
- ElderLine - A Mumbai Police Initiative for Senior Citizens - VCAN (togethervcan.in)
- Mumbai Police mulls putting up senior citizen help desks at stations to counsel elderly (timesnownews.com)
- NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS (who.int)
- Police Initiatives To Help Senior Citizens In India (silvertalkies.com)
- Police take initiative, help citizens connect with neighbourhood officers - The Hindu
- Preface (socialjustice.gov.in)
- Press Information Bureau (pib.gov.in) CII_2021Volume 2.pdf (ncrb.gov.in)
- Social Initiative - Kolkata Police and The Bengal social initiative for senior citizens Pronam - Telegraph India
- Surat Rural police initiative aims at providing 'social protection' for senior citizens (aninews.in)

चित्र/ छायांकन आभार-

- :: DELHI POLICE Shanti Sewa Nyay ::
- Cyberabad police launch helpline for safety, security of senior citizens (siasat.com)
- Community Policing for Senior Citizens (slideshare.net)

****

आत्महत्या : एक वैश्विक चुनौती
(पुलिस प्रशासन व आत्महत्या की समस्या का अवलोकन)

डॉ. नाज़िया खान
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया

शोध-सार

आत्महत्या को रोकने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो समस्या के मूल कारणों को संबोधित करता है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, युवा लोगों के लिए सहायक वातावरण को बढ़ावा देना,कलंक और भेदभाव को कम करने के लिए काम करना शामिल है। स्कूल, माता-पिता और समुदाय सभी मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने, संसाधन और सहायता प्रदान करने और युवा लोगों को जोड़ने और मूल्यवान महसूस करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने से युवा आत्महत्या को रोकने में एक भूमिका निभा सकते हैं। यह पत्र वर्तमान अनुसंधान और डेटा के संदर्भ में युवा आत्महत्या के कारणों और परिणामों के साथ-साथ रोकथाम रणनीतियों अध्ययन शामिल है।

बीज शब्द : *आत्महत्या, युवा-आत्महत्या, मानसिक स्वास्थ्य, कोविड-19, सरकारी-नीति।*

परिचय:

दुनियाँ में प्रत्येक वर्ष मरने वालों के संख्या व उसके कारणों पर नज़र डालने पर पता चलता है कि 80,000 से अधिक लोगों के मृत्यु का कारण आत्महत्या है। यूएन के अनुसार 197 में से केवल 40 देशों में आत्महत्या रोकथाम पर राष्ट्रीय नीति है।[1] इस संख्या में अधिकतम मरने वालों कि आयु का औसत 40 साल से भी कम है। सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों सहित कई कारकों के कारण देशों और क्षेत्रों के बीच आत्महत्या की दर व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। "आत्महत्या करने वाले सभी व्यक्ति मरना नहीं चाहते हैं और ना ही व्यक्ति आत्महत्या से मरना चाहता है।" आत्महत्या की घटना के पीछे जरूर कोई महवपूर्ण घटना या मकसद होता है। फ्रायड के अनुसार आत्महत्या के पीछे मकसद 'इच्छा को मारने की इच्छा', 'डाई टू डाई' और 'इच्छा को मारने की इच्छा', और दुरखिम के समाजशास्त्रीय टाइपोलॉजी से परे हो सकता है; और मदद के लिए सिर्फ एक रोने की तुलना में अधिक जटिल हो सकता है। आत्महत्या का मकसद पहचान की आवश्यकता के रूप में विविध हो सकता है, जैसा कि 'कॉपी-कैट' आत्महत्याओं (जिसे वेथर इफ़ेक्ट भी कहा जाता है) के मामले में भ्रम संबंधी विश्वासों के रूप में देखने को मिलता है। आत्महत्या पर एक भारतीय अध्ययन ने 'द विश फॉर चेंज' और 'द

1 Preventing Preventing suicide suicide A global imperative A global imperative.WHO

विश टू डाई' समूहों में प्रेरणा को वर्गीकृत किया और पाया कि पूर्व में कम घातकता (lethality) थी, उनके प्रयास के लिए योजना की कमी, बचाव की अधिक संभावना और प्रयास के दौरान नशे में नहीं थे। बाद के समूह ने अधिक कठोर उपायों का उपयोग किया, जैसे कि फांसी और शराब के साथ एक मनोरोग विकार होने की अधिक संभावना थी। हालांकि, देशों के बीच आत्महत्या की सीधी व सटीक तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि यह मृत्यु अन्य कारणों के परिमाण से भी प्रभावित होता है। दुनिया भर में आत्महत्या की एक अलग तुलना पाने के लिए हम आत्महत्या दरों का उपयोग कर सकते हैं।

विश्व स्तर पर, 2019 में आत्महत्या से प्रति एक लाख लोगों पर 9 लोगों की मृत्यु दर्ज की गयी थी। पूर्वी यूरोप, दक्षिण कोरिया, जिम्बाब्वे, गुयाना और सूरीनाम में लगभग 20 से अधिक संख्या प्रति एक लाख पर आत्महत्या की दर रही व उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व, इंडोनेशिया, पेरू और कुछ भूमध्यसागरीय देशों में यह पाँच से भी कम दर्ज कि गयी। दुनिया भर के देशों में हो रहे आत्मह्त्या के आकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह अंतर दस गुना तक है। 2019 में दक्षिण कोरिया में 4.5 %, कतर में 3.0% और श्रीलंका में 3.3% और भारत में सापेक्ष परिवर्तन (+12%) के साथ यह 2.08% है। वहीं,ग्रीस में0.4% व इंडोनेशिया में0.5% है जो की दस गुना कम है।वर्ष 2019 के वर्ल्ड पापुलेसन रिवियू के आकड़ों को देखे तो भारत में आत्महत्या की दर 12.7 प्रतिशत रही है। वहीं इन आकड़ों में महिलाओं की तुलना में पुरुष आत्महत्या की दर 3 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2020 में 153052 लोगों ने भारत में आत्महत्या की अगर इसे दूसरे तरह से कहा जाय तो 419 लोग हर दिन व हर घंटे 10 से 11 की मृत्यु आत्महत्या से हुयी हैं।

Country	Rate 2019 (Both)	Rate 2019 (Male)	Rate 2019 (Female)
Lesotho	72.4	116	30.1
South Korea	28.6	40.2	16.9
Russia	25.1	43.6	9.1
South Africa	23.5	37.6	9.8
Ukraine	21.6	39.2	6.5
United States	16.1	25	7.5
Japan	15.3	21.8	9.2
Sri Lanka	14	22.3	6.2
India	12.7	14.1	11.1
Nepal	9	16.4	2.7
Pakistan	8.9	13.3	4.3
China	8.1	9.8	6.2
United Kingdom	7.9	11.8	4
United Arab Emirates	6.4	8	3
Afghanistan	4.1	4.6	3.6
Myanmar	2.9	4.9	1.1
Antigua and Barbuda	0.4	0	0.8

सोर्स: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/suicide-rate-by-country

1971 से 2020 तक भारत में आत्महत्याओं की संख्या (1,000 में)

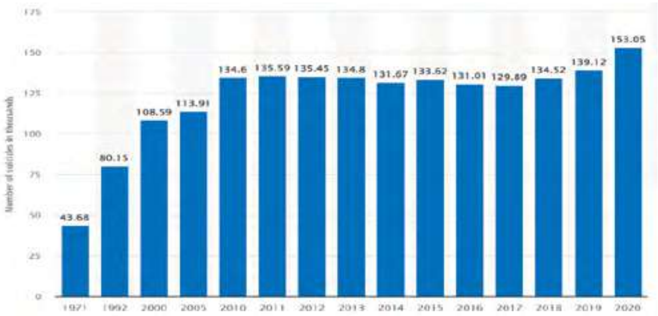

सोर्स: Statista 2022. https://www.statista.com/statistics/665354/number-of-suicides-india

युवा आत्महत्या दुनिया भर में एक बढ़ती चिंता है जिसमें रोकथाम के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, आत्महत्या 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है, और 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है। युवा आत्महत्या के परिणाम परिवारों, दोस्तों और समुदायों के लिए विनाशकारी हैं।अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकार युवा लोगों को अभिभूत महसूस कर सकते हैं और दैनिक जीवन के तनाव से निपटने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, कई युवाओं के पास पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है , या मदद मांगने के बारे में शर्म महसूस करते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के एक अध्ययन के अनुसार, आत्महत्या से मरने वाले 60% से अधिक युवाओं को उनकी मृत्यु के समय एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का निदान किया गया था। एक अन्य कारक जो युवा आत्महत्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है, सामाजिक अलगाव और परिवार और दोस्तों से समर्थन की कमी। सोशल मीडिया एवं आधुनिक जीवन के अन्य दबाव युवाओं में एकाकीपन को बढ़ावा दे रहें हैं जिससे भी युवा पीढ़ी अपनी समस्याओं को दूसरों को बताने में असमर्थ महसूस करता है। LGBTQ+ युवाओं के लिए विशेष रूप से सामना करते हैं,जो परिवार एवं साथियों से भेदभाव व अस्वीकृति का सामना करते है।

सोर्स: NCRB रिपोर्ट, 2020.

भारत की किशोर और युवा (25 वर्ष से कम आयु) कुल आबादी का 53.7% आबादी है। भारत की युवा आबादी में आत्महत्याओं की उच्च संख्या है। 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, एक छात्र ने हर 42 मिनट में अपना जीवन लिया; वहीं हर दिन, 34 से अधिक छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। एनसीआरबी की आकस्मिक मौतों और भारत में आत्महत्याओं (एडीएसआई) की रिपोर्ट के अनुसार (2020), देश के लगभग 8.2% छात्रों की मौत का कारण आत्महत्या है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 30 साल से कम उम्र के 64,114 लोगों ने 2020 में अपनी जान ले ली। अनुमान है कि 60 व्यक्तियों में से एक हमारे देश में आत्महत्या से प्रभावित होता है, जिसमें आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोग और आत्महत्या से एक करीबी परिवार के सदस्य या दोस्त की मृत्यु से प्रभावित होते हैं। इसलिए, आत्महत्या को एक बहुआयामी सार्वजनिक और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत और

सामूहिक अस्तित्व के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक स्थानों के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है।2

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा गृह मंत्रालय के तहत जारी रिपोर्ट ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के 10,732 व्यक्तियों की मृत्यु 2021 में आत्महत्या से हुई थी, जो 1,64,033 के कुल आत्महत्या के आंकड़े में से 6.54% है। यह कदम उठाने वाले 10,732 नाबालिगों में से 5,075 लड़के, 5,655 लड़कियां और दो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं। पारिवारिक मुद्दों को 3,233 मौतों के कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जबकि प्रेम संबंधी मामलों के बारे में कहा गया है कि 1,495 आत्महत्या, परीक्षा विफलता 864 मौतें, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और शराब की लत 116 मौतें, और कैरियर के मुद्दों के कारण 105 मौतें हुयी।3किसानों द्वारा की गयी आत्महत्या में 7% लोग शामिल हैं जिन्होंने 2020 में आत्महत्या कर ली थी और किसानों की आत्महत्याओं को एक समस्या के रूप में मान्यता दी जाती है। कृषि संकट, सामाजिक और जलवायु परिस्थितियों और सरकारी नीति विफलता सहित समस्याओं के लिए एक मेजबान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। वहीं युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की समस्या को उस गंभीरता के स्तर से रेखांकित नहीं किया जा रहा है,जितनी आवश्यकता है। वहीं कोविड महामारी के दौरान 30 से 59 की उम्र के 50 फीसदी लोगों ने कोविड पॉजिटिव होने के पहले हफ्ते में खुदकुशी की जिसके पीछे कारण रहा; सामाजिक एकांत,कोविड-19 संक्रमण के कारण भेदभाव,आर्थिक तनाव, बदलती लाइफ स्टाइल,मानसिक स्वास्थ्य आदि।

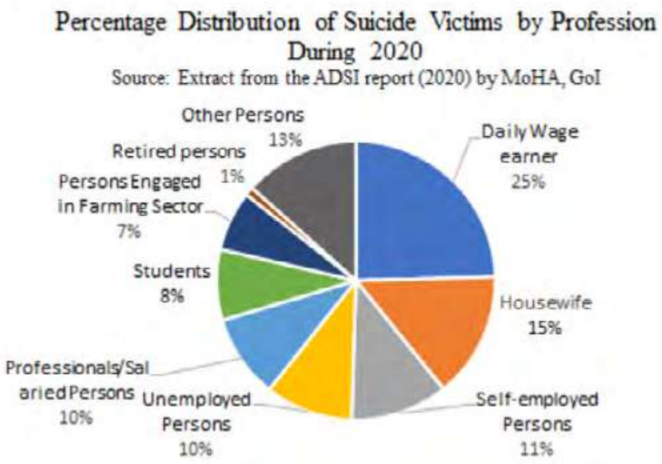

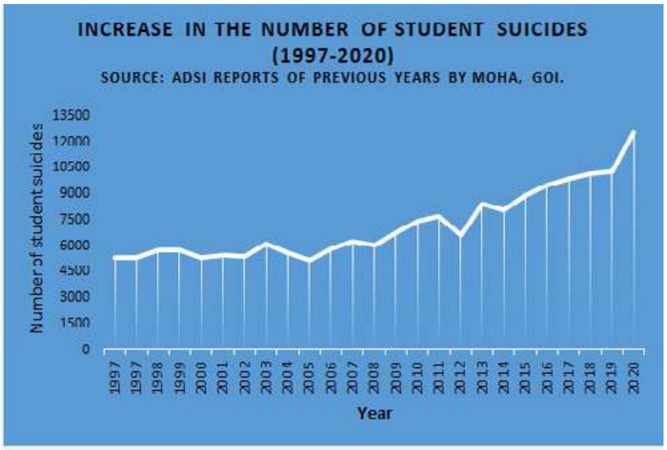

Note: The NCRB only began including data on student's suicides in the report in 1997.

सोर्स: SipoySarveswar and Johns Thomas (2022). 'Academic Distress' and Student Suicides in India

पुलिसकर्मी व आत्महत्या:

साल 2019 (30 नवंबर, 2018 तक) में केंद्रीय राज्य मंत्री ने सदन में कहा कि पिछले 5 सालों में

2 SipoySarveswar and Johns Thomas (2022). 'Academic Distress' and Student Suicides in India: A Crisis That Needs to be Acknowledged. June 2, 2022. The Wire.https://thewire.in/rights/academic-distress-and-student-suicides-in-india

3 Teenagers account for 6.6 per cent of total suicides in country, reveals ADSI report.https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2022/sep/10/teenagers-account-for-66-per-centof-total-suicides-in-country-reveals-adsi-report-2496579.html

अर्धसैनिक बलों सहित अबतक 930 पुलिस कर्मियों की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई। पिछले एक दशक में किसी भी वर्ष की तुलना में 2020 और 2021 के कोविड -19 के वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ[4]) के कर्मियों की मृत्यु आत्महत्या से अधिक हुई और पिछले 10 वर्षों में 1,200 से अधिक कर्मियों ने आत्महत्या किया। वर्ष 2021 में सीएपीएफ के 156 और 2020 में 143 कर्मियों ने आत्महत्या की। आंकड़ों के मुताबिक, 2019 में ऐसी 129 मौतें दर्ज की गयी।[5] कुल 165, 167 और 157 पुलिस कर्मियों ने क्रमशः 2014, 2015 और 2016 में आत्महत्या कर ली। दिल्ली में 54 से अधिक पुलिस कर्मियों ने पिछले चार वर्षों में आत्महत्या की। तमिलनाडु में, 166 पुलिसकर्मियों ने 2010 और 2014 के बीच अपनी जान ले ली, जबकि महाराष्ट्र और केरल में, यह आंकड़ा क्रमशः 161 और 61 था। पिछले तीन वर्षों में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल के 105 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली। इन सभी आकड़ों के अध्ययन से अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि इनके काम के तरीको व इसके पीछे के कारकों को ध्यान में रखकर विचार करने कि जरूरत है नहीं तो यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाएगी।[6]

आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक पत्रिका में "ए फोर्स स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेस" नामक एक रिपोर्ट के जरिए बताता है कि " अशांत क्षेत्र (Disturbed Areas)"में सशस्त्र बलों की लंबे समय तक तैनाती कर्मियों के बीच तनाव का कारण बनती है, जिससे सहकर्मियों और आत्महत्याओं की हत्या हो जाती है। यह ऐसे क्षेत्रों में सैन्य बल के उपयोग का प्रतिबिंब है, जिसके लिए समाधान देश की राजनीति में बदलाव है ताकि "परेशान क्षेत्रों" में सुरक्षाबलों की कार्यवाही का अंत हो। इस रिपोर्ट में यह भी जोर दिया गया है कि 2003 और 2004 में, 9,414 कर्मियों को मनोरोग केंद्रों में भर्ती कराया गया था और उनमें से 993 को मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण जारी किया गया था।[7]

ये घटनाएं काफी हद तक कठोर कामकाजी परिस्थितियों, पारिवारिक मुद्दों और आवश्यकता पड़ने पर छुट्टी की अनुपलब्धता के कारण हुई हैं। 2019 में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि सीएपीएफ कर्मियों को मिलने वाली छुट्टियों को मौजूदा 75 दिनों से बढ़ाकर 100 दिन किया जाएगा। पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (राज्यों की राजधानियों को छोड़कर) में पोस्टिंग के दौरान (परिवार को रखने के लिए) अंतिम पोस्टिंग के स्थान पर सरकारी आवास की सुविधा, बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ निवारण विशेषज्ञों से वार्ता आयोजित करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। जिसके तहत व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक चिंताओं को दूर करने और बेहतर तनाव प्रबंधन के लिए नियमित रूप से ध्यान और योग का आयोजन करना जैसे उपायों पर प्रभावी रूप से कार्य

4 The CAPF comprises forces such as CRPF, BSF, CISF, ITBP, BSF, NSG and Assam Rifles (AR). Together, they have 9 lakh personnel.

5 Over 1,200 paramilitary troopers died by suicide in last 10 years: govt. https://indianexpress.com/article/india/over-1200-paramilitary-troopers-died-by-suicide-in-last-10-years-7843155/

6 Nathanael, M.P. (2019). Why policemen kill themselves. *The Hind*. July 3, 2019. https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/why-policemen-kill-themselves/article28263242.ece

7 Navlakha, G. (2006). A Force Stretched and Stressed. *EPW*, Vol. 41, Issues No. 46. https://www.epw.in/journal/2006/46/commentary/force-stretched-and-stressed.html

करना होगा। इसके अलावा, सरकार उनकी ड्यूटी के घंटों को विनियमित करके, सैनिकों के रहने की स्थिति में सुधार करके, पर्याप्त मनोरंजन/मनोरंजन, खेल, संचार सुविधाएं आदि प्रदान करके पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित कर रही है।भारतीय पुलिस के पास आत्महत्या की रोकथाम के उद्देश्य से कई कार्यक्रम होते हैं जिसमें दो तरह के कार्य होते हैं एक तो पुलिसकर्मियों के लिए, दूसरा आम व्यक्तियों के लिए है।

पुलिस कर्मियों के लिए आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम:

सहकर्मी समर्थन कार्यक्रम: इन कार्यक्रमों में पुलिस विभाग के भीतर प्रशिक्षित साथियों को शामिल किया गया है जो अपने सहयोगियों को भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करते हैं जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी): ईएपी कर्मचारियों और उनके परिवारों को गोपनीय परामर्श, चिकित्सा और अन्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पेशकश करते हैं। पुलिस विभागों के पास अपने ईएपी हो सकते हैं या बाहरी प्रदाताओं के साथ भागीदार हो सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण: पुलिस विभाग अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण की पेशकश कर सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के संकेतों को कैसे पहचानें और उचित रूप से कैसे प्रतिक्रिया दें।

मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग: कुछ पुलिस विभाग अपने अधिकारियों के लिए किसी भी संभावित मुद्दों की पहचान करने और शुरुआती हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए नियमित रूप से मानसिक स्वास्थ्य जांच करते हैं।

आम व्यक्तियों के लिए कुछ कार्यक्रम हैं जो भारतीय पुलिस द्वारा आत्महत्या को रोकने और उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करते हैं जो आत्महत्या संबंधी विचार रखते हैं:

स्नेहिता:यह केरल पुलिस विभाग द्वारा आत्महत्या महसूस करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए केरल पुलिस विभाग द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम परामर्श सेवाएं, पुनर्वास सेवाएं, और उन व्यक्तियों के परिवारों को सहायता प्रदान करता है जो आत्महत्या से मर गए हैं।

सहयोग (SAHYOG) :दिल्ली पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जो आत्महत्या के मामलों को शामिल करने वाले तनावपूर्ण स्थितियों से निपट रहे हैं।

आसरा (AASRA):एक हेल्पलाइन सेवा है जो उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो आत्मघाती महसूस कर रहे हैं। यह सेवा प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा प्रदान की जाती है जो संकट में व्यक्तियों को परामर्श और सहायता प्रदान करते हैं।

जीवन: जीवन आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा आत्मघाती महसूस करने वाले व्यक्तियों को परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम आत्महत्या की रोकथाम पर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

नवचेतना: नवचेतना मुंबई पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों को परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जो आत्महत्या के मामलों से संबंधित तनाव से संबंधित मुद्दों से निपट रहे हैं।

आत्महत्या व भारतीय कानून व्यवस्था :

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आत्महत्या को अपराध नहीं माना जाता है। हालांकि, आत्महत्या के लिए उकसाना आईपीसी की धारा 306 के तहत एक अपराध माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जो 10 साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आत्महत्या का प्रयास आईपीसी की धारा 309 के तहत एक आपराधिक अपराध है, जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी आत्महत्या करने का प्रयास करता है और इस तरह के अपराध को अंजाम देने के लिए कोई कार्य करता है, उसे साधारण कारावास की सजा दी जाएगी, जो एक वर्ष या उससे अधिक का भी हो सकता है। 2011 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और 29 राज्यों में से 25 ने आत्महत्या के प्रयासों को गैर-आपराधिक श्रेणी में लाने के लिए संसद को सिफारिश किया था। इसके बाद, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (MHCA), 2017, धारा 115, ने मानसिक बीमारी के अनुमान में आत्महत्या के प्रयासों को गैर-आपराधिक कृत्य में शामिल किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि MHCA 2017 IPC की धारा 309 को निरस्त नहीं करता है, लेकिन केवल मानसिक बीमारी का अनुमान प्रदान करता है। इसलिए, आत्महत्या के मामले अभी भी NCRB डेटा के तहत पंजीकृत हैं, और IPC के एक अलग खंड और आत्महत्याओं के उन्मूलन को धारा 305 और 306 IPC के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। 12 सितंबर, 2020 को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कानूनी डाइकोटॉमी (309 आईपीसी और एमएचसीए 2017 धारा 115) पर ध्यान दिया, चाहे वह आत्महत्या से बचे लोगों को दंडित करे या नहीं। धारा 309 की संवैधानिक वैधता अभी भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन है।[8] वर्ष 2018 में, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम पारित किया गया था जो आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और सरकार को आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि AASRA, स्नेहा इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस (NIMHANS) जैसे संगठनों के माध्यम से भारत में आत्महत्या की रोकथाम और सहायता सेवाएँ उपलब्ध हैं। यह उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझ रहे हैं और इन संसाधनों और उनके जैसे अन्य लोगों से मदद मांग सकते हैं।

आत्महत्या के कारण:

कई कारक हैं जो युवा आत्महत्या में योगदान करते हैं। कुछ प्रमुख कारकों में शामिल हैं:

मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे: मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि अवसाद, चिंता और मादक द्रव्यों के

8 Ransing R, Menon V, Kar SK, Arafat SMY, Padhy SK. Measures to Improve the Quality of National Suicide Data of India: The Way Forward. *Indian Journal of Psychological Medicine*. 2022;44(1):70-73. doi:10.1177/0253717620973416

सेवन भारत में युवा आत्महत्या के लिए प्रमुख जोखिम कारक हैं।

शैक्षणिक दबाव:युवाओं में शैक्षणिक दबाव बहुत अधिक है और कई युवा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न करने पर यह कदम उठाते हैं।

पारिवारिक मुद्दे: घरेलू हिंसा, माता -पिता के तलाक और वित्तीय कठिनाइयों जैसी पारिवारिक समस्याएं भी युवा आत्महत्या के कारण है।

सामाजिक मुद्दे: बदमाशी, उत्पीड़न, भेदभाव और सामाजिक अलगाव जैसे सामाजिक मुद्दे भी युवा आत्महत्या के कारण हैं।

(2020 के दौरान आत्महत्याओं के विभिन्न कारणों का प्रतिशत)

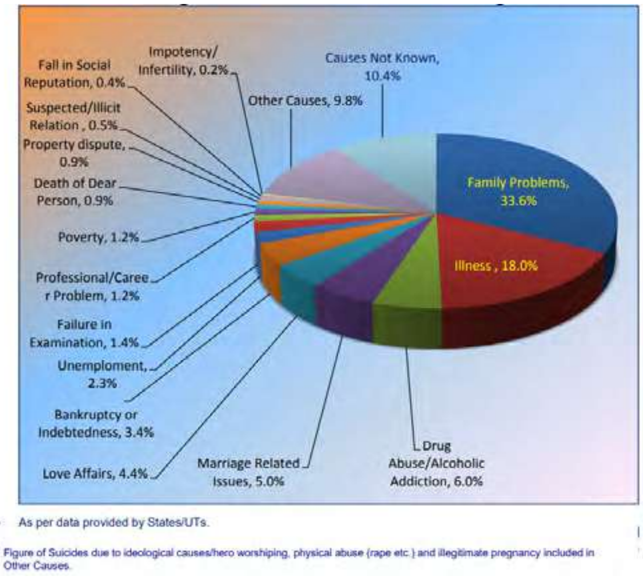

सोर्स: *NCRB Report, 2020*

आत्महत्या रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास:

आत्महत्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कई नीतियों और हस्तक्षेपों को लागू किया गया है। इनमें से कुछ में शामिल हैं:

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1982 में जनसंख्या को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम: राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम 2018 में भारत सरकार द्वारा आत्महत्या की रोकथाम पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय युवा नीति: भारत सरकार द्वारा भारत में युवा लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई थी।

यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम: द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट को 2012 में यौन शोषण से बचाने के लिए पेश किया गया था। यौन शोषण भी भारत में आत्महत्या का एक प्रमुख कारण है इसलिए यह अधिनियम भी आत्महत्या रोकथाम के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

भारतीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017): यह एक ऐतिहासिक कानून है जो सभी व्यक्तियों को मानवीय, गैर-भेदभावपूर्ण और प्रभावी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। यह अधिनियम 29 मई, 2018 को प्रभावी हुआ और पुराने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की जगह लेता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

अधिनियम, 2017 के प्रमुख प्रावधान हैं:

- ***मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिकार:*** अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार मानता है। प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का अधिकार है, और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह अधिकार कायम रहे।
- ***अग्रिम निर्देश:*** अधिनियम अग्रिम निर्देशों को मान्यता देता है, जो एक व्यक्ति द्वारा दिए गए लिखित निर्देश होते हैं कि वे किस प्रकार का उपचार चाहते हैं यदि वे अपने उपचार के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं।
- ***आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करना:*** एक्ट आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है, इसे एक आपराधिक कृत्य के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में मान्यता देता है।
- ***मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग:*** अधिनियम मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोगों की स्थापना करता है।
- ***मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान:*** एक्ट मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को परिभाषित करता है और उनके पंजीकरण, लाइसेंसिंग और कामकाज के लिए नियम निर्धारित करता है।
- ***मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की नियुक्ति:*** अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जिसमें मनोचिकित्सक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- ***इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी का निषेध:*** अधिनियम मांसपेशियों को आराम देने वाले और एनेस्थीसिया के उपयोग के बिना इलेक्ट्रो-कंवलसिव थेरेपी के उपयोग पर रोक लगाता है।
- ***संरक्षकता:*** अधिनियम मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए एक कानूनी अभिभावक की नियुक्ति का प्रावधान करता है जो अपने उपचार और देखभाल के संबंध में निर्णय लेने में असमर्थ हैं।

नेशनल टेली-मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (NTMP): यह कार्यक्रम 2018 में भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सरकारी पहल है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को देश के ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों में उपलब्ध कराना है। NTMP मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की क्षमता में सुधार करने के लिए डॉक्टरों से लेकर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को टेली-परामर्श, टेलीमेंटरिंग और टेली-प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है। एनटीएमपी के पास एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर है जिसे लोग मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए कॉल कर सकते हैं। NTMP को भारत के विभिन्न राज्यों में लागू किया गया है, जिनमें असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड शामिल हैं। यह कार्यक्रम विशेष रूप से दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में उपयोगी रहा है, जहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित है।

किरण हेल्पलाइन: यह सितंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन का उद्देश्य संकट में लोगों को मुफ्त और गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना है और यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। हेल्पलाइन कॉल करने वाले के क्षेत्र में उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। यह सेवा नि:शुल्क है और कॉल करने वाले गुमनाम रहना चुन सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, हेल्पलाइन को लॉन्च होने के पहले दो हफ्तों में 6,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुए। कॉल करने वालों में अधिकांश महिलाएं थीं, और रिपोर्ट की जाने वाली सबसे आम समस्याएं चिंता, तनाव और अवसाद थीं। यह हेल्पलाइन दूर-दराज के क्षेत्रों में उन लोगों तक पहुँचने में भी सफल रही है जहाँ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ दुर्लभ हैं। किरण हेल्पलाइन का प्रभाव व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने से परे है। इसने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इससे जुड़े कलंक को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हेल्पलाइन को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया है, और इसने लोगों को अपनी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।

हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। बड़ी चुनौतियों में से एक देश में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में प्रति 100,000 लोगों पर केवल 0.3 मनोचिकित्सक हैं। यह कमी देश में किरण हेल्पलाइन और अन्य मानसिक स्वास्थ्य पहलों की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती है। किरण हेल्पलाइन भारत के मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य में एक बहुत जरूरी पहल है। इसने संकटग्रस्त लोगों के लिए एक जीवन रेखा प्रदान की है और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, देश में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करने और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

आत्महत्या के संकेत:

यह जानना हमेशा संभव नहीं होता है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या के बारे में कब सोच रहा है लेकिन कुछ संभावित चेतावनी संकेतों में शामिल हैं:

- मौत के बारे में बात करना या लिखना या बिना किसी रास्ते के फंसे हुए महसूस करना।
- निराश महसूस करना और परिवार, दोस्तों और समुदाय से पीछे हटना।
- नशीली दवाओं और शराब के सेवन में वृद्धि।
- खतरनाक, जानलेवा चीजें करना।
- भ्रम या मतिभ्रम होना।
- नियमित रूप से खुद को नुकसान पहुंचाना।
- मनोदशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

आत्महत्या के ट्रिगर:

- अनाचार या बाल शोषण।
- स्कूल या कार्यस्थल पर भेदभाव।
- स्कूल में विफलता की भावना।

- रिश्तों में असफलता का अहसास।
- रिश्ता टूटना।
- मृत्यु या तलाक के माध्यम से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की हानि।
- भेदभाव, अलगाव और रिश्ते का अनुभव परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ संघर्ष करता है क्योंकि युवा व्यक्ति समलैंगिक है।
- किसी दोस्त या रिश्तेदार की हालिया आत्महत्या, या आत्महत्या की सालगिरह या उनके किसी करीबी की मौत।

आत्मघाती विचारों का अनुभव करने वालों की मदद कैसे कर सकते हैं ?

आप एक युवा व्यक्ति की मदद करने में सक्षम हो सकते हैं यदि आप:

- सुनें और उन्हें बात करने के लिए प्रोत्साहित करें और दिखाएं कि आप उनकी चिंताओं को गंभीरता से ले रहे हैं।
- उस व्यक्ति को बताएं या दिखाएं जिसे आप परवाह करते हैं।
- उनके डर, निराशा या उदासी को स्वीकार करें।
- आश्वासन दें, लेकिन समस्या को खारिज न करें।
- पूछें कि क्या वे खुद को चोट पहुँचाने या अपनी जान लेने की सोच रहे हैं और क्या उनके पास कोई योजना है।
- सुनिश्चित करें कि उनके पास घातक हथियारों या दवाओं तक पहुंच नहीं है।
- व्यक्ति के साथ रहें यदि वे आत्महत्या के उच्च जोखिम में हैं।
- तुरंत किसी और को बताएं, अधिमानतः एक वयस्क।
- पेशेवरों से मदद लें,और सहायता प्रदान करने की पेशकश करें।
- उन्हें बताएं कि उन्हें कहां से मदद मिल सकता है।
- संपर्क नंबर प्रदान करें और यदि आवश्यक हो तो कॉल करने में उनकी सहायता करें।

आत्महत्या के विचारों का अनुभव करने वाले व्यक्ति का मदद करते समय किन बातों से बचना चाहिए?

- खुद की कहानियों में बाधा डालना।
- घबराना या गुस्सा होना।
- निर्णयात्मक होना।
- उन्हें वह सब कुछ बताना जिसके लिए उन्हें जीना है।
- बहुत अधिक सलाह देना।

आत्महत्या को रोकने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो समस्या के मूल कारणों की पहचान करता है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, युवा लोगों के लिए सहायक वातावरण को बढ़ावा देना और कलंक और भेदभाव को कम करने के लिए काम करना शामिल है। स्कूल, माता -पिता और समुदाय सभी मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने, संसाधन और सहायता प्रदान करने और युवा लोगों को जोड़ने और मूल्यवान महसूस करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने से युवा आत्महत्या को रोकने में एक भूमिका निभा सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को महत्व करना,

शैक्षणिक दबाव को कम करना, परिवारों को सहायता प्रदान करना और प्रभावी नीतियों और हस्तक्षेपों को लागू करना भारत में युवाओं को आत्महत्या को रोकने में मदद कर सकता है।

आत्महत्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझ रहे युवाओं के लिए प्रभावी समर्थन और संसाधन प्रदान करने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। आत्महत्या एक जटिल मुद्दा है जिसमें रोकथाम के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इन मूल कारणों को संबोधित करके और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देकर, हम आत्महत्या को रोकने और दुनिया भर के युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए काम कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ-सूची:

- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Suicide prevention: youth suicide. https://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide/youth-suicide.html
- Gururaj, G., et al. (2016). Suicide prevention: A Proposed National Strategy. Indian Journal of Psychiatry, 58(1), 5-11.
- National Crime Records Bureau. (2019). Accidental Deaths and Suicides in India - 2019. Ministry of Home Affairs, Government of India.
- National Institute of Mental Health. (2020). Suicide prevention. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/suicide-prevention/index.shtml
- NCRB Report, 2020.
- NIMHANS. (2020). National Mental Health Survey of India, 2015-16: Prevalence, Patterns and Outcomes. Bangalore: National Institute of Mental Health and Neurosciences
- Our World in Data: Our World in Data is an online platform that provides data on a range of global issues, including suicide rates. https://ourworldindata.org/suicide

****

पुलिस बलों में इमोशनल इंटेलिजेंस:- आवश्यकता क्यों ?

श्री हरीश चंद्र सिंह नेगी, डॉ अनामिका पांडे, श्रीमती शीतल नेगी

वर्तमान तेजी से बदलते परिदृश्य में पुलिस एवं सुरक्षाबलों की कार्यशैली और कार्यप्रणाली को मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि ये कार्मिक संवेदनशील , सक्रिय, सहानुभूतिपूर्वक जनता के हितों के लिए कार्य करेंI इसी परिदृश्य में पुलिस एवं सुरक्षाबलों के कार्मिकों की कार्यशैली एवं कार्यप्रणाली को सुधारने पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इमोशनल इंटेलिजेंस (Emotional Intelligence - भावनात्मक बुद्धिमत्ता) को एक प्रभावी कारक के तौर पर देखा जा सकता है।

सुरक्षाबलों का काम अक्सर तनावपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण होता है। उन्हें विभिन्न परिस्थितियों, आपातकालीन स्थितियों को संभालने की आवश्यकता होती है। सुरक्षाकर्मी आमतौर पर अग्रिम पंक्ति में होते हैं और उन्हें विभिन्न कठिन परिस्थितियों, खतरनाक अपराधिक गतिविधियों इत्यादि जटिल मुद्दों से निपटना पड़ता है । इन कार्मिकों के अधिकांश कार्यों में लोगो की तीव्र भावनाओं और तनावपूर्ण स्थितियों से निपटना शामिल है। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षाबलों के कार्मिको में इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत आवश्यक हैं ताकि वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख, जनता की भावनाओं को नियंत्रित कर स्थिति को नियंत्रण में रखें और कानून व्यवस्था को बनाए रखें।

सामान्यत: पुलिस की छवि को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है परंतु कोविड-19 के दौरान पुलिस बलों और सुरक्षा बलों की भूमिका को भारत में न केवल मीडिया, नेताओं एवं अन्य संगठनों से प्रशंसा मिली बल्कि आम जनता ने भी, पुलिस एवं सुरक्षाबलों की कोविड-19 से निपटने के लिए आम लोगों की जो बढ़-चढ़कर मदद की, उसकी प्रशंसा की। इसे अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के संबंध में देखें तो यहां पर पुलिस बलों द्वारा कोविड-19 से आम जनता को हो रही परेशानी और उनकी समस्याओं को समझा और साथ ही साथ पुलिस द्वारा उनकी भावनाओं को समझ कर उनके प्रति सहानुभूति रखकर और संवेदनशील होकर लोगों की हर तरफ से मदद करने की कोशिश की गई, जो की संवेदनशील पुलिसिंग के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है । परंतु आम परिस्थितियों में पुलिस द्वारा जनता की अपेक्षित मदद नहीं की जाती है इस दिशा में हमें और काम करने की जरूरत है।

इमोशनल इंटेलिजेंस के संबंध में, डैनियल गोलेमन ने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और इसे विशेष रूप से " ईमोशनल इंटेलिजेंस" के नाम से प्रस्तुत किया है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें अपनी भावनाओं को पहचानने, ध्यान देने और नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हम अपने आप को और अपने आस-पास के माहौल को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह हमें भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने की क्षमता देती है, जो हमारे रिश्तों, नौकरी, और सामाजिक परिवेश में सफलता को बढ़ाने में मदद करती है। दूसरे

शब्दों में कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण गुण/दक्षता/कौशल है जो व्यक्ति विशेष को अपनी स्वयं की आंतरिक भावनाओं, मनोभावों को समझने की जागरूकता एवं साथ ही अन्य लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता है। यह व्यक्ति विशेष को उसकी स्वयं की भावनाओं को पहचानने एवं दूसरे व्यक्ति की भावनाओं से अलग करने एवं उन भावनाओं से बिना अभिभूत हुए/ प्रभावित हुए उनको प्रबंधित करता है।

इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व

जीवन में सफलता के लिए केवल तकनीकी, आर्थिक या तार्किक दक्षता ही काफी नहीं होती है। अधिकांश लोग अपने साथियों की बौद्धिक क्षमता को बहुत महत्व देते हैं परन्तु उसके अतिरिक्त कई अन्य कारक भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक दुनिया में, एक महत्वपूर्ण कौशल जो हमारी सामाजिक, आवर्ती और न्यूनतम बातचीत में मदद करता है, उसे "इमोशनल इंटेलिजेंस" कहा जाता है। यह विशेष दक्षता हमें अपनी भावनाओं, दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रभावित करने, सहयोगपूर्ण रिश्तों को संघटित करने और अधिकारिता के रूप में अच्छे नेतृत्व का प्रदर्शन करने की क्षमता प्रदान करती है। बल्कि कई अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जिनमे इमोशनल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है।

इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए तीन कौशल /गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं जिनमें शामिल है

1. भावनात्मक जागरूकता (Emotional Awareness)- इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं की भावनाओं की सही पहचान करता है और उन्हें एक नाम देता है।
2. भावनात्मक प्रबंधन (Emotional Management)- इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रबंधित एवं विनियमित करता है और उन्हें सही तरीके से विभिन्न कार्यों में लागू करता है।
3. सहानुभूति (Empathy)- दूसरे लोगों के मौखिक एवं गैर मुख्य संकेतों को देखकर पहचानना और उनका पता लगाने की योग्यता है जिससे उनकी स्थिति की एक बेहतर समझ विकसित होती है।

इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व अब व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त कर रहा है। हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढाकर, हम अपने स्वयं के सुख, संतोष और सफलता को बढ़ा सकते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें अपने और दूसरों के साथ संबंध बनाने और समझौते करने में मदद करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें खुशहाल और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करती है और हमें स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाए रखने में सहायक होती है।

इमोशनल इंटेलिजेंस के घटक

इमोशनल इंटेलिजेंस के घटक हमारे संबंध, व्यक्तित्व, और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन को सफलतापूर्वक निर्माण करने में मदद करते हैं।इमोशनल इंटेलिजेंस के निम्नलिखित घटक (Components of Emotional Intelligence) हैं:

1. स्वयं-जागरण (Self-Awareness): यह हमारी अपनी भावनाओं, विचारों, और क्रियाओं को

समझने की क्षमता है। हमें अपने संवेदनशीलता और भावनाओं को पहचानने में मदद करती है।

2. स्वयं-प्रबंधन (Self-Management): यह हमें अपनी भावनाओं को संभालने, सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करने, और तनाव को कम करने की क्षमता प्रदान करता है।

3. सामाजिक संवेदनशीलता (Social Awareness): यह हमें दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और प्रतिक्रियाओं को समझने की क्षमता है।

4. संबंध बनाने की क्षमता (Relationship Building): यह हमें अच्छे संबंध बनाने, दूसरों के साथ समझौते करने और सहयोग करने की क्षमता प्रदान करता है।

5. प्रभावशाली संचालन (Effective Leadership): यह एक संगठन या समूह को संचालित करने और प्रभावशाली नेतृत्व करने की क्षमता है।

इमोशनल इंटेलिजेंस

भावनात्मक प्रबंधन और जागरूकता किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कार्यस्थल की सामाजिक जटिलताओं को सही करने, करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने, तनाव के स्तर को प्रबंधित करने, अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने, अपनी भावनाओं को समझकर और स्वीकार करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दूसरों का नेतृत्व करने और दूसरों को प्रेरित करने, मजबूत संबंध बनाने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखने आदि शामिल है।

इमोशनल इंटेलिजेंस से हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है और हमें समृद्ध और सामान्य जीवन जीने में मदद मिलती है। इमोशनल इंटेलिजेंस (Emotional Intelligence) के निम्नलिखित लाभ (Benefits) हैं:

1. संगठन की प्रभावशीलता एवं सफलता : इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों को संगठित करने और समूह में कार्य करने में सहयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। इससे संगठनों में अच्छे संबंध बनाने और सफलता को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

2. सामंजस्यता : इमोशनल इंटेलिजेंस संबंधों की अच्छी देखभाल करने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में विभिन्न लोगो के साथ अच्छे संबंधों को बनाये रखने में सक्षम बनाती है।

3. नेतृत्व कौशल: इमोशनल इंटेलिजेंस प्रभावी नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद करती है। यह समूह में प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने और संगठनों को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करती है।

4. विवादों का समाधान : इमोशनल इंटेलिजेंस तनाव को संभालने, विवादों को समझने और उन्हें समाधान करने में मदद करती है। यह समस्याओं का समाधान ढूंढने और उन्हें प्रभावी तरीके से परिणामस्वरूप निपटाने में सक्षम बनाती है।

5. स्वस्थ मानसिक स्थिति: इमोशनल इंटेलिजेंस मानसिक स्थिति को संभालने में मदद करती है। यह तनाव को संभालने, सकारात्मक तरीके से

सोचने और स्वस्थ मानसिकता बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है।

पुलिस की सामान्य कार्यप्रणाली

पुलिस एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा का कार्य करती है, जो समाज की सुरक्षा, न्याय और अपराध नियंत्रण को सुनिश्चित करती है। पुलिस सामाजिक सुरक्षा और सद्भावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और समाज को सुरक्षित, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण बनाने में मदद करती हैं।

पुलिस सामान्य कार्यप्रणाली में निम्नलिखित कार्य करती है:

1. सुरक्षा और अपराध नियंत्रण: पुलिस का मुख्य कार्य है समाज की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण करना। वे चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और अन्य अपराधों के खिलाफ नियंत्रण और दंडाधिकारी कार्रवाई करते हैं।

2. सामाजिक सुरक्षा और सहायता: पुलिस लोगों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती हैं। वे घरेलू हिंसा, बाल अपहरण, बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न और अन्य सामाजिक अन्याय के मामलों में सहायता प्रदान करते हैं।

3. जांच और संगठन: पुलिस अपराध और अपराधियों की जांच करती हैं। वे अपराधी की पकड़ कर उसे न्यायिक प्रक्रिया में लाते हैं और उसे अदालत में पेश करते हैं। वे अपराध के शिकार लोगों की मदद करते हैं और उन्हें सही न्याय प्राप्त करने में मदद करते हैं।

4. ट्रैफिक नियंत्रण: पुलिस ट्रैफिक नियंत्रण करती हैं और सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करती हैं। वे सड़कों पर नियंत्रण करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करवाते हैं, दुर्घटनाओं की रोकथाम करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए लोगो को जागरूक करते है ।

5. सामाजिक सद्भावना : पुलिस सामाजिक सद्भावना बनाए रखने का भी कार्य करती हैं। वे समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के साथ मिलजुलकर काम करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करते हैं।

6. साक्षरता अभियान और जागरूकता : पुलिस विभिन्न साक्षरता और सामाजिक अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वे लोगों को जागरूक करते हैं, अभियानों का संचालन करते हैं और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देते हैं।

पुलिस बल में इमोशनल इंटेलिजेंस

इमोशनल इंटेलिजेंस विशिष्ट भावनात्मक और सामाजिक दक्षताओं को संदर्भित करती है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए प्रभावी ढंग से अपना काम करने के लिए आवश्यक हैं। इन दक्षताओं को प्रदर्शित करना और उन्हें सही तरीके से और उचित समय पर लागू करने में सक्षम होना- सफल पुलिसिंग के लिए आवश्यक है।

इन दक्षताओं में शामिल हैं: आत्मविश्वास, आशावाद, आत्म नियंत्रण, आत्म-बोध, विवाद प्रबंधन, तनाव सहनशक्ति, पहल, सहानुभूति, समानुभूति, सामाजिक जिम्मेदारी, अंत वैयक्तिक संबंध इत्यादि।

पुलिस बल में इमोशनल इंटेलिजेंस (Emotional Intelligence) का महत्व निम्नलिखित है:

1. स्वयं-प्रबंधन: इमोशनल इंटेलिजेंस पुलिसकर्मियों को अपनी भावनाओं, तनाव के प्रबंधन, और स्वस्थ मानसिक स्थिति की समर्थता प्रदान करती है, उनकी कार्यशीलता और परिणामशीलता को बढ़ाती है एवं उनके सामरिक ताकत को मजबूत करती है।

2. विवादों का समाधान : इमोशनल इंटेलिजेंस पुलिसकर्मियों को संघर्षात्मक स्थितियों को संभालने की क्षमता प्रदान करती है। वे उचित रूप से संवेदनशील होते हैं, पीड़ित व्यक्तियों के साथ संवेदनशीलता दिखाते हैं, और संघर्ष स्थितियों में सुरक्षित और न्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं।

3. सामंजस्यता और सामाजिक संवेदना: इमोशनल इंटेलिजेंस पुलिसकर्मियों को सामंजस्यता और सामाजिक संवेदना में मदद करती है। वे सामूहिक तौर पर काम करने, टीम के साथ सहयोग करने, और सामाजिक सद्भावना बनाए रखने में मदद करती हैं। यह उन्हें संगठन और समुदाय के सदस्यों के साथ मिलनसार और सहयोगपूर्ण रिश्ते बनाने में सक्षम बनाती है।

4. प्रभावशाली नेतृत्व और संगठन: इमोशनल इंटेलिजेंस पुलिसकर्मियों को संगठन में मजबूती और प्रभावी नेतृत्व कौशल प्रदान करती है। वे संगठन को संचालित करने, कार्यों को व्यवस्थित करने, और अच्छे नेतृत्व के माध्यम से टीम को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं।

5. संवेदनशीलता : इमोशनल इंटेलिजेंस पुलिसकर्मियों को अपराधियों, गवाहों और सामान्य लोगों की समझदारी और संवेदनशीलता प्रदान करती है। वे तत्परता से सुनते हैं, साक्ष्यों को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ निभाते हैं और सभी को न्यायपूर्ण व्यवहार की गारंटी देते हैं।

पुलिस बल में इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता

इमोशनल इंटेलिजेंस (Emotional Intelligence) पुलिस कार्मिकों के लिए बहुत आवश्यक है। पुलिस आमतौर पर अग्रिम पंक्ति में होते हैं, हिंसक स्थितियों, खतरनाक आपराधिक गतिविधियों और जीवन या मृत्यु के परिदृश्यों से निपटते हैं। उनके अधिकांश कार्यों में मजबूत भावनाओं और तनावपूर्ण स्थितियों से निपटना शामिल है। पुलिस का काम अक्सर तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है और उन्हें विभिन्न स्थितियों में संभालने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को संभालने, अपराधियों और पीड़ित व्यक्तियों के साथ संवेदनशीलता और समझदारी से काम करने, और संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल को सुधारने में मदद करता है।

उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पुलिस अधिकारी अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं वह संवेदनशील वह तार्किक होते हैं और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेते हैं इसके विपरीत कम इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पुलिसकर्मी दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को

समझने में असमर्थ होने के कारण कम संवेदनशील व कम सहानुभूति रखते हैं जिसके कारण उनके निर्णय अधिकतर अधिक बल प्रयोग व हिंसा का सहारा लेकर स्थिति को नियंत्रित करने वाले होते हैं वर्तमान परिपेक्ष में प्रत्येक पुलिसकर्मी सुरक्षा अधिकारी को इमोशनल में करना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी महत्वपूर्ण कारण से हम कम्युनिटी पुलिसिंग इत्यादि वर्तमान आवश्यकताओ को पूरा करने में सक्षम होंगे।

पुलिस बल में इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता के कारण:-

1. प्रभावी अपराध नियंत्रण : पुलिसकर्मियों के पास इमोशनल इंटेलिजेंस होने से वे अपराधियों को समझने, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से समझने और उनके साथ संवेदनशीलता से काम करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इससे उनकी अपराध नियंत्रण क्षमता में सुधार होता है और वे संवेदनशीलता के साथ अपराधियों के प्रति न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

2. सामंजस्य और सहयोग: इमोशनल इंटेलिजेंस से सुसज्जित पुलिसकर्मी सामूहिक तौर पर काम करने, टीम में सहयोग करने और सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। वे आपसी मेलजोल, सहयोग और विश्वास को बढ़ाते हैं जो उन्हें कठिन स्थितियों का सामना करने में मदद करता है।

3. सामाजिक सुरक्षा और सहायता: पुलिसकर्मी सामाजिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं और प्रभावी सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं। वे लोगों की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। यह इमोशनल इंटेलिजेंस पुलिसकर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है।

4. समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता: पुलिसकर्मी अक्सर जटिल और अस्पष्ट परिस्थितियों में जल्दी से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यह निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है, क्योंकि यह सिर्फ तथ्यांकन के साथ-साथ भावनात्मक और सामाजिक कारकों को भी ध्यान में रखती है। उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले पुलिसकर्मी तथ्यांकन को समग्र रूप से विश्लेषण कर सकते हैं, संभावित परिणामों की पूर्वानुमानी कर सकते हैं और ज्यादा सूचित और प्रभावी निर्णय ले सकते हैं।

5. प्रभावी संवाद: पुलिस को सदैव विभिन्न पृष्ठभूमियों से संवाद करने की आवश्यकता होती है, जिनमें पीड़ित, गवाह, संदिग्ध और समुदाय के सदस्य शामिल होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पुलिसकर्मियों को गैर-भर्त्सनात्मक संकेतों को समझने और अच्छी तरह से संवाद करने में सहायता करती है। इससे वे तनावपूर्ण स्थितियों को समझने और समाधान करने, संघर्षों को सुलझाने और समुदाय के साथ संबंध बनाने में सक्षम होते हैं।

6. संघटनात्मक क्षमता और नेतृत्व: यह संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें प्रभावी नेतृत्व कौशल प्रदान करता है। वे संगठन के व्यवस्था

में मदद करते हैं, टीम को प्रेरित करते हैं और संगठन में अच्छे नेतृत्व के माध्यम से अग्रसर होते हैं। पुलिसकर्मी अपनी भावनाओं, सोच के पटल, और व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझते हुए, अपने साथी कर्मियों को भी समझ सकते हैं। यह सहयोगी भूमिका निभाने में मदद करता है, जैसे कि टीम में समन्वय, संवेदनशीलता और टीम भावना को बढ़ावा देना

7. अपराध और क्षति का प्रबंधन: इससे अपराधियों के साथ व्यवहार करते समय उचित सहनुभूति और संवेदनशीलता दिखाने में मदद करती है। वे पीड़ित व्यक्तियों को सहानुभूति और समर्थन प्रदान करते हैं और उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से मदद करने के लिए सक्षम होते हैं। इसके अलावा, वे अपराध या क्षति के बाद पुलिसकर्मियों को अपनी और दूसरों की मानसिक स्थिति को संभालने की क्षमता प्रदान करती है।

8. सामंजस्यपूर्ण संबंध: इमोशनल इंटेलिजेंस से सुसज्जित पुलिसकर्मी संगठन और समुदाय के सदस्यों के साथ संघटित और अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं। वे समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उन्हें सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यह उन्हें सामाजिक विवादों को संभालने और उन्हें सही समाधान ढूंढ़ने में मदद करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पुलिसकर्मियों को सहानुभूति और दया दिखाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वे दूसरों के भावनाओं और दृष्टिकोण को समझ सकते हैं।

9. तनाव का प्रबंधन और स्थिरता : इमोशनल इंटेलिजेंस पुलिसकर्मियों को अपराध नियंत्रण और ट्रामा के साथ स्थिरता और तनाव का संभालने में मदद करती है। वे तनाव के प्रबंधन के लिए उपयुक्त तकनीकियों का उपयोग करते हैं, स्वस्थ मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वयं को संभालते हैं। यह पुलिसकर्मियों को कठिन स्थितियों के मध्य स्थिर रहने में मदद करता है और उनकी कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाता है। वे अपने भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें सक्रिय रूप से नियंत्रित करके चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शांत और तर्कसंगत रवैया बनाने में सक्षम होते हैं। दूसरों के भावनाओं को समझकर, उन्हें शांत करने और समाधान करने में भी भीड़ को कम करने में उनकी मदद कर सकते हैं। यह उनकी स्वयं-जागरूकता, स्व-नियंत्रण और तनाव प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे वे दबाव के तहत सुरक्षित और अधिक सक्रिय रूप से निर्णय ले सकते हैं।

10. सांस्कृतिक योग्यता: पुलिसकर्मियों को विभिन्न समुदायों के साथ संवाद करने की आवश्यकता होती है, जिनमें अलग-अलग संस्कृतियों, मूल्यों और अपेक्षाओं की विभिन्नता होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पुलिसकर्मियों को स्वयं-जागरूकता विकसित करने और विभिन्न दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए सक्षम बनाती है। इससे वे सांस्कृतिक संवेदनशीलता से समागम करने, पक्षपात या अपवादों से बचने और विभिन्न जनताओं के बीच विश्वास और समझ का निर्माण करने के लिए सक्षम होते हैं।

11. संघटनात्मक संवाद: इमोशनल इंटेलिजेंस पुलिसकर्मियों को संघटित संवाद की क्षमता प्रदान करती है। वे सुनने की क्षमता विकसित करते हैं, संवाद के माध्यम से जानकारी को सही ढंग से साझा करते हैं और सही समय पर संवाद करते हैं। इससे पुलिसकर्मियों के बीच सही संवाद की स्थापना होती है, जो उनके लिए सहयोग, सूचना संचार और समस्याओं के निपटान में मदद करता है।

12. पेशेवर समृद्धि: यह पुलिसकर्मियों के पेशेवर विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उनकी कार्यशीलता, सूचना संचार क्षमता, नेतृत्व कौशल और व्यक्तिगत प्रगति में सुधार होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस से सुसज्जित पुलिसकर्मी अपनी पेशेवर क्षमताओं को संवर्धित करते हैं और पदोन्नति के अवसरों का उपयोग करते हैं।

13. जीवन क्षेत्र में समानता: इमोशनल इंटेलिजेंस पुलिसकर्मियों के लिए समानता की महत्वपूर्णता को प्रतिष्ठित करती है। वे विभिन्न समुदाय और अन्य आयोजकों के साथ मिलकर काम करते हैं, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय लेते हैं, और समानता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस से सुसज्जित पुलिसकर्मी समाज में समानता और न्याय को सुनिश्चित करने में सक्षम होते हैं और विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास और समर्थन का माहौल बनाते हैं।``

पुलिस बल में इमोशनल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने के लिए तकनीक और युक्तियां:-

पुलिस बल में विभिन्न तकनीक और युक्तियों का उपयोग करके इमोशनल इंटेलिजेंस (Emotional Intelligence) को बढ़ाया जा सकता है। इंटेलिजेंस के विपरीत हम इमोशनल इंटेलिजेंस के स्तर में प्रशिक्षण के माध्यम से सुधार कर सकते हैं जिससे पुलिस अधिकारी/कार्मिक कम से कम बल का प्रयोग कर संतुष्ट नागरिक, बेहतर जनमत और पुलिस की छवि को सुधार सकते है जो अंततः पुलिस बलों की प्रभाविकता को बढ़ाएंगी।

निम्नलिखित तकनीक और युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है:

1. प्रशिक्षण और शिक्षा: पुलिसकर्मियों को इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें उन्हें स्वयं के प्रबंधन, अन्य लोगों की भावनाओं को समझना, सवेदनशील बनने की तकनीकों को सीखना और विवादों के समाधान के लिए टूल्स और तकनीकों का प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए।

2. संवेदनशीलता के लिए प्रोत्साहित करना: पुलिस अधिकारियों को इमोशनल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्णता को प्रमुखता देनी चाहिए। यह उन्हें संवेदनशीलता के साथ में सकारात्मक बातचीत करने, सभाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिसकर्मियों को प्रशंसा और प्रोत्साहन देने का अवसर प्रदान करता है।

3. सहयोग का माहौल सृजन करना: पुलिसकर्मियों को इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए सहयोग का माहौल सृजित किया जा सकता है। संगठन में एक सहयोग संरचना बनाने, पुलिसकर्मियों को खुले मन से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने

के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें ताकत तथा सहयोग प्रदान करने के लिए प्रोग्राम और नीतियों को संशोधित करना शामिल हो सकता है।

4. सतर्कता और जागरूकता: पुलिसकर्मियों को अपनी भावनाओं और उत्तेजनाओं को पहचानने, समझने और नियंत्रित करने के लिए सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। यह उन्हें उच्च स्तर के निर्णय लेने में मदद करेगा, जो इमोशनल इंटेलिजेंस को संभालने के लिए महत्वपूर्ण है।

5. संवेदनशील संगठन का निर्माण: पुलिस बल को संवेदनशील संगठन का निर्माण करने की आवश्यकता होती है, जहां संवेदनशीलता को महत्व दिया जाता है और पुलिसकर्मियों को अपनी भावनात्मक तथाकथित भूमिकाओं को स्वीकार करने, समझने और उनके साथ काम करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। इसमें प्रमुखों और अधिकारियों के बारे में उदाहरण स्थापित किए जा सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की महत्वता को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, और उपयुक्त प्रशंसा और प्रोत्साहन नीतियों का अनुसरण किया जा सकता है।

6. संवेदनशीलता के माध्यम से वार्तालाप: संवेदनशीलता के माध्यम से संगठित वार्तालापों का आयोजन करना और पुलिसकर्मियों को उनकी भावनाओं, मनोभावनाओं और अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इससे संगठन के अंदर संवेदनशीलता का माहौल बनता है और सभी कर्मियों के बीच संवेदनशील संवाद को बढ़ावा मिलता है।

7. संसाधनों को उपलब्ध कराना: पुलिस बल को इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की व्यावसायिकता, उच्च स्तर की सामग्री, अच्छी सुविधाएं और आवश्यक तकनीकी संसाधनों को शामिल किया जा सकता है। इससे पुलिसकर्मियों को अधिक अभ्यास करने, अपनी क्षमताओं को समृद्ध करने और उनकी भावनात्मक स्थिति का प्रबंधन करने के लिए संबंधित उपकरण और संसाधनों का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

8. प्रभावी नेतृत्व को प्रोत्साहन: पुलिसकर्मियों को प्रभावी नेतृत्व कौशल का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अधिकारियों को इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से सहयोगी और संवेदनशील नेतृत्व के मूल्यों को प्रदर्शित करना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और नेतृत्व के मामलों में मान्यता और प्रोत्साहन का प्रदान किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इमोशनल इंटेलिजेंस पुलिस बल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुलिसकर्मियों को सशक्त, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और सामन्जस्यपूर्ण बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा पुलिसकर्मियों को उनकी भावनाओं, मनोभावनाओं और अन्य लोगों की भावनाओं को समझने, सामन्जस्यता को बढ़ाने, लोगों से संवाद को स्थापित करने, अस्थिरता को प्रबंधित करने और व्यसायिकता को बढ़ाने की क्षमता प्राप्त होती है। इसके माध्यम से पुलिसकर्मियों का विवादों के प्रबंधन,

अपराध नियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा, संघटनात्मक क्षमता और जीवन क्षेत्र में समानता सुदृढ़ होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस से संवेदनशील पुलिसकर्मियों का कार्यक्षेत्र सुरक्षित, न्यायपूर्ण और समृद्ध होता है।

इसलिए, पुलिस बल में इमोशनल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने के लिए नियमित प्रशिक्षण, संवेदनशीलता के माध्यम से सकारात्मक वार्तालाप, संवेदनशीलता के लिए उचित माहौल की आवश्यक होती है। पुलिसकर्मियों को अपनी संवेदनाओं को पहचानने, समझने और नियंत्रित करने के लिए जागरूक और तैयार रहना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के विकास से पुलिसकर्मियों की पेशेवर क्षमताएं और प्रगति में सुधार होता है। इससे पुलिसकर्मियों को सशक्त, संवेदनशील और सद्भावनापूर्ण बनाया जाता है, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और सुरक्षा, न्याय और दक्षता के माध्यम से सशक्त और सुरक्षित समुदाय निर्माण करते हैं।

अंत में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विशेष रूप से पुलिस संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह समर्थन, समझदारी, और सहानुभूति से भरी पुलिस फ़ोर्स को बनाता है, जो समुदाय के साथ सद्भावपूर्वक संवाद करती है, समस्याओं का समाधान करती है, और समृद्धि और न्याय के लिए एक समर्थ संगठन बनाती है। इसलिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पुलिसकर्मियों के व्यक्तिगत सफलता और समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभाती है।

संदर्भ:

1. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.
2. Hu, X., & Shin, D. H. (2021). Examining the Relationship between Emotional Intelligence and Police Officer Effectiveness: The Mediating Role of Communication Skills. Journal of Police and Criminal Psychology, 36(3), 215-228.
3. Masi, D., Cangiano, F., & Isaia, L. (2020). Emotional Intelligence in Policing: An Exploratory Study. International Journal of Police Science & Management, 22(4), 516-529.
4. Schwaninger, M., Zollig, J., & Meier, B. (2003). Emotional Intelligence and Coping with Occupational Stress in Police Officers. Swiss Journal of Psychology, 62(1), 15-24.

****

बच्चों के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराध : बड़ों का मार्गदर्शन एवं सावधानी है समाधान

श्री संजय चौधरी
हिंदी अधिकारी

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। यह सच है कि कोविड 19 के कारण बच्चों और किशोरों की पढ़ाई के लिए देश में ऑनलाइन माध्यम का तेजी से प्रचलन हुआ है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में भी इस नवीन प्रौद्योगिकी का दखल बढ़ा है। आज लोगों का अधिकतम समय ऑनलाइन दुनिया में बीत रहा है। हमारे समाज में ऑनलाइन गेम, वर्चुअल दोस्ती, ऑनलाइन खरीदारी और सोशल मीडिया का हिस्सा बनने की एक नई होड़ ने जन्म ले लिया है। लेकिन ऑनलाइन बने रहने की यही होड़ साइबर अपराधों का कारण बन रही है और जिस गति से साइबर अपराधों की संख्या बढ़ रही है, वह चिंताजनक है।

आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को अधिक सुविधापूर्ण बना दिया है लेकिन इसी तकनीक के दुरुपयोग के कारण साइबर अपराधों का विस्तार भी हो रहा है। ऑनलाइन दुनिया के काले कारनामों में संलिप्त अपराधियों के द्वारा अपराधों के लिए नए-नए तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए हमारे लिए साइबर अपराधों को ठीक से समझना जरुरी है।

साइबर अपराध का विस्तार

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिस गति से नई तकनीकें आ रही हैं, उसी गति से जोखिम भी बढ़ रहे हैं। वास्तव में इंटरनेट के व्यापक प्रयोग ने नए प्रकार के सफेदपोश अपराधों को जन्म दिया है। साइबर अपराध भी एक सफेदपोश अपराध है। अधिकांश मामलों में सामान्य या पारंपरिक अपराधों की तुलना में साइबर अपराध को अंजाम देना कम जोखिमपूर्ण होता है। साइबर अपराधों के लिए एक कंप्यूटिंग डिवाइस और एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है। पारंपरिक अपराधों में ऐसे सभी अपराध आते हैं जिनका कंप्यूटर या नेटवर्क की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता यानी मुख्य रूप से ऑफ़लाइन अपराध।

साइबर अपराध को एक ऐसा कार्य माना गया है 'जो कानून का उल्लंघन करता है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके नेटवर्क, सिस्टम, डेटा, वेबसाइटों और/या प्रौद्योगिकी को लक्षित करता है या अपराध को बढ़ावा देता है (गुडमैन, और ब्रेनर, 2002; वॉल, 2007; विल्सन, 2008; आईटीयू, 2012; मारस, 2014; मारस, 2016)। साइबर अपराध पारंपरिक अपराध से अलग है क्योंकि यह "कोई भौतिक या भौगोलिक सीमा नहीं जानता" और पारंपरिक अपराध की तुलना में इसमें कम प्रयास करना पड़ता है। साथ ही, इसे अधिक आसानी और अधिक तेजी से संचालित किया जा सकता है।

साइबर अपराध को आम तौर पर मालवेयर अटैक (दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर जैसे रैंसमवेयर, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, बॉट आदि का उपयोग), फ़िशिंग

(नकली वेबसाइटों, ईमेल आदि का उपयोग करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट/डेबिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना) के रूप में समझा जाता है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले, अनधिकृत डेटा एक्सेस (डेटा उल्लंघन), ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के अलावा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे साइबर स्तर पर पीछा करना, धमकाना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि को आम साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।

हमारे देश में इंटरनेट की पहुंच में तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता 2010 में 7.5% से बढ़कर 2020 में 34.4% हो गए हैं। हर तीसरे व्यक्ति की अब इंटरनेट तक पहुंच है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने यह अनुमान लगाया है कि 2030 तक 1 अरब से अधिक भारतीयों की इंटरनेट तक पहुंच हो जाएगी। सस्ते इंटरनेट डेटा के मामले में भारत का पांचवां स्थान है तथा अधिकतर भारतीय मोबाइल डेटा पर निर्भर हैं। अनुमान है कि 2030 तक 80% ग्राहक मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट का उपयोग करेंगे।

मोबाइल फोन और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। सस्ती सेवाओं के कारण देश के हर हिस्से में और हर आयु वर्ग के बीच डिजिटल हिस्सेदारी बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान डिजिटल साक्षरता को सरकारी स्तर पर भी स्कूल, काम और जीवन के लिए आवश्यक कौशल के रूप में तेजी से पहचान मिली है। इस प्रकार, आज समाज का बहुत बड़ा तबका डिजिटल मंचों पर ऑनलाइन रुप से सक्रिय है। लेकिन जानकारों का मानना है कि डिजिटल साधनों एवं सुविधाओं की सहज उपलब्धता तथा इनके बढ़ते उपयोग का साइबर अपराधों में बढ़ोतरी के साथ सीधा संबंध है।

देश में घटित होने वाले अपराधों में साइबर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ी है। यहां तक कि साइबर अपराध के मामलों में भारत की गिनती दुनिया के उच्च साइबर अपराध वाले देशों में होती है। **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो** द्वारा जारी आँकड़ो के अनुसार वर्ष 2020 में पूरे देश में साइबर अपराध के **50,035 मामले** दर्ज किए गए थे। लेकिन वर्ष 2022 मे इन अपराधों की संख्या बढ़कर लाखों में हो गई। वास्तव में, एक साल में ही इसके आंकड़े कुछ हजार से बढ़कर दस लाख से भी ज्यादा हो गये है। हालांकि ये आंकड़े केवल उन लोगों तक सीमित हैं, जिन्होंने अपने साथ होने वाले किसी तरह के साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराई है।

देश में साइबर अपराध के मामलों में सबसे अधिक ऑनलाइन ठगी से सम्बंधित मामले हैं। लेकिन बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध अधिक चिंताजनक हैं क्योंकि इनमें से अधिकतर मामले रिपोर्ट नहीं होते और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों की वास्तविक संख्या व इनकी गंभीरता का प्रामाणिक रिकार्ड नहीं मिलता है। स्वाभाविक है कि ऐसे अपराधों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। चिंताजनक यह भी है कि साइबर जगत के संभावित खतरों को जाने-समझे बिना, आज के बच्चे बहुत कम उम्र से डिजिटल साधनों और सुविधाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं।

साइबर जगत में बच्चे

आज की वास्तविकता यही है कि पढ़ाई के मोबाइल और स्मार्ट फोन जब एक बार बच्चों के हाथ में पहुंच गए तो इंटरनेट की पूरी मायावी दुनिया ही

उनकी मुट्ठी में समा गई है। लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल कई जटिल समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। इस मामले में बच्चों के लिए समस्या इसलिए आती है क्योंकि बच्चों एवं किशोर वय के छात्रों को सही-गलत के बारे में पता नहीं होता। उनमें नई चीजें देखने, समझने और यथासंभव आजमाने की एक ललक होती है। जिज्ञासा की नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारण अकसर वे बड़े-बुजुर्गों की अधिक दखलअंदाजी पसंद नहीं करते।

चित्र. बच्चों की बढ़ती डिजिटल गतिविधियां

पहले जिस मोबाइल फोन को विलासिता की वस्तु माना जाता था, आज वह किशोरों और बच्चों के लिए सामान्य हो गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर समय बिताना; यूट्यूब देखना; हर तरह की सही-गलत वेबसाइट से जानकारी लेना; नकली सॉफटवेयर व संदिग्ध एप्लिकेशन का इस्तेमाल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। यह भी सच है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सच झूठ की पहचान करना बड़ों के लिए भी बहुत कठिन होता है। ऐसे में, नादान और 'सॉफ्ट टारगेट' होने के कारण किशोर छात्र और बच्चे आसानी से साइबर अपराध का शिकार बन जाते हैं।

चित्र. साइबर अपराधों से बचाव के लिए सुरक्षा की मूलभूत बातें

हमारे देश में परिवार की इकाई की सबसे बड़ी विशेषता परिवार के सदस्यों को मिलने वाली भावनात्मक सुरक्षा एवं बड़े-बुजुर्गों का नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन आधुनिक जीवन की आपाधापी में यह सब कुछ समाप्त हो रहा है। कई बार साइबर जगत की नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और अभिनव प्रयोग करने में बच्चे जोश में होश खो बैठते हैं। ऐसे में जब उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता तो उन्हें साइबर प्रौद्योगिकी के अनचाहे दुष्प्रभावों और संकटपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सावधानी न बरती जाए तो डिजिटल दुनिया में हर कदम पर नए खतरे और अनदेखे जोखिम की आशंका हमेशा बनी रहती है।

तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन गतिविधियों का दायरा लगातार बढ़ा है। विभिन्न गतिविधियों के इसी ऑनलाइन कार्य व्यापार ने भारत में बाल शोषण एवं बाल अपराध का एक नया खतरनाक आयाम जोड़ दिया है। साल 2019 की तुलना में भारत में वर्ष 2020 के दौरान बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर अपराध की घटनाओं में 400 प्रतिशत का उछाल देखा गया। इनमें से लगभग 90 प्रतिशत मामले बच्चों के यौन दुर्व्यवहार सामग्रियों (CSAM) के प्रकाशन और प्रसारण से संबंधित थे।

बच्चों के संदर्भ में यह साइबर खतरा गंभीर है और बहुत तेजी से पैर पसार रहा है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चे आज बड़ों से अधिक सक्रिय हैं। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 13 से 18 साल तक के 81 प्रतिशत बच्चे सोशल मीडिया पर हैं। सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश में बच्चों एवं किशोर वय के छात्रों के साथ घटित होने वाले साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरुरी है कि आज की डिजिटल दुनिया के खतरों और जोखिमों के प्रति बच्चों को शुरु से ही जागरुक बनाया जाए।

साइबर सुरक्षा जागरुकता की आवश्यकता

इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण तेजी से बच्चे डिजिटल दुनिया को खंगाल रहे हैं लेकिन वर्चुअल परदे के पीछे मौजूद खतरों से वे अनजान रहते हैं। इसलिए उनके लिए समयोचित मार्गदर्शन एवं साइबर सुरक्षा के उपायों की सम्यक जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। समझने वाली बात है कि जिस प्रकार साइबर जोखिमों और आक्रमणों आदि के खिलाफ सभी कंप्यूटिंग उपकरणों की सुरक्षा के लिए, प्रत्येक पीसी और लैपटॉप में एंटीवायरस सिस्टम होना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी से बचने के लिए साइबर सुरक्षा के उपायों को अपनाना भी बहुत जरुरी है।

कई विद्यालयों ने अपने पाठ्य विषयों में कम्प्यूटर तथा इंटरनेट से संबंधित पाठ्यक्रम लागू किए हैं जिससे विद्यार्थियों को कम्प्यूटर का ज्ञान तथा अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट का प्रयोग करने में सहायता मिल सके। नई शिक्षा नीति में कम्प्यूटर के ज्ञान तथा डिजिटल लैब की स्थापना को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात है कि स्कूली बच्चों को इंटरनेट के असुरक्षित प्रयोग से संबद्ध हर प्रकार के साइबर खतरों एवं संभावित जोखिमों की जानकारी नहीं होती है और न ही स्कूल में बच्चों को साइबर अपराधों की नवीनतम प्रवृत्तियों के बारे में कुछ बताया जाता है।

इनके कारण स्कूली पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा

विषय को शामिल करना बहुत जरुरी है क्योंकि बच्चे ही साइबर अपराधों के अधिक शिकार होते हैं। इसलिए उन्हें आरम्भिक अवस्था में ही जागरूकता प्रदान करना आवश्यक है जिसके लिए स्कूली पाठ्य विषयों में न केवल साइबर सुरक्षा बल्कि साइबर आचार-नीति (एथिक्स) पर पाठ और प्रसंग शामिल करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार, बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों को रोकने में अभिभावकों का सक्रिय सहयोग आवश्यक हो जाता है क्योंकि बच्चे के लिए उसका घर पहली पाठशाला होती है।

अभिभावकों के लिए जरुरी है कि साइबर सुरक्षा के मूल तत्वों और निवारक उपायों के प्रति जागरुक बनें तथा बच्चों को इनके बारे में बताएं। बच्चे को साइबर धोखाधड़ी वाले व्यवहार व अन्य अपराधों से बचाने के लिए उन्हें बताना चाहिए कि डिजिटल दुनिया में सावधानी बरतना सुरक्षित रहने की पहली शर्त है। बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर नियंत्रण रखना या माता-पिता के नियंत्रण वाले सॉफ़्टवेयर के साथ एंटी-वायरस सॉफ़्टवेयर स्थापित करना और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सोशल मीडिया साइटों की गोपनीयता सेटिंग्स की समय समय समीक्षा करना भी अभिभावकों का कर्तव्य बनता है।

बच्चों के लालन पालन में अनुशासन एवं मार्गदर्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए केवल साधन और सुविधाएं उपलब्ध करा देने मात्र से अभिभावकों का दायित्व पूरा नहीं हो जाता बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित जीवन के हर क्षेत्र में सुरक्षा के उपायों एवं अन्य सावधानियों के बारे में बच्चों को बताना महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में, बच्चों के द्वारा ऑनलाइन बिताए गए समय, सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट, आने जाने वाले संदेश, उनके ऑनलाइन दोस्तों की जानकारी – इन सब पर नजर रखना एहतियातन जरुरी है। अभिभावकों से अपेक्षित होता है कि हर हाल में बच्चों को स्वयं सुरक्षित रहना सिखाएं।

आंख मूंदकर बच्चों की हर मांग पूरी करना अंततः उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। बच्चों एवं किशोरों के मामले में मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन गेम के उपयोग के समय के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करना जरुरी है। साथ ही, यदि बच्चा ऑनलाइन अधिक समय बिताना शुरू कर देता है और अपनी ऑनलाइन

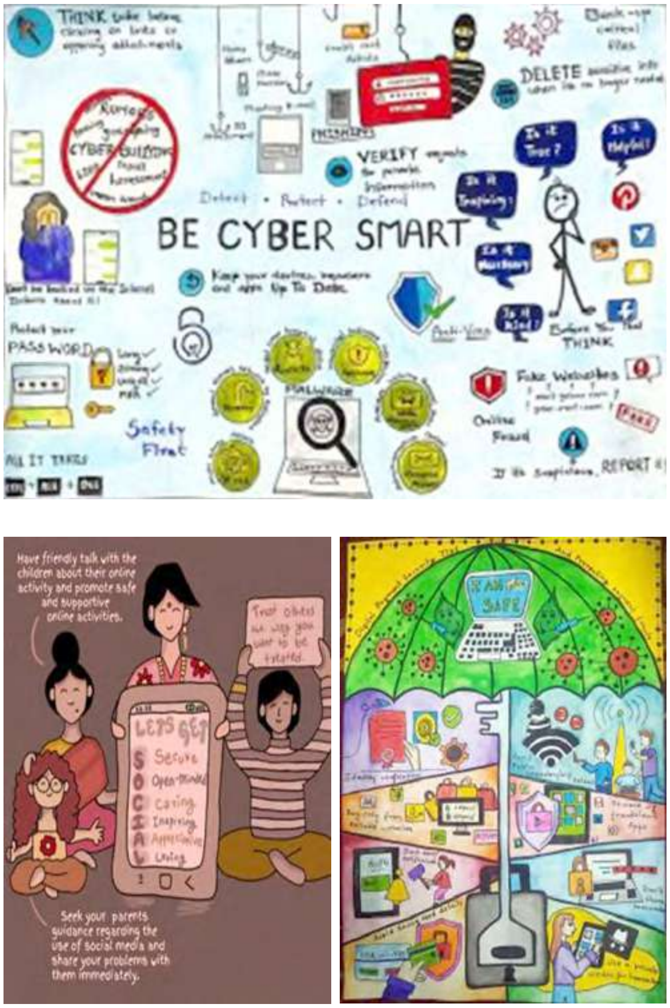

चित्र. साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में कारगर बच्चों द्वारा निर्मित जागरुकता के पोस्टर

गतिविधियों के बारे में कुछ छुपाता है या झूठ बोलना शुरू कर देता है, तो यह खतरे की घंटी है। सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन माध्यमों पर बच्चों को डराने, लालच देकर गलत काम के लिए प्रेरित करने, धमकाने और पीछा करने आदि अवांछित गतिविधियों के मामले होते रहते हैं।

आजकज साइबर अपराधी सोशल नेटवर्किंग साइट, ईमेल, चैटरूम, नकली सॉफ्टवेयर, लिंक, वेबसाइट इत्यादि का बेरोक टोक प्रयोग अपराध के लिए कर रहे हैं और अपराध के तौर तरीको में लगातार सुधार करते रहते हैं। यही कारण है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कम उम्र के बच्चों एवं किशोरों की मामूली सी गलती उन्हें और कई बार उनके पूरे परिवार को भारी संकट में डाल देती है। इसलिए ऑनलाइन खतरों से बचाव के बारे में खुल कर बात करना व जागरुकता बढ़ाना एक कारगर उपाय है। यह भी देखा गया है कि इंटरनेट पर अधिक समय ऑनलाइन बिताने की बजाय यदि बच्चों एवं किशोरों को अन्य सृजनात्मक गतिविधियों में शामिल किया जाता है तो यह उनके व्यक्तित्व के विकास में अधिक सहायक होता है।

साइबर सुरक्षा जागरुकता लाने के प्रयास

ऑनलाइन शोषण, धमकी, प्रताड़ना एवं धोखाधड़ी आदि साइबर अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए साइबर सुरक्षा के उपायों को अपनाना ही अंतिम समाधान है। यही कारण है कि साइबर अपराध और डिजिटल दुनिया के खतरों के प्रति जागरुकता लाने के लिए भारत सरकार की ओर से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को देखते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चुना है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत स्कूली स्तर पर उठाए गए कदम महत्वपूर्ण हैं। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों से यह अपेक्षित है कि विद्यार्थियों में सूचना सुरक्षा से संबंधित जागरूकता का व्यापक रूप से सृजन करने के लिए एक मुख्य कार्यकलाप संपन्न करे।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में साइबर सुरक्षा जागरूकता से संबंधित अन्तराल को पूरा करना है। संबंधित प्रतिभागी राज्यों की स्थानीय भाषाओं में साइबर सुरक्षा जागरूकता पर मानक मॉड्यूलों तथा सामग्रियों का विकास करने का प्रस्ताव है जिससे नागालैण्ड, मिज़ोरम तथा त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों में नाइलिट के माध्यम से विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा सरकारी विभागों में उपयुक्त तंत्रों के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार किया जा सके। लेकिन इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य साइबर सुरक्षा के पहलुओं पर जन जागरूकता अभियान आरम्भ करना है।

चित्र. साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरुरी है जानकारी एवं सावधानी

साइबर सुरक्षा पर जन जागरूकता अभियान चलाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है एक मज़बूत कानूनी ढांचा विकसित करना। वैसे तो साइबर अपराध के बारे में माना जाता है कि यह एक ऐसा विषय है जो अभी भी विशेषज्ञता की ओर विकसित हो रहा है। वर्तमान में दुनिया में कहीं भी इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कोई व्यापक विनियमन नहीं है। हालांकि, भारत सरकार के पास इंटरनेट पर खतरनाक कृत्यों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय हैं तथा बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी कुछ किया भी गया है। देश में ऐसे कई कानून हैं जो कंप्यूटर के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए अपराधों को संबोधित करते हैं।

भारत में बच्चों से संबंधित कानून में यौन अपराधों के ख़िलाफ़ बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 शामिल है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अश्लील कृत्य के अपराधों से बचाने के लिए एक विशेष कानून के रूप में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) बनाया था। इसके अंतर्गत धारा 13 से लेकर धारा 15 तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुद्दे से संबंधित है। इसी प्रकार, धारा 14 और धारा 15 अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने और बच्चे को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए सजा का प्रावधान भी है।

बच्चों का यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी; ऑनलाइन जबरन वसूली और बाल तस्करी जैसे अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं तथा समय-समय पर इसके लिए कानून में बदलाव किए गए हैं या नए कानून बनाए गए हैं। इस क्रम में आईटी अधिनियम, 2008 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2012 महत्वपूर्ण हैं। भारत में कानून के दायरे का विस्तार किया गया है और उन सभी अपराधों की पहचान की गई है जो बच्चों से संबंधित होते हैं। इसी कड़ी में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिज़िटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 भी महत्वपूर्ण है जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को रोकना है।

ऑनलाइन बाल यौन शोषण की गंभीर प्रकृति को देखते हुए सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के मामलों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए वर्ष 2020 में ही एक विशेष इकाई की स्थापना की और वर्ष 2022 में इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस (आईसीएसई) में शामिल हो गई। इसके साथ ही बच्चों की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीबाआई उन लोगों कर कानूनी कार्रवाई कर रही है जो ऐसे काम के लिए बच्चों को उकसाते हैं और इंटरनेट पर ऐसी सामग्री डालते हैं। दुनिया के अनेक देशों के उदाहरण बताते हैं कि अपराधों को रोकने में दंडात्मक कार्रवाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

चित्र. ट्विटर के माध्यम पर राष्ट्रीय साइबर

चित्र. भारत में साइबर अपराध के संदर्भ में अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन नंबर

देश भर में साइबर अपराधियों से निपटने के लिए साइबर अपराध निवारण ढांचा तैयार किया गया है। इसके अन्तर्गत एक संयुक्त साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन टीम (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। साइबर अपराध का शिकार होने वाले लोगों के लिए सरकार ने टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। साइबर से जुड़े सभी तरह से अपराधों को सूचीबद्ध करके उसके समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए कवच के नाम से एक हैकथान आयोजित किया जा रहा है। इसमें इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले कोई भी छात्र एक ग्रुप के साथ इसमें हिस्सा ले सकेगा। साइबर सुरक्षा के विषय में जागरुकता लाने के लिए सरकार की ओर से ऐसे अनेक आयोजन और प्रयास नियमित आाधार पर किए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) साइबर व सूचना सुरक्षा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। सूचना सुरक्षा के बारे में बच्चों, माता-पिता और सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट पुस्तकें, वीडियो और ऑनलाइन सामग्री विकसित की जाती है, जो "www.infosecawareness.in" और "www.csk.gov.in" जैसे पोर्टलों के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। उल्लेखनीय है कि देश भर में ट्विटर हैंडल@CyberDost और रेडियो के माध्यम से साइबर अपराध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सीबीएसई ने हाल ही में शिक्षार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा पर एक उपयोगी मैनुअल जारी किया है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आज की दुनिया में इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल तौर तरीकों को अपनाना जरुरी हो गया है। पढ़ाई, मनोरंजन, कैरियर, शैक्षिक परामर्श व समाधान, रुचियों के विकास आदि के लिए बच्चे और किशोर इंटरनेट एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों का इस्तेमाल और ऑनलाइन युक्तियों का बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन संपन्न होने वाले सभी कार्यों के लिए साइबर सुरक्षा के उपायों को अपनाना जरूरी हो जाता है। यह एक सार्वभौम सत्य है कि अपराधों से बचाव तभी हो सकता है जब उपयोगकर्ता के रुप में हम स्वयं जागरूक रहें।

पूरी दुनिया में यह माना जाता रहा है कि उपचार से बेहतर बचाव होता है। बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों को रोकने के लिए भी स्कूली शिक्षा के स्तर पर साइबर जागरुकता लाना और बदलते डिजिटल परिवेश के अनुसार बच्चों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत अपराधों से बचाव के लिए सुरक्षा के उपायों को अपनाना, अपेक्षित सावधानियों के साथ इंटरनेट का उपयोग करना और किसी भी तरह की ऑनलाइन गतिविधि संपन्न करने से पहले उसका लिंक, वेबसाइट, संबंधित व्यक्ति या समूह आदि की प्रामाणिकता सुनिश्चित कर लेना बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने का एकमात्र समाधान है।

संदर्भ

1. Emerging Cyber Crimes in India- A concise Compilation, August 2021, https://bprd.nic.in
2. https://static.pib.gov.in
3. किशोरों/छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा पर हैंड बुक, गृह मंत्रालय, https://www.mha.gov.in/sites/
4. https://cybercrime.gov.in/
5. https://digitalpolice.gov.in/
6. https://data.gov.in/resource/stateut-wise-cyber-crimes-against-children-during-2020
7. साइबर अपराध और पुलिस की तैयारियां, 2022, https://bprd.nic.in
8. https://www.mygov.in/staysafeonline
9. https://www.infosecawareness.in/security-awareness
10. भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI), https://www.dsci.in/content/
11. दैनिक जागरण के विभिन्न संस्करण, https://www.jagran.com/news
12. www.csk.gov.in

****

अपराध व रोकथाम के प्रयास

श्री अभिषेक पिप्पल
सूबेदार (एम)/स्टेनो, पीटीएस तिघरा ग्वालियर

सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव सभ्य, उन्नत एवं संघर्षशील होता चला गया। इसी क्रम में मानव के भीतर आंतरिक विकार क्रोध, लालच, ईर्ष्या व वासना इत्यादि ने भी मानव के अंत:करण में विकास किया।

इन्हीं विकारों की तृप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के अवैध व अनैतिक कृत्य किए गए। मानव एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, सहयोग व दायित्वों का स्थापत्य करता है व "जियो और जीने दो" अवधारणा में विश्वास रखता है, किन्तु कुछ असामाजिक तत्व इसी अवधारणा के प्रतिकूल अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं। इसीलिए वे न तो स्वयं के दायित्वों का निर्वहन करते हैं और न दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं। अत: राज्य का कर्तव्य हो जाता है कि वह इन असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाने वाले अपराधों का निर्बन्धन, दण्ड व सुधार संबंधी विधि का निर्माण कर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे।

इन्हीं कृत्यों को वर्तमान युग में "अपराध" कहा जाता है। सभ्यता के प्रारम्भ में अपराध को "राज्य" द्वारा परिभाषित नहीं किया गया था। राज्य का कार्य सामाजिक कार्यों व जनकल्याण तक ही सीमित था। अपराध व उसका दण्ड संबंधी कार्य धर्म द्वारा किया जाता था। यह केवल भारतीय सभ्यता में ही नहीं, अपितु विश्व की अनेक सभ्यताओं में प्रचलित था।

प्रख्यात विधि शास्त्री सामण्ड ने अपराध को परिभाषित कर कहा कि मानव द्वारा ऐसे कृत्य व आचरण, जो कि विधि द्वारा निषिद्ध होते हैं, अपराध कहलाते हैं। सामण्ड का यह कथन पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि समाज में कई ऐसे आचरण होते हैं, जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होते, किन्तु वे कृत्य किसी न किसी के लिए अहितकारी तो अवश्य ही हैं और कालांतर में राज्य द्वारा उन्हें विधि के रूप में निरूपित किया जाता है।

उदाहरणत: यदि कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति को स्वयं के व्यसनों के कारण अपव्यय करता है तो यह उसका ही नहीं, अपितु उसपर आश्रितों के जीवन को प्रभावित करता है। इससे उनका आर्थिक ह्रास तो होता ही है, वरन् उनका सामाजिक पतन भी होता है। समाज में ऐसे कई व्यक्ति देखे जा सकते हैं, जो अपनी चल-अचल संपत्ति को शराब इत्यादि के व्यसनों में "उड़ा" देते हैं व उसके पत्नि व बच्चों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। विधि में भी मात्र उनके भरण-पोषण दिये जाने की व्यवस्था है, न कि संपत्ति में से अधिकार या फिर संपत्ति को विक्रय किए जाने संबंधी कोई निर्बन्धन है, जिसमें आश्रितों की सहमति अथवा अनापत्ति की व्यवस्था हो।

हालांकि कालांतर में राज्य द्वारा विधि को यथोचित संशोधित किया गया है। दिल्ली निर्भया वाले मामले के उपरांत दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में बताया

कि बलात्संग जैसे अनैतिक अपराध में यदि आरोपी तकनीकी तौर पर अवयस्क है, तो एक समिति द्वारा उसका जैविक व मानसिक आधार पर परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी क्षमता एक वयस्क व्यक्ति की भांति है। यदि परीक्षण के आधार पर यह पाया जाता है कि अवयस्क आरोपी की शारीरिक व मानसिक क्षमता एक वयस्क व्यक्ति की भांति है तो उसका विचारण किशोर न्यायालय में न होकर सामान्य न्यायालय में किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि विधि व्यक्ति की न्याय व गरिमा के लिए है, न कि उसका तकनीकी आधार पर बच निकलने के लिए।

प्रारंभ में कुकृत्यों को अपराध के रूप में परिभाषित न किया जाकर "पापकर्म" के रूप में परिभाषित था। जिससे यह होता कि व्यक्ति के भीतर किसी भी प्रकार के कुकृत्य को किए जाने को लेकर भय होता था और ये धारणा रहती कि यदि कोई गलत कृत्य किया तो ईश्वर उसका दण्ड देगा, परन्तु समय के साथ-साथ मानव भौतिकवादी होता चला गया और ईश्वर द्वारा दण्ड दिये जाने का भय उसके भीतर से लुप्त होता चला गया।

सभ्यता के विकास के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। 12वीं व 13वीं सदी में इंग्लैण्ड में मात्र उन्हीं कृत्यों को अपराध माना जाता था, जो धर्म या राज्य के विरुद्ध होते थे। जैसे ईशनिन्दा, देशद्रोह, जारता इत्यादि। व्यक्ति के विरुद्ध अपराध नहीं माना जाता था अर्थात् हत्या जैसे कृत्यों को अपराध नहीं माना जाता था। हत्या संबंधी प्रकरणों आपसी राजीनामा, हत्या के बदले हत्या इत्यादि उपायों से निपटाया जाता था।

समय के साथ रूढ़ी व प्रथाओं की आड़ में किए जाने वाले अपराधों के संबंध में राज्य द्वारा विधियां निरूपित की गई हैं, किन्तु समय के साथ ही अपराधियों ने अपराध करने के नए-नए तरीके खोज निकाले हैं।

कई विद्वानों का मत है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से स्वप्रेरित होकर अपराध नहीं करता, अपितु वह परिस्थितियों व वातावरण के वशीभूत होकर अपराध कारित करता है। यह तर्क एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है, हर अपराध के विषय में इसे लागू नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चोरी करता है अथवा अचानक से हुए झगड़े में उसके हाथों किसी की हत्या हो जाती है, तो वह परिस्थितिजन्य अपराध माना जा सकता है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपनी वासना में लिप्त होकर किसी के साथ बलात्कार करता है अथवा वह किसी राजनीतिक/प्रशासनिक पद पर होकर भ्रष्टाचार करता है, तो वे अपराध उसकी वासना, लालसा के कारण किए जाते हैं। इन अपराधों में व्यक्ति का आपराधिक दुराशय दर्शित होता है, न कि परिस्थितियां। वस्तुत: कोई कृत्य तब तक अपराध नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसे करने का आपराधिक दुराशय (Mens Rea) का तत्व परिलक्षित न हो। यदि किसी व्यक्ति को नींद में चलने की बीमारी है और नींद में चलते हुए किसी के घर में प्रवेश कर जाता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, उसे एक अपकृत्य माना जाकर निराकृत किया जाएगा।

अपराधों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, जिसमें मानव शरीर संबंधी अपराध, राजनीतिक अपराध, साम्प्रदायिक अपराध, आतंकवाद, आर्थिक अपराध, शील/लज्जा भंग संबंधी अपराध व वर्तमान आधुनिकीकरण के युग में साइबर अपराध, जो सबसे घातक सिद्ध होता जा रहा है। मानव शरीर संबंधी

अपराधों में प्राय: हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, मारपीट हैं। साम्प्रदायिक अपराध में दंगा, धार्मिक भावनाओं को आहत करना आदि अपराध सम्मिलित हैं। राजनीतिक अपराध प्राय: चुनाव के समय प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा किये जाते हैं, जिसमें धन व अन्य प्रलोभन देकर जनता से वोट खरीदना, पोलिंग बूथ कैप्चरिंग करना, मतगणना में हेराफेरी कराना शामिल हैं। आर्थिक अपराधों में भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी, द्युत क्रीड़ा, सट्टा इत्यादि होते हैं।

इनके अतिरिक्त अन्य परम्परागत अपराध, जो दशकों से समाज में घर किए हुए हैं महिलाओं से घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, कन्या भ्रूण लिंग परीक्षण व हत्या, बालक/बालिकाओं का लैंगिक शोषण, देह व्यापार, बंधुआ मज़दूरी इत्यादि सामाजिक अपराध अपने पैर पसार रहे हैं। इन अपराधों के उन्मूलन के संबंध में राज्य द्वारा पॉक्सो अधिनियम 2012, बंधुआ मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम, देह व्यापार इत्यादि विधियां पारित की गई हैं, किन्तु इनका सतही स्तर पर सार्वभौमिक रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही घृणित अपराध अपने आप में एक चिंता का विषय है, जिसमें किसी एक वर्ग विशेष द्वारा किसी अन्य वर्ग के प्रति घृणा होती है, जिसके फलस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे, ज़ीनोसाइड अर्थात जातीय नरसंहार इत्यादि आते हैं। संसार के अनेक तानाशाहों द्वारा इस प्रकार का अपराधों को कारित किया किया, जिसमें जर्मनी के पूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर नाज़ियों के द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एक साथ लाखों यहूदियों को काल के गाल में सुला दिया, जिसे बाद में हॉलोकास्ट का नाम दिया गया। हिटलर के अतिरिक्त लीबिया के गद्दाफी, इराक के सद्दाम हुसैन, इटली के मुसोलिनी इत्यादि द्वारा जातीय आधार पर नरसंहार किए जाने के जीवंत उदाहरण हैं।

वर्तमान विकासशील समाज में सबसे चुनौतीपूर्ण अपराध व अपराधी दुराशय (White collar crime) समाज में अपना वर्चस्व सदियों से स्थापित किए हैं। इनके द्वारा अधिकांशत: आर्थिक अपराध जैसे भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी, जमाखोरी इत्यादि किए जाते हैं। भ्रष्टाचार नाम का दंश इन सफेदपोश अपराध की ही देन है, जो संसार के लगभग कई देशों में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। प्रख्यात विधिवेत्ता ई.एच. सदरलैण्ड ने अपराध जगत में सफेदपोश अपराध को उजागर किया। उन्होंने अपराध के बारे में गहन अध्ययन पश्चात् यह प्रख्यापित किया कि समाज में मानव शरीर संबंधी अपराध हत्या, लूट, बलात्संग के अतिरिक्त कुछ ऐसी असामाजिक अनैतिक गतिविधियां है, जो उच्च वर्ग के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं, किन्तु ये समाज में प्रत्यक्ष रूप से समक्ष में नहीं होते हैं। यदि किसी व्यवसायी को समाज में अपनी आय के अनुसार सरकार को कर अदा करना चाहिए, किन्तु व येन केन प्रकारेण टैक्स जमा न करते हुए उसकी चोरी करता है जिसके कारण सरकारी खजाने पर भार बढ़ता जाता है व समाज का समुचित विकास नहीं हो पाता। इसके संबंध में "क्रिमिनल कैपीटलिस्ट्स जारी हुआ।

भारत में विगत 30-40 वर्षों में हुए सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर के विकास में अपराध जगत में क्रांति सी आ गई है। विश्व स्तर पर इस प्रकार के कम्प्यूटरीकृत अपराधों की संख्या में वृहद स्तर पर बढ़ोत्तरी हुई है। जिसे साइबर अपराध कहा जाता है। साइबर अपराध में अपराधी का घटनास्थल पर होना आवश्यक नहीं है। इन अपराधियों के द्वारा अश्लील

दृश्य, फोन पर धमकी, वित्तीय धोखाधड़ी व अन्य प्रकार के अपराध शामिल हैं। दु:खद बात यह है कि ये अपराधी पढ़े-लिखे व शातिर किस्म के होते हैं, जिन्हें पुलिस व अन्य ऐजेंसियों द्वारा पकड़ पाना अत्यंत कठिन होता है। भारत सरकार ने इस संबंध में, भारत में इन अपराधों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया है, किन्तु यह पूर्ण रूप से प्रभावशील नहीं हो पा रहा है।

सामाजिक अपराधों में प्रारंभ से ही सर्वाधिक चिंता का विषय लैंगिक अपराध हैं, जिसमें बलात्कार, शीलभंग, ईव टीजिंग, ऐसिड अटैक एवं अन्य प्रकार के यौन अपराध अपराध शामिक हैं। प्रख्यात विद्वान सिसेर बक्कारिया ने यौन अपराधों को सामाजिक रोग की संज्ञा दी है। उन्होंने तर्क दिया है कि जिस प्रकार रोगी के लिए दवा की आवश्यकता है, उसी प्रकार इन अपराधियों के लिए कठोर दण्ड की आवश्यकता होती है। मादक पदार्थों जैसे शराब, गांजा, अफीम, स्मैक इत्यादि के सेवन करने के उपरांत व्यक्ति के भीतर कामोत्तजना उग्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह बलात्कार व बालक-बालिकाओं का यौन शोषण जैसे घृणित अपराध करता है।

किसी भी अपराध की दण्ड विधि से अधिक आवश्यक है उसका निवारण। हम प्राय: अपराध व उसके दण्ड के संबंध में विचार करते हैं, व राज्य द्वारा उसके संबंध में विधियां निर्मित की जाती हैं। परन्तु हम उन अपराधों के मूल कारणों पर कुठाराघात प्रभावी रूप से नहीं कर पाते।

व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व का निर्माण उसके बालपन से ही होता है। आज के दौर में हमारी स्कूली शिक्षा वही पुरानी लचर व परिपाटीपूर्ण है, जिसमें वर्षों से एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, जिसको विद्यार्थी रट-रट कर पूरी करते हैं। अपराध का प्रमुख कारण बेरोजगारी, नैतिकता का अभाव, विधि की अनभिज्ञता प्रमुख हैं।

भारत में वर्तमान में शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में प्रतिपादित किया गया, क्योंकि शिक्षा ही हमें अन्य जीवों से भिन्न बनाती है। एक अशिक्षित व्यक्ति एक पशु की ही भांति होता, जिसकी पशुओं से संरचना मात्र का अंतर रहता है। आज समाज के सफेदपोश अपराधियों ने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है, जिसमें निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों से शिक्षा देने के एवज में एक मोटी रकम वसूली जाती है। धन के अभाव में निर्धन बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों के विद्यालयों में शिक्षा की उचित सुविधायें उपलब्ध नहीं है, जिससे यह मान लिया जाता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें चाहिए कि सरकारी स्कूलों में सुविधायें, अच्छा वातावरण ऐसा हो कि धनवान व्यक्ति भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दिलाना चाहे। निजी स्कूलों के शुल्क के संबंध में ऐसी विधि बनानी चाहिए, जिसमें उनके द्वारा शिक्षा के लिए एक निर्धारित शुल्क रखे, जो कि आम आदमी अपनी क्षमता के अनुसार उन विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा दिला सके।

वर्तमान समय में भारत की बेरोजगारी तक 7.45% है, जिसका एक कारण वर्तमान स्कूली शिक्षा है। आज के समय में स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का है कि यदि किसी विद्यार्थी को 12वीं के बाद आत्मनिर्भर होने के लिए कहा जाए, तो वह मज़दूरी के अतिरिक्त

कुछ अन्य कार्य अपनी आजीविका हेतु नहीं कर पाएगा। इसी आपाधापी में वे बच्चे शासकीय नियोजन की ओर रुख करते हैं, या फिर यों कहें कि उनके पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता ही नहीं बचता है। इसलिए हमें चाहिए कि सामान्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावसायिक/उद्यम संबंधी शिक्षा का पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, ताकि वे बच्चे सरकारी नौकरियों पर आश्रित न होकर अपनी आजीविका का साधन स्वयं बना सके। विश्व के अधिकांश देश जापान, चीन, अमेरिका इत्यादि में स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उद्यमी व व्यासायिक शिक्षा दी जाती है, जिससे वे प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ अपने जीवन की आजीविका का माध्यम खोज सकें। भारत में कई ऐसे वर्ग, क्षेत्र देखे जा सकते हैं, जहां बच्चे शिक्षा गृहण करने की आयु में आजीविका हेतु काम-धंधे में लग जाते हैं, किन्तु शिक्षा के अभाव में वे केवल मज़दूर या कामगार बनकर रह जाते हैं। इसलिए हमें समाज के बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ अनिवार्य व्यावसायिक व उद्यम शिक्षा दी जाना अत्यंत आवश्यक है।

प्राय: स्कूली शिक्षा के पश्चात् विद्यार्थियों को सही दिशा अर्थात् संकाय न लेने के कारण उन विषयों को उच्च शिक्षा हेतु चुन लेते हैं, जो या तो समाज में उस दौर में प्रचलित हों या फिर जिसमें उनकी रुचि अधिक होती है। रुचि और प्रतिभा में विशेष अंतर है, अधिकांशत: छात्र अपनी रुचि या फिर अभिभावकों के दबाव के चलते विषयों का चयन करते हैं व कालांतर में प्रतिभा न होने के कारण उच्च शिक्षा में वांछित सफलता न मिलने पर दिशा भटक जाते हैं फिर इनके द्वारा ही साइबर अपराध एवं अन्य वित्तीय संबंधी अपराध कारित किए जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में करियर काउंसलर अथवा विशेषज्ञ की नियुक्ति हो, जो प्रत्येक छात्रा/छात्र की प्रतिभा अनुरूप उसे विषय चयन करने हेतु दिशा-निर्देश दे सके और यह व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा के उपरांत ही की जाए, जिससे विद्यार्थी को उसकी प्रतिभा के अनुसार विषय में प्रोत्साहित किया जा सके भले ही वह अन्य विषय में उस विषय की तुलता में अच्छा प्रदर्शन न कर सके। जिससे उच्च अथवा स्नातकीय शिक्षा में वह बेहतर प्रदर्शन कर अपने व समाज के भविष्य को उज्ज्वल बना सके। प्रख्यात गणितशास्त्री श्रीनिवास रामानुजन अपनी स्कूली शिक्षा में अन्य विषयों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, किन्तु गणित के विषय में उनमें विशेष प्रतिभा थी। उनकी उस प्रतिभा को पहचाना गया व इसीलिए आज गणित में हम उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए सूत्रों की सहायता से कई प्रश्नों को हल कर पाते हैं।

वर्ष 2020 में भारत में 28,046 बलात्कार के अपराध दर्ज हुए वहीं 2021 में यह संख्या 31677 हो गई। जिसपर नियंत्रण किए जाने हेतु लैंगिक अपराध निवारक विधियों को और कठोर किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें अपराधी विधि की तकनीकी कमी का लाभ उठाकर दण्ड से न बच सके। न्यायपालिका को चाहिए कि विचारण के दौरान ऐसे आरोपियों को जमानत संबंधी कठोर कदम उठाये। इस प्रकार के आरोपी को समाज में मुक्त छोड़ने पर यह पूरा खतरा है कि समाज में वह इसी प्रकार के अनैतिक कृत्य पुन: दोहरा सकता है, क्यों कि इस प्रकार के अपराध परिस्थितिवश नहीं वासना के वशभूत होकर किए जाते हैं। स्कूलों में एक आयु पर लैंगिक/यौन शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए व उसके दुष्परिणामों से अवगत कराने संबंधी विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

संसार के लगभग हर देश की न्यायप्रणाली में "विधि की भूल अक्षम्य होती है"। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में अवयस्कों द्वारा घटित अपराध 28,539 थे, जो 2021 में 29,768 हो गए, अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 4.70% की वृद्धि हुई है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जो व्यक्ति विधि के बारे में जानकारी रखता है, अपराध करने से वह बचता है, क्योंकि उसे उस कृत्य व दण्ड के बारे में बारे में ज्ञात रहता है, हालांकि कभी-कभी यह भी होता है कि, जो व्यक्ति विधि के बारे में गहरी जानकारी रखता है वह उसका दुरुपयोग भी करता है। आज विधि के बारे में या तो वही व्यक्ति जानता है, जो विधि संबंधी शिक्षा ग्रहण करता है या फिर पुलिस अथवा अन्य समान्तर विभागों में नियोजन में लगे लोक सेवक। इसके अतिरिक्त अन्य लोग विधि संबंधी जानकारी से अनभिज्ञ रहते हैं तथा विधि के ज्ञान के अभाव में प्राय: वह अपराध कारित करता है। एक तरफ हम विधि की भूल को अक्षम्य बताते हैं व दूसरी ओर समाज को विधि के बारे में समुचित ज्ञान नहीं दे पाते हैं। ये दोनों ही तथ्य परस्पर विरोधाभास का भाव उत्पन्न करते हैं। आज स्कूलों में व्यावसायिक व उद्यम संबंधी शिक्षा के साथ-साथ विधि के मुख्य विषयों की शिक्षा एक कक्षानुसार निर्धारित कर पाठ्यक्रम में शामिल कर अनिवार्य करना चाहिए, ताकि लोगों को विधि का ज्ञान होने पर अपराध में वृहद स्तर पर कमी लाई जा सके।

इसके साथ ही समाज में अन्य व्यक्तियों को भी विधि के संबंध में अनिवार्य रूप से अवगत कराना चाहिए। आज संसद अथवा विधानमंडलों में कोई विधि स्थापित की जाती है अथवा किसी विधि में संशोधन किया जाता है, तो विधि के संबंध में न्यूज चैनलों में मात्र आरोप-प्रत्यारोप लगाये जाते हैं, जिससे आमजन उसके संबंध में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ रहता है। इसके लिए शासकीय न्यूज चैनल व समाचार पत्रों में हर विधि के संबंध में सामान्य भाषा में निर्वचन कर प्रकाशित करना चाहिए, ताकि आमजन को उसके विषय में पूरी जानकारी हो सके।

नैतिकता का अभाव भी अपराध का एक कारण है। आज के भौतिकवादी युग में नैतिकता का प्राय: लोप हो चुका है। प्राचीनकाल में भारत में शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का अभिन्न अंग था, जिसमें लोग अच्छे बुरे की पूरी समझ रखते थे व समाज में अपराध बहुत कम होते थे। बाहरी आक्रांताओं के आने के बाद हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हुआ, जिसमें मात्र भौतिकवादी शिक्षा ही दी जाने लगी व समाज में नैतिकता प्राय: लुप्त होती चली गई। इसलिए विद्यालयों में विभिन्न धर्मों की नैतिक शिक्षा का समायोजन करके एक सहायक विषय नैतिक शिक्षा का अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे वे स्त्रियों का सम्मान, संस्कृति की ओर रुझान, विधि व राष्ट्र के नैतिक मूल्यों का सम्मान कर सकें। नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम का भाग तो अवश्य हो, किन्तु उसका परीक्षा परिणाम पर विशेष प्रभाव न पड़े।

समाज में नैतिकता के क्षरण का एक कारण आज मनोरंजन के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता है, जो आज आधुनिकता के नाम पर फिल्मों व कार्यक्रमों में सिनेमाघरों, टेलीविजन व सबसे घातक ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म पर दिखाये जाने वाले अंतरंग दृश्य हैं, जो न केवल वयस्कों पर, अपितु अवयस्कों के अंत:करण पर गहरा कुप्रभाव डाल रहे हैं। पिछली एक सदी में सिनेमा के आविष्कार के बाद सिनेमा जगत में आमूलचूल

परिवर्तन हुए। पहले के समय में बनाई जाने वाली फ़िल्में सामाजिक परिदृश्य से प्रेरित होकर बनाई जाती थीं, जिसमें कहीं न कहीं देशभक्ति, नैतिकता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इत्यादि विषयों पर आधारित होती थीं। आज के सिनेमा के प्रतियोगिता के युग में अनैतिक विषयों व अपराधियों के जीवन पर आधारित फिल्में बनाई जाती हैं। इन फिल्मों से प्रेरित होकर आज का युवा अपराध करने को अपने वैभव के रूप में देखता है। इन पर नियंत्रण व रोकथाम हेतु कठोर विधि बनाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है एवं ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म को सेंसर बोर्ड के नियंत्रणाधीन किए जाने की आवश्यकता है।

ब्रिटिश काल में दण्ड विधि पक्षपातपूर्ण व प्रतिषोधात्मक शैली की थी, किन्तु इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान में भारत की दण्ड पद्धति प्रतिशोधात्मक न होकर सुधारात्मक है। भले ही दण्ड व साक्ष्य विधियां ब्रिटिश काल की ही प्रभावशील हैं, किन्तु उनमें समय-समय पर यथोचित संशोधन किये गये हैं। इसीलिए न्यायालयीन निर्णयों में कोड़े मारने इत्यादि दण्ड न देते हुए सश्रम कारावास अथवा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है। यह बात भी सही है कि आज के समय में अपराधी कारागार से सुधरकर नहीं, बल्कि अन्य प्रकार के अन्य व भयानक अपराध करने के तरीके सीख कर आता है व बड़े से बड़े अपराध कारित करता है। इसलिए कारागृहों में उनके सुधार हेतु अपराध व उसके दण्ड के अतिरिक्त उनके व उनके परिवारों पर पड़ने वाले कुप्रभावों से अवगत कराया जाए। समस्त अनुभवों से यह आभास होता है कि व्यक्ति को अनैतिक कृत्यों से रोकने के लिए उन्हें व्यस्त रखना सर्वोत्तम उपाय है, इसलिए उनकी रुचि के अनुसार कला, संगीत इत्यादि में उनको प्रोत्साहित कर प्रतियोगिताऐं व कार्यक्रम आयोजित कराये जावें, जिससे उनके मन में अपराध की भावना प्रबल न हो पायेगी व मुक्त होने के पश्चात् एक नवीन अच्छे जीवन की शुरूआत कर सकेंगे।

मृत्यु दण्ड के मामलों में भी मृत्यु दण्ड इसलिए दिया जाता है कि अपराधी द्वारा की जाने वाली नृशंस हत्या पूर्व नियोजित होती है तथा उसके जीवित रहने से अन्य लोगों के जीवन पर सदैव संकट छाया रहता है न कि इसलिए कि न्यायपालिका या राज्य द्वारा उससे किसी प्रकार का प्रतिशोध लेना हो। इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर भारत के विधि आयोग ने अपनी 187वीं रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि फांसी के स्थान पर मृत्युदण्ड का अन्य कोई तरीका, जो कम से कम कष्टदायक हो निकालने के संबंध में कहा है, क्योंकि मृत्युदण्ड में फांसी का तरीका अपने आप में बर्बरतापूर्ण है।

वर्तमान भारत में विधि की जटिलता व न्यायपालिका में लम्बे समय तक लम्बित रहने वाले प्रकरण भी अपराध का एक कारण हैं। वर्ष 2022 में घरेलू हिंसा के 30,900 प्रकरण दर्ज किए गए। सामाजिक प्रभावों व कानूनी जटिलताओं के कारण कुटुम्ब न्यायालयों में तलाक संबंधी मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं, जिससे पति व पत्नि स्वयं के जीवन की एक नई शुरूआत नहीं कर पाते व अपने व बच्चों के जीवन को नारकीय अवस्था में डाल देते हैं। भारतीय समाज मूलत: पितृसत्तात्मक व पुरुष प्रधान है, जिसमें पुरुषों व समाज द्वारा स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न करने का दबाव बनाया जाता है, जबकि यह वैज्ञानिकी रूप से प्रमाणित है कि बच्चे का लिंग सदैव पिता पर निर्भर करता है माता पर नहीं। इसलिए आज भी अधिकांश घरों में स्त्री को बच्चे

पैदा करने की मशीन समझा जाता है। इससे उस स्त्री व बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन तो होता ही है, अपितु सामाजिक संतुलन भी बिगड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु कठोर कानून बनाया जाए, ताकि स्त्रियों को स्वयं के अस्तित्वमान होने का आभास हो सके। भारत के विधि आयोग ने अपनी 71वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि महिलाओं को यौन आपराधिकता का शिकार होने से बचाने के लिए वर्तमान तलाक संबंधी कानून में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है, ताकि पति पत्नि को कुंठित वैवाहिक जीवन व एक दूसरे से मुक्ति मिल सके।

दहेज जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए दाण्डिक विधि पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि समाज के वंचित वर्ग, क्षेत्र व अन्य सभी की बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य रूप शिक्षा, व्यावसायिक दक्षता दिया जावे, क्यों कि दहेज जैसी कुप्रथाओं का बढ़ने का मुख्य कारण यह भी है कि समाज में अधिकांश लड़कियां आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं। दहेज के कारण ही घरों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, व इनके बड़े होने पर जल्दी विवाह कर दिया जाता है, जैसे वो एक बोझ हों इसके लिए अनिवार्यत: बालिका व्यावसायिक शिक्षा युद्धस्तर सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। ताकि दहेज, घरेलू हिंसा इत्यादि अपराधों से समाज को मुक्ति मिल सके।

इन तथ्यों पर विचार करने पर ही हम अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना कर सकेंगे।

****

जेल प्रशासन सुधार एवं इनसे संबधित अच्छे आचरण

श्री राधाकृष्ण

अति प्राचीनकाल से ही भारत में बन्दीगृह की व्यवस्था रही है। प्राचीन समय के बन्दीगृह अंधेरी, बंद, गन्दी और छोटी-छोटी कोठरियाँ होती थीं। निर्जन स्थानों और गुफाओं को भी बन्दीगृहों के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में पुराने किलों को कारागार के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। बुद्ध के समय से पूर्व भारत में कारागृह निश्चित ही भयानक होते थे। उस समय काल-कोठरियाँ हुआ करती थीं और बन्दियों को भारी जंजीरों एवं वजनी पदार्थों एवं वस्तुओं से बाँधकर रखा जाता था और उन्हें किसी भी बहाने कोड़े लगाए जाते थे। भारत में जेलों में सुधार का युग अंग्रेजों के काल से शुरू होता है। सन् 1836 में प्रथम बन्दीगृह सुधार समिति का गठन किया गया जिसने सन् 1838 में अपनी रिपोर्ट दी। मैकाले ने जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे, कई सुझाव दिए। उन्होंने जेलों की दूषित दशाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इस समिति ने जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का उल्लेख किया। इस समिति ने अग्रांकित सुझाव दिए -

1. एक केन्द्रीय कारागृह की स्थापना की जाए जिसमें उन अपराधियों को रखा जाए जिनकी सजा की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तथा इस बन्दीगृह में 1,000 कैदियों के रहने की व्यवस्था हो।

2. प्रत्येक प्रान्त के बन्दीगृह पर एक बन्दीगृह निरीक्षक की नियुक्ति की जाए जो बन्दीगृहों की व्यवस्था का निरीक्षण करे। इस सुझाव के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में सन् 1844 में तथा पंजाब, मुम्बई व चेन्नई में बन्दीगृह निरीक्षकों की नियुक्तियाँ की गईं और आगरा व बरेली में केन्द्रीय कारागार स्थापित किए गए।

सन् 1864 में द्वितीय बन्दीगृह सुधार समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए -

1. बन्दीगृहों की दशाओं में सुधार किया जाए और उनमें भोजन, वस्त्र एवं बिस्तर की समुचित व्यवस्था की जाय ।

2. केन्द्रीय और जिला बन्दीगृहों में चिकित्सकों की नियुक्ति हो और कैदियों की समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की जाए।

3. अपराधियों का अपराध की गम्भीरता के आधार पर वर्गीकरण किया जाए।

4. केन्द्रीय बन्दीगृहों में 15% अपराधियों के निर्जनवास की सुविधा हो ।

इसके बाद सन् 1877 तृतीय, सन् 1889 में चतुर्थ एवं सन् 1892 में पंचम बन्दीगृह समितियों का गठन किया गया जिन्होंने जेल सुधार सम्बन्धी अनेक सुझाव दिए।

सन् 1894 में बन्दीगृह अधिनियम बना जिसके द्वारा अपराधियों को कोड़े लगाने पर रोक लगा दी

गई। अपराधियों का अपराध के अनुसार वर्गीकरण किया जाने लगा तथा भारत के सभी बन्दीगृहों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया। सन् 1920 में सर अलेक्जेण्डर कारड्यू की अध्यक्षता में भारतीय बन्दीगृह समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने कैदियों के प्रति सुधारात्मक एवं मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। इस समिति ने जेल को दण्ड स्थल के स्थान पर सुधार स्थल मानने की सिफारिश की। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नांकित थीं -

1. बन्दीगृहों की देखभाल प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा की जाए। बन्दीगृह अधीक्षक वे हों जिन्हें बन्दीगृहों का अनुभव हो। इस कार्य के लिए पुलिस अधिकारी एवं सेना के डॉक्टरों को लगाया जा सकता है।
2. प्रत्येक बन्दीगृह में एक चिकित्सक की नियुक्ति की जाए जो जेल अधीक्षक के अधीन हो।
3. बन्दीगृहों के द्वारपाल पढ़े-लिखे हों।
4. बन्दीगृहों में अपराधियों का वर्गीकरण किया जाए। आदतन अपराधी एवं आकस्मिक अपराधी को अलग-अलग किया जाय।
5. अपराधियों से परिश्रम कराया जाय।
6. अपराधियों को कोड़े न लगाए जायें।
7. अपराधियों को पत्र लिखने एवं पत्र प्राप्त करने की छूट दी जाय।
8. अपराधियों को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों से मिलने की छूट दी जाय।
9. बन्दीगृहों में पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाय।
10. बन्दियों को पहनने के लिए दो जोड़ी वस्त्र दिए जायें।
11. उन्हें पौष्टिक व अच्छा भोजन दिया जाय।
12. अपराधियों को पैरोल पर छोड़ने की व्यवस्था की जाय।
13. जब अपराधियों को जेल से मुक्त किया जाए तो उन्हें कुछ मदद भी दी जाए जिससे कि वे अपने परिवार एवं समाज में सामंजस्य कर सकें।
14. बाल-अपराधियों के लिए बाल-बन्दीगृहों की व्यवस्था की जाए तथा उन्हें आजीवन कारावास वाले कैदियों से पृथक् रखा जाय।
15. भयंकर अपराधियों के अलावा अन्य अपराधियों को अण्डमान निकोबार नहीं भेजा जाय।
16. अपराधियों से निर्माण कार्य करवाया जाय।

सन् 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत जेल विभाग प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया गया। इससे बन्दीगृह सुधार कार्यों को धक्का लगा और आज विभिन्न प्रान्तों में बन्दीगृहों की भिन्न-भिन्न स्थितियाँ हैं।

सन् 1946 में उत्तर प्रदेश जेल सुधार समिति नियुक्ति की गई। इस समिति ने कई सुझाव दिए; जैसे- बाल-अपराधियों का वर्गीकरण - बाल-अपराधी, वयस्क अपराधी, महिला अपराधी, आकस्मिक अपराधी, आदतन अपराधी, मनोवैज्ञानिक अपराधी तथा शारीरिक विकृत अपराधियों में किया जाए।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वयस्क अपराधियों एवं बाल-अपराधियों के लिए अलग-अलग जेल हैं।

लखनऊ में आदर्श जेल है तथा अपराधी स्त्रियों के लिए बन्दी नारी निकेतन भी है। सन् 1962 में राजस्थान में और सन् 1972 में बिहार में कारागृह सुधार समितियों की स्थापना की गई। इन्होंने भी जेल-सुधार के अनेक सुझाव दिए।

सन् 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेषज्ञ वाल्टर रैकलेस ने जेल सुधार सम्बन्धी कई सुझाव दिए। भारत में सरकार ने सन् 1980 में जेल प्रशासन में सुधार, वर्तमान कानूनों का परीक्षण एवं कैदियों को सुविधाएँ एवं शिक्षा देने के लिए ए. एन. मुल्ला की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समिति गठित की जिसने भी अनेक रचनात्मक सुझाव दिए।

दिल्ली में तिहाड़ जेल की महानिदेशक महिला आई. पी. एस. अधिकारी डॉ. किरण बेदी ने तिहाड़ जेल के कायाकल्प का बीड़ा उठाया। उन्होंने जेल व्यवस्था में कई परिवर्तन किये, कैदियों को सुधारने हेतु कदम उठाये। उन्होंने कैदियों हेतु कई कार्यक्रम प्रारम्भ किये; जैसे- योग, प्रार्थना, हवन, आदि कार्यों द्वारा बन्दियों को सद्मार्ग पर चलने हेतु प्रोत्साहित किया।

बन्दियों के मनोरंजन हेतु खेलकूद व अन्य कई कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। महिला बन्दियों हेतु अलग से सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। इन सब कार्यों से तिहाड़ जेल में काफी परिवर्तन आया और किरण बेदी को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।

वर्तमान में भारतीय जेलों में तीन लाख चार हजार आठ सौ तिरानवे कैदी हैं जिनमें से दो लाख पच्चीस हजार आठ सौ सत्रह विचाराधीन कैदी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 75 प्रतिशत कैदी बिना किसी सुनवाई के कैद हैं। हालत यह है कि जेलों में महिलाएँ बच्चों को जन्म तक दे रही हैं।

बन्दीगृहों के प्रमुख दोष

निःसन्देह भारतीय बन्दीगृहों में अपराधियों के सुधार हेतु यथासम्भव प्रयत्न किए जाते रहे हैं, परन्तु फिर भी इनमें कई दोष पाए जाते हैं। उनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं -

1. अधिकांश कारागृहों में सभी प्रकार के अपराधियों को एक साथ ही रखा जाता है। जिससे प्रथम अपराधी भयंकर अपराधी की संगति में रहकर अधिक अपराधी प्रवृत्तियों को साथ लेकर जेल से बाहर आता है। अतः अपराधी में सुधार नहीं होकर अनेक नवीन बुराइयाँ आ जाती हैं।
2. सिविल तथा मानसिक रूप से विकृत बन्दी आज भी सामान्य कारागारों में रखे जाते हैं।
3. यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से एक बार जेल चला जाए तो उसके बारे में समाज का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह समाज के साथ पुनः सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता और अपराधी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होता है।
4. जेल का जीवन भी अत्यन्त दूषित होता है। यहाँ व्यक्ति पशुओं की भाँति एक स्थान पर बँधे होते हैं। उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया जाता है जिससे उनमें सुधार की बजाय विद्रोह की भावना अधिक पनप जाती है।
5. अधिकांश जेल कार्यकर्त्ता अप्रशिक्षित होते हैं। वे बन्दियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वे बन्दियों से घूस लेकर उन्हें वर्जित वस्तुएँ, जैसे- शराब, चरस आदि उपलब्ध कराते हैं।

   वे बन्दियों से भद्दे तरीके से बात करते हैं। कारण यह है कि जेल कार्यकर्त्ता कम पढ़े-लिखे, अप्रशिक्षित

होते हैं। उन्हें कम वेतन दिया जाता है। अतः वे अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए घूस लेते हैं और जेल के वातावरण को दूषित करते हैं।

6. वर्तमान में जेलों का संचालन परम्परात्मक आधार पर हो रहा है। जेलों में पढ़ने-लिखने की सुविधा का अभाव, वैचारिक आदान-प्रदान का अभाव, पुस्तकालय एवं स्वस्थ मनोरंजन का अभाव आदि दशाएँ बन्दीगृहों में विभिन्न दोषों के रूप में विद्यमान हैं।

बन्दीगृहों में सुधार करने हेतु सुझाव

बन्दीगृह आज अनेक समस्याओं के शिकार हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, वे निम्नलिखित प्रकार से हैं-

1. **बन्दीगृहों में राष्ट्रीय विकास योजनाओं को लागू करना** - बन्दीगृहों को पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास योजनाओं से जोड़ा जाए।

2. **नए बन्दीगृहों की स्थापना** -जब से अपराधों की संख्या बढ़ी है तभी से अपराधी भी बढ़े हैं और उन्हें पुराने व संकुचित बन्दीगृहों में एक साथ पशुओं की भाँति रखा जाता है। आवश्यकता नवीन बन्दीगृहों के निर्माण की है ताकि अपराधियों को स्वच्छ स्थान व वातावरण मिले और वे सुधार की ओर अग्रसर हो सकें।

3. **भिन्न-भिन्न तरह के कैदियों को रखने हेतु भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ** की जाएँ ताकि कम अवधि वाले साधारण अपराधी जघन्य अपराधियों के साथ रहकर गम्भीर अपराधों की ओर अग्रसर न हों।

4. **बन्दियों को इस प्रकार का वातावरण प्रदान** किया जाए जिससे कि उन्हें अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा मिल सके।

5. **मनोरंजन की सुविधा** - बन्दीगृहों में रहने वाले कैदियों को रहने, खाने, पहनने, काम करने, शिक्षा, मनोरंजन की सुविधाएँ दी जाएँ जिससे कि स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सके।

6. **बन्दीगृहों में अधिकारियों की नियुक्ति** अपराधियों की संख्या के आधार पर की जाए ताकि हर अपराधी की ठीक से जाँच होती रहे।

7. **वेतन में सुधार** - जेल अधिकारियों को उचित वेतन दिया जाये ताकि वे घूस न लें और अपराधियों को सुधारने में पूर्ण रूप से अपना योगदान दें।

8. **योग्यतम कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय** जो व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित हों।

9. **परिवीक्षा को व्यावहारिकता के सही अर्थ में प्रयोग करना** - हर अपराधी को कारागार में भेजकर परिवीक्षा पर छोड़ना चाहिए, तभी उसे सुधरने का मौका मिल सकेगा।

10. **आदर्श बन्दीगृहों की स्थापना करना आवश्यक** -आदर्श बन्दीगृहों की स्थापना पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए। ऐसा होने पर अपराधियों के चरित्र का उत्तम तरीके से विकास होगा तथा वे अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय को चुन सकेंगे।

11. **बन्दीगृह में नैतिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा** - बन्दीगृह में सुधार हेतु आधारभूत सिद्धान्त यह है कि इनमें कैदियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सांस्कृतिक

तथा नैतिक शिक्षा के अतिरिक्त, स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा अध्ययन तथा व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित है।

प्रत्येक बन्दी को शैक्षिक कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित किया जाये, ताकि उसके पुनः समाजीकरण में सहायता मिल सके। इसके अलावा कैदियों की दिनचर्या में धार्मिक क्रियाओं तथा प्रार्थना आदि का भी प्रमुख स्थान होना चाहिए, जिससे कि उनकी आत्मा पवित्र हो।

12. **अधिकारियों में व्यवहार परिवर्तन** - बन्दीगृहों में अधिकारीगण कैदियों के साथ अक्सर बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें यातानाएँ देते हैं। अतः इस प्रवृत्ति में सुधार किया जाना चाहिए।

13. **अमानुषिक प्रवृत्ति की समाप्ति-** सुधारवादी सिद्धान्तों के अनुसार, कारागृहों में अमानुषिक प्रवृत्ति को पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए।

14. **कैदियों के साथ वैयक्तिक सम्पर्क** -सहानुभूति एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार के द्वारा व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। यह व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

15. **पुरस्कार तथा दण्ड की व्यवस्था** - जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जिससे उसे प्रोत्साहन मिलेगा। खराब व्यवहार करने पर दण्ड की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

जेल सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिये न्यायाधीश श्री मुल्ला की अध्यक्षता में 25 जुलाई, 1980 में एक जेल सुधार समिति गठित की गई। इस समिति में इस बात पर जोर दिया गया कि जेल की व्यवस्था मानव गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। इस समिति ने अध्ययन के आधार पर पाया कि जेलों में अमानवीय व्यवहार होता है।

जेल प्रशासन से संबधित अच्छे आचरण

अनेक राज्यों के अपने जेल मैन्यूअल हैं। अधिकतर बाते इनमें एक जैसी है, कुछ भिन्नताएं हैं। दिल्ली जेल मैन्यूअल के सेक्शन 46 के अध्याय 11 में जेल अपराधों के द्वारा जेल में निरुद्दगी के दौरान कोई असंगत आचरण नहीं करने की सूची दी है। जैल मे बन्द कैदी के द्वारा निम्न लिखित आचरण नहीं करना एक अच्छे आचरण की श्रेणी मे आता है-

- कानून की अवहेलना न करना
- किसी तरह का हमला, बलप्रयोग नहीं
- स्वयं को घायल न करना
- धमकी वाली भाषा का प्रयोग न करना
- अनैतिक या भद्दा आचरण न करना-श्रम वाले कार्य करने से मनाही नहीं
- बार-बार काम करने को तैयार रहना
- अगर हथकड़ी लगी तो उसे काटने की कोशिश न करना
- बिना अनुमति के पत्र या भाषण या संदेश बाहर नहीं भेजना
- काम में आलस नहीं करना और उसे गलत ढंग से करने से रोकना
- सरकारी रेकॉर्ड्स को नुकसान न पहुंचाना
- ऐसे सामान न रखना, जिसकी अनुमति न हो
- बीमार होने का बहाना नहीं करना

- अधिकारियों पर गलत आरोप गलत उद्देश्य से नहीं लगाना
- जेल से भागने की साजिश का हिस्सा न होना और अधिकारियों को इसकी जानकारी देना
- किसी आपदा जैसे आग, भगदड़ या विद्रोह की स्थिति में उसे दबाने या काबू पाने में सहयोग करना
- भूख हड़ताल नहीं करना या खाने में आनाकानी नहीं करना
- सेल के अंदर खाना नहीं बनाना-नशा, जुआ न खेलना।

ये सभी अच्छे आचरण एक कैदी के द्वारा जेल में निरुद्दगी के समय नहीं करने से उसको अपने जेल में निरुद्दगी की अवधी से छूट भी मिलती है। जेल का जेलर कैदी को जेल नियम 297 के तहत अधीक्षक को सजा से छूट के लिए लिख सकता है। जेल अधीक्षक, सहायक, अधीक्षक, जेलर और इंचार्ज से बात कर नियम 273 के तहत यह व्यवस्था दे सकता है। **छूट के साथ गलत काम करने पर छूट में कमी के भी प्रावधान है।** यदि कैदी जेल अफसरों पर हमला करे या गलत व्यवहार करे तो छूट समाप्त की जा सकती है। दिल्ली जेल मैन्यूअल के रूल 304 में जेल अधीक्षक को अधिकार है कि वह प्राप्त छूट को समाप्त कर सकता है।

जेल कानून में ही **पैरोल छूट** का नियम है। जेल में बंद कैदी को साल में दो बार पैरोल मिलता है। उसे अपने परिवार में किसी समारोह, दु:ख या खुशी के अवसर में शामिल होने के लिए दी जाती है। जो कैदी पैरोल पर जाकर भगौड़े होते हैं, उन्हें गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 1962 की धारा 8(2) के तहत दो साल की कैद और जुर्माना होता है। पैरोल दो प्रकार के होते हैं-

01. रेगुलर पैरोल

02. कस्टडी पैरोल।

रेगुलर पैरोल में सरकार से अनुमति ली जाती है। अक्सर पैरोल एक माह के लिए दिया जाता है और विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ा भी दिया जाता है। **कस्टडी पैरोल** में एक दिन के लिए पुलिस के साथ बाहर भेजते हैं, जिसमें कैदी शादी-ब्याह, बीमारी या किसी की मृत्यु पर बाहर जा सके। ये दोनों ही पैरोल में से एक पेरोल कस्टडी पैरोल सामान्यतः एक अपराधी को इमरजैन्सी/ आवश्यक कार्य के दौरान जेल अधीक्षक के द्वारा दी जा सकती है तथा रेगुलर पैरोल देने हेतु सरकार से पुर्वानुमति ली जाती है।

****

साइबर क्राइम नियंत्रण में क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम की भूमिका

श्री सोहन लाल साहू

भूमिका

मनुष्य जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीकी ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिए मनुष्य की पहुंच, विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में हर वो चीज जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुंच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि । आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है

सामान्य परिचय

क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) से देश के सभी थानों को जोड़ा जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत थानों में सीसीटीएनएस के अन्तर्गत कम्प्यूटर, लैपटॉप सहित अनेक संसाधनों को उपलब्ध करा दिया गया है। इससे आम लोगों को सहूलियत होने के साथ ही अपराधियों पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकेगा। जिले की थानों की व्यवस्था को मेनेज करने के लिए प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

सीसीटीएनएस के लागू होने के बाद सभी थानें जो सीसीटीएनएस नेटवर्क से जुड़े होगें वह देश के अन्य थानों से लिंक हो जायेगें। एफआईआर से लेकर थानों के अन्य डाटा को दूसरे थानें की पुलिस भी देख सकेगी। सीसीटीएनएस परियोजना इंटिग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) का भाग है। इसके अन्तर्गत न्यायालय, थाना, अभियोजन और एफएसएल को जोड़ा गया है। इससे थानें भी कोर्ट से सीधे जुड़ जायेगें। एफआईआर से लेकर वॉरंट तक सभी ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल किये जायेगें।

सीसीटीएनएस भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेस प्लान के अधीन एक मिशन मोड परियोजना है। अपराध की जांच और अपराधियों की पहचान से संबंधित आईटी आधारित स्टेट ऑफ आर्ट ट्रैकिंग प्रणाली के विकास के लिये ई-गवर्नेस के सिद्धांत को अपनाते हुये और राष्ट्रव्यापी नेटवर्क आधारित संरचना के निर्माण के लिए पुलिस की कार्यकुशलता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक व्यापक एवं समेकित प्रणाली का निर्माण करना सीसीटीएनएस का ध्येय है। सीसीटीएनएस से नागरिक थानों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके अतिरिक्त चरित्र सत्यापना, खोये और लापता सामग्री

की सूचना, चोरी हुये वाहनों की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। इससे गुमशुदा व्यक्तियों और अज्ञात शवों की जानकारी हासिल की जा सकती है। घरेलू नौकर के सत्यापना से लेकर पासपोर्ट और वरिष्ठ नागरिकों के सत्यापन के लिए फॉर्म भरे जा सकते है। इसी तरह किसी को घर पर नौकर रखना है या फिर किसी की नौकरी की वेरिफिकेशन है। उससे भी आसानी होगी। इतना ही नहीं ऑनलाइन शिकायत के अलावा पीड़ित अपनी एफआईआर को भी देख सकते है। इसके साथ ही केस की प्रगति का भी पता लगाया जा सकता है।

सीसीटीएनएस से जिलें में कोई अपराधी दूसरे राज्य से अपराध करके छिपा है और पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है तो उसका वेरिफिकेशन सीसीटीएनएस के जरिये आसानी से हो जायेगा। शीघ्र ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध हो जायेगा। इससे घटना के निराकरण में पुलिस को मदद मिलेगी। अपराधियों का फिंगरप्रिंट ऑनलाइन किया जायेगा। इसके बाद किसी घटना स्थल से फिंगरप्रिंट एफएसएल की टीम को उपलब्ध कराकर अपराधियों को पूरा इतिहास जाना जा सकेगा।

सीसीटीएनएस से देशभर की पुलिस व्यवस्था में बदलाव आयेगा इस सिस्टम के आने के बाद आम इंसान स्वयं को पुलिस से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। पुलिस की सेवायें भी इस सिस्टम के जरिये उसे मिलेगी। राज्यों के जो पुलिस सिस्टम है वो इस सिस्टम के जरिये अपने आप को विकसित करते रहेगें।

साइबर अपराध से आशय

- साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किये जाते हैं। कुछ साल पहले, इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था। साइबर अपराधों के मामलों में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है, जहाँ साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर अपराधी, किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिये कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध है।
- इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध, जिसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिये कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है। जहाँ इनके(कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क, ज़रिये ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है वहीं इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरूद्ध अपराध भी किया जाता है।
- ऐसे अपराध में जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फिशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार, सहित कई प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। गौरतलब है कि सॉफ्टवेयर चोरी भी साइबर अपराध का ही एक रूप है, जिसमें यह जरूरी नहीं है कि साइबर अपराधी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अपराध करे।

साइबर अपराध का वर्गीकरण

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, अपराध की श्रेणी को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:-

- वे अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है। इस तरह के अपराधों के उदाहरण हैकिंग वायरस हमले आदि हैं।
- वे अपराध जिनमें कंप्यूटर को एक हथियार/ उपकरण/ के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, आईपीआर उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पोर्नाग्राफी आदि ।

साइबर अपराध के विभिन्न रूप

(Fraud)

साइबर क्राइम की दुनिया में फ्रॉड एक सामान्य शब्द है, जिससे हर कोई परिचित होगा। क्योंकि Fraud के अतंगर्त ऐसे कई मामले आते हैं, जहां पर किसी व्यक्ति या कपंनी आदि की Personal information, Data को चुराया जाता है। गैरकानूनी रूप से या अपने निजी फायदे के लिए जब किसी इंफॉर्मेशन को चोरी करने उसे मिटाने या इनफार्मेशन को दबाने से धोखाधड़ी हो तो साइबर क्राइम के अंतर्गत इसे Fraud कहा जाता है।

(Hacking)

साइबर क्राइम के अधिकतर मामलें में नकुसान पहुंचाने हेतु हैकिंग का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। हैकर्स द्वारा हैकिंग की इस गतिविधि को अजंम दिया जाता है, जिसमें उनका उद्देश्य किसी के महत्वपूर्ण डाटा को Access करना Privacy (गोपनीयता) को हनन करना इत्यादि होता है।

Hackers गवर्नमेंट के खातों, बड़ी-बड़ी कंपनियों या फिर कॉरपोरेट अकाउटं को अटैक करते हैं। इसके अलावा हैकिंग के कई मामले में आज सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म का उपयागे किया जाता है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर अकाउंट्स प्रमुख हैं। हैकर्स हैकिंग के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे वह आसानी से अपने नापाक इरादों में कामयाब हो सकें।

(Identity Theft)

वर्तमान समय में इटंरनेट पर हम किसी भी मनुष्य की आइडेंटिटी का पता लगा पाते हैं। लेकिन जब किसी की आइडेंटिटी को चुराया जाए तो फिर यह अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में गिना जाता है।

इसमें साइबर अपराधी व्यक्तिगत डेटा की चोरी के रूप में पासवर्ड पता लगाने, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तथा अन्य सवंदेनशील जानकारियां चुराते हैं। आइडेंटिटी Theft के इस अपराध में अपराधी किसी व्यक्ति का धन भी चुरा सकते हैं। इसलिए पूरे विश्व में साइबर क्राइम के इस मुख्य प्रकार से प्रति साल लाखों लोग शिकार होते हैं।

(Scamming)

Scam विभिन्न तरीकों से होता है Cyberspace में Scamming कंप्यूटर रिपेयरिंग, नेटवर्क Troubleshooting इत्यादि के जरिए की जा सकती है। साइबर अपराध का यह टाइप बड़ा ही अनोखे अंदाज में किया जाता है क्योंकि इसमें कई बार यूजर्स से कंप्यूटर ठीक करने के नाम पर हजारों रूपए की ठगी

की जाती है। जबकि कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई समस्या होती ही नहीं है।

अतः Scamming इस समय साइबर क्राइम की दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ एक अपराध है।

Scamming को संक्षेप में समझे तो पैसे कमाने के लिए कोई भी गैरकानूनी योजना बनाना Scamming कही जाती है।

(Virus)

अपराधी वायरस के नाम पर कंप्यूटर उपयागेकर्ताओं से Unauthorized एक्सेस लेकर कंप्यूटर में मौजूद महत्वपूर्ण जानकारी को चुरा लेते हैं।

साइबर क्राइम के इस अपराध में अधिकतर प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट युजर्स के कंप्यूटर में Virus, Trojan, Malware इत्यादि सेंड करते हैं। ताकि कंप्यूटर को खराब किया जा सके और कंप्यूटर को अधिक नुकसान पहुंचाने में वह कामयाब हो सके। वायरस किसी भी Removal डिवाइस या फिर इटंरनटे के जरिए फैल सकता है।

(Spamming)

स्पैमिंग के लिए सबसे अधिक ईमेल्स का उपयोग किया जाता है क्योंकि दिन भर में आपके भी ईमेल अकाउंट पर Spam मैसेजेस आते होंगे। जिनके झांसे में यदि आप एक बार फस जाते हैं तो आप साइबर क्राइम का शिकार भी हो सकते हैं।

क्योंकि हैकर्स द्वारा अधिकतर Emails में किसी थम वेबसाइट का लिकं या फिर कोई Malcious प्रोग्राम भेजा जाता है इसके अलावा सस्ते Offer, प्रोमोकोड या फिर काई अन्य Attractive Deal के नाम पर ठगी करने के लिए अपरिचित संस्थाओं, कंपनी या ग्रुप के द्वारा फालतू के Email यूजर्स को भेजे जाते हैं।

इसलिए आज Spamming साइबर अपराध के लिए काफी लोकप्रिय हो चुकी है।

(Phishing)

फिशिंग के माध्यम से साइबर क्राइम करने के लिए जरूरी नहीं व्यक्ति एक हैकर ही हो। क्योंकि phishing की थोड़ी बहुत जानकारी होने के बावजदू एक User किसी दूसरे User को धोखा दे सकता है।

फिशिंग कुछ इस तरह से काम करता है जिसमें यूजर को लगता है कि उसके लिए यह कार्य करना Legal है परंतु असल में वह होता नहीं है। वर्तमान समय में Phishing के लिए ईमेल से भेजे जाते हैं या सोशल मीडिया Accounts का इस्तेमाल किया जाता है तथा लोगों को धोखा देकर उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, लोगों के पासवर्ड चुराने इत्यादि कार्य संपन्न किए जाते हैं।

(Social Engineering)

सोशल इंजीनियरिगं साइबर क्राइम का एक ऐसा प्रकार है जिसमें अपराधी डायरेक्ट यूजर से संपर्क करते हैं तथा उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं।

सोशल इंजीनियरिगं के अंतर्गत अपराधी किसी यूज़र से फोन Calls, ई-मेल या फिर आमने सामने बात करके भी संपर्क करते हैं तथा बात करने के दौरान अपराधी इस तरीके से बात करते हैं जैसे वह कोई Trusted कंपनी या कोई पर्सन हो। अर्थात् वह जब

तक यूजर के important या पर्सनल डाटा को प्राप्त न कर लें तब वह यूजर के साथ अच्छी तरीके से पेश आते हैं, इसलिए सावधान रहें सोशल इंजीनियरिंग से बचे।

(Malvertising)

अब इस साइबर क्राइम के शिकार लगभग सभी इंटरनटे यूजर्स हो सकते हैं। यदि हम सावधान रहें तब क्योंकि Malvertising एक मेथड है जिसका उपयागे किसी वेबसाइट में किया जाता है, जिसमें कई सारे Advertisement हो तथा उनमें मालवेयर code शामिल होता है।

जब यूजर किसी ऐसी साइट पर विजिट करता है तो यूजर को लगता है वह **site illegal** है, तथा वह किसी एडवर्टाइजमेंट पर जब क्लिक करता है तो फिर वह किसी **Fake** वेबसाइट पर जा सकता है या फिर कोई फाइल जिसमें वायरस सम्मिलित हो वह आपके कंप्यूटर पर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो सकता है। इसलिए इन हानिकारक वेबसाइट से दूर रहना ही किसी यूजर के लिए फायदेमंद है।

(Sofware Piracy)

इंटरनेट Torrent फाइल्स और अन्य प्रोग्राम से भरा पड़ा है, ओरिजिनल कॉन्टेंट जैसे Songs, books, movie ,Yce या फिर कोई सॉफ्टवेयर का इंटरनटे पर जब illegal तरीके से Duplicate version Available हो तो उसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है और कई सारे आज सॉफ्टवेयर पायरेसी करते हैं, उदाहरण के तौर पर कई ऐसी मूवी sites है, जहां पर पायरेटेड मूवी अपलोड की जाती है जहां से बड़ी संख्या में लोग इस मूवी को डाउनलोड करते हैं, परंतु यह एक क्राइम है जो यूजर्स द्वारा copyright infringement के तहत किया जाता है। क्योंकि इससे ओरिजिनल कंटेंट बनाने वाली कंपनियां, डेवलपर को Content का बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि यहां उनके Content को गैरकानूनी रूप से Reproduce किया जाता है।

हैकर्स phishing का इस्तेमाल कर किसी यूजर को आकर्षक संदेश लिकं के माध्यम ई भेजते हैं जिससे यदि यूज़र उस लिकं पर क्लिक करने के बाद उस पेज पर मॉंगी गयी जानकारी fill करता है। तो हैकर अपने इरादों में कामयाब हो जाते हैं तथा यह सारी डिटेल्स अपने पास जमा कर लेते हैं और इस तरह आपकी निजी जानकारी हैकर्स चुरा सकते hackers फोन कॉल की मदद से आपकी निजी जानकारी को चुरा सकते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि साइबर अपराधी फर्जी कॉल के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट तथा बैंक से संबंधित अन्य जानकारी पूछते हैं तथा आपके द्वारा माँगी गयी जानकारी देने पर आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे चुरा लिए जाते हैं। और आप ठगी का शिकार हो जाते हैं।

साइबर अपराधी को दण्डित कराने के लिए एक विवेचक को Electronic Evidence को सावधानीपूर्वक जप्त कर न्यायालय मे साबित कराना होता है।

सीसीटीएनएस से आशय -

सीसीटीएनएस का पूरा नाम क्राइम और क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क और सिस्टम है। भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है। सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली के आधुनिकीकरण की अवधारणा

है जिसमें देशभर के पुलिस संगठन और इकाइयों को वास्तविक समय में अपराध और अपराधियों की जानकारी साझा कर जांच/ पड़ताल करने और अपराध रोकने में सहायक होगा।

सीसीटीएनएस का लक्ष्य एक विस्तृत और एकीकृत सूचना और तकनीक (इंफोर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी – आईसीटी) प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिससे पुलिसिंग विशेषकर थानों और सभी स्तर पर कार्यकारी क्षमता और प्रभाव को बढ़ाया जा सके जिससे ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों को स्वीकार किया जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर आधारभूत नेटवर्क तैयार करना, जिससे सूचना तकनीक के आधार पर अपराध और अपराधियों को पकड़ने का सिस्टम तैयार किया जा सके।

सीसीटीएनएस का आरंभ

प्रभावी तरीके से अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखना, विभिन्न पुलिस इकाइयों और संगठनों में अपराध और अपराधियों की जानकारी वास्तविक समय में साझा करने की चुनौती अनिवार्य है। देशभर के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी पुलिस संगठनों और इकाइयों से इस तरह जानकारी साझा और प्रसार करने के लिए, सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत सूचना और तकनीक युक्त आधारभूत संरचना की राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह के नेटवर्क का प्लेटफॉर्म तैयार करने जरूरत है।

सूचना तकनीक की मदद से पुलिस की कार्यप्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए पूर्व में कई पुलिस संगठनों ने प्रयास किया। इनमें से कुछ एप्लीकेशन हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा क्राइम क्रिमिनल इंफोर्मेशन सिस्टम (सीसीआईएस) सॉफ्टवेयर, आंध्र प्रदेश द्वारा ई- कोप्स सॉफ्टवेयर, तमिलनाडु द्वारा कारस (सीएएआरयूएस) सॉफ्टवेयर, पश्चिम बंगाल द्वारा थाना क्राइम ट्रेकर सिस्टम आदि। पश्चिम बंगाल का सीसीआईएस राष्ट्रीय स्तर पर अपराध और अपराधियों का डाटाबेस तैयार कर सभी राज्यों से साझा करने का बड़ा प्रयास था। सीसीआईएस सात एकीकृत जांच को इकट्ठा करने के इनपुट फॉर्म पर आधारित था जैसे एफआईआर, अपराध का विवरण, गिरफ्तारी/समर्पण, संपत्ति की खोज और जब्ती, अंतिम रिपोर्ट/चार्जशीट, कोर्ट में निराकरण और अपील का परिणाम। हालांकि डाटा एंट्री जिलों में होती थी, फॉर्म मैनुअली पुलिस थानों में भरा जाता था।

सीसीटीएनएस की कार्यप्रणाली

क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) का लक्ष्य विस्तृत और एकीकृत सिस्टम तैयार करना है जिसमें ई-गवर्नेंस सिद्धातों को अपनाते हुए पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिसिंग को और कुशल और प्रभावी बनाना है। राष्ट्रीय स्तर पर सूचना तकनीक आधारित आधारभूत संरचना तैयार करना है जिससे वास्तविक समय में ''अपराध की जांच और अपराधियों की पहचान'' की जा सके, जो आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीसीटीएनएस लागू करने के कुछ दिशानिर्देश इस प्रकार हैः

- पूरे कार्यक्रम को लागू करने का स्वामित्व राज्य सरकार को है, आधारभूत संरचना, एप्लीकेशन और डाटाबेस, उसी के साथ सूचना प्रणाली में एकरूपता लाने का प्रबंध करना ताकि राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर मांगी गई और उपलब्ध जानकारी

साझा की जा सके।

- इस वृहत प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए जरूरी है कि अनुभवी एजेंसियों से समन्वय कर मदद ली जाए ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदाय करने के लिए जिम्मेदारी दी जा सके।
- हार्डवेयर और नेटवर्क के घटकों को सिंक्रोनाइज करने के साथ अन्य बराबर के महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर घटकों जैसे ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण और बदलाव प्रबंधन को भी अनिवार्य रूप से तैयार करने की जरूरत है।
- पुलिस संबंधी सूचना तकनीक सिस्टम के क्रांतिकारी पथ को अनिवार्य रूप से नियमित बनाए रखने की जरूरत है
- सीसीटीएनएस को लागू करने के लिए एनईजीपी के दिशानिर्देश केंद्रीय स्तर पर योजना और विकेंद्रीय स्तर पर लागू का पालन करना है।

लक्ष्य और उद्देश्य (तत्काल, मध्यावधि और दीर्घावधि)

- सीसीटीएनएस स्कीम को मिशन मोड में लागू करने का प्रस्ताव है और इसके निम्न उद्देश्य हैं-

तत्काल

- जांच अधिकारी को एक साधन, तकनीक और जानकारी देना जिससे वह जल्दी और त्वरित अपराध की जांच कर अपराधियों की पहचान कर सके।
- मैनुअल और निरर्थक रिकॉर्ड रखने में कमी लाना।
- जानकारी साझा करने के लिए पुलिस स्टेशन और उच्च अधिकारियों के बीच नेटवर्क तैयार करना।
- नागरिकों द्वारा आसानी से शिकायत दर्ज कर पाना।
- प्रशिक्षण के बुनियादे ढांचे को मजबूत करना।

मध्यावधि

- डाटा और जानकारी संग्रह, भंडारण, उसे पुनः प्राप्त करना, विश्लेषण, स्थानांतरण और साझा करने की सुविधा पुलिस स्टेशन, जिला, राज्य मुख्यालय और अन्य संगठन/ एजेंसियों के बीच, भारत सरकार के स्तर तक इसमें शामिल है।
- पुलिस कार्यालयों में प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण करना
- आसानी से निर्णय लेने के लिए एमआईएस तैयार करना
- जांच करने वाली एजेंसियों के बीच बाधारहित जानकारी साझा करना
- अपराध और अपराधियों की जांच की प्रगति और अभियोजन केस जिसमें कोर्ट के केस की प्रगति को ट्रैक किया जा सके।

दीर्घावधि -

- पुलिस की कार्यप्रणाली को नागरिकों के मित्रवत, पारदर्शी, विश्वसनीय, प्रभावी और कुशल बनाने के साथ पुलिस स्टेशन और अन्य अधिकारियों के स्तर तक प्रक्रिया और प्रणाली को स्वचालित करना
- नागरिक केंद्रीत सेवाओं को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तकनीक (आईसीटी) का प्रभावी तरीके से उपयोग कर और बेहतर बनाना
- पुलिस की कार्यप्रणाली को विभिन्न क्षेत्रों जैसे

कानून और व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, संगठित अपराध को रोकना, संसाधन प्रबंधन आदि को बेहतर बनाना

- वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पुलिस बल का बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम बनाना और सहयोग करना
- पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना

लागू करने की रणनीति

सीसीटीएनएस को लागू करने के लिए निम्न रणनीति का पालन करना है:-

1. सीसीटीएनएस को लागू करने के अधिकतर भाग में प्रस्ताव राज्यों पर छोड़ दिया गया है और केंद्र की भूमिका वृहत रूप से सीएएस के विकास और प्रबंधन तक सीमित किया गया है। समीक्षा व निगरानी से संबंधित पहलुओं का भी केंद्र से संबंध है।

2. साइट तैयार करने और हार्डवेयर को इंस्टॉल, नेटवर्किंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर राज्य स्तर पर विशेष रूप से निर्माण करना, ट्रेनिंग, हैंडहोल्डिंग, ऐतिहासिक डाटा का डिजिटाइजेशन, उपयोग योग्य सामान आदि का प्रस्ताव बनाना और इसके साथ ही सूची को पूरा करना। राज्य को इसकी छूट है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार सिस्टम को शुरू करने के लिए जरूरी घटकों का चयन कर सके।

3. राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट को लागू करने के नजरिये से जैसे प्रयास ऊपर (2 में) बताया गया है, राज्य को सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में प्राइवेट एजेंसी को शामिल करने की रियायत है हालांकि इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और मार्गदर्शन का पारदर्शी रूप से पालन करना होगा।

4. प्रोजेक्ट के परिणाम को प्रदेय (डिलेवेरेब्लस) के साथ जोड़ा जाएगा और एक अनिश्चित भुगतान को प्रदर्शन को लागू करने के आधार पर इन प्रदेय से जोड़ा जाएगा।

5. मौजूदा राज्य के सफल एप्लीकेशन और सीआईपीए के अनुभव का लाभ लेते हुए सीएएस को विकसित करना है, सीएएस में इसकी विशेषताओं और बनावट को शामिल करना है। जरूरी मानक और स्वरूप को आश्वस्त करने के लिए राज्यों और भारत सरकार के बीच पारस्परिकता और एकरूपता का पालन करना है।

6. मौजूदा राज्य के सफल एप्लीकेशन और सीआईपीए के अनुभव का लाभ लेते हुए सीएएस को विकसित करना है, सीएएस में इसकी विशेषताओं और बनावट को शामिल करना है। जरूरी मानक और स्वरूप को आश्वस्त करने के लिए राज्यों और भारत सरकार के बीच पारस्परिकता और एकरूपता का पालन करना है।

7. बाहरी कुशल एजेंसी द्वारा गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रमाणीकरण करने के बाद ही केवल राज्य को सीएएस जारी किया जाएगा।

8. प्रोजेक्ट को लागू करने की निगरानी सेंट्रल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (सीपीएमयू) करेगी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एनसीआरबी के अधीन है।

9. नए सीसीटीएनएस एप्लीकेशन को विकसित करने तक वर्तमान सीआईपीए एप्लीकेशन को एनआईसी जारी रखते हुए उसका रखरखाव करेगा और राज्यों में लागू करेगा। इसके बाद जो पुलिस स्टेशन सीआईपीए के तहत आ चुके हैं, वहां सीसीटीएनएस को एकीकृत किया जाएगा।

10. प्रोजेक्ट की निगरानी और समीक्षा समिति, केंद्रीय गृह मंत्रालय स्तर पर गठित किया गया है जिसमें गृह सचिव अध्यक्ष हैं, प्रगति की निगरानी और कार्यान्वयन सिद्धांतों की समीक्षा और अगर पूरे प्रोजेक्ट के हित में जरूरी हुआ तो होने वाले बदलावों पर नजर रखेगी। अधिकार प्राप्त समिति जिसमें अतिरिक्त सचिव (सीएस) अध्यक्ष के रूप में होंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय स्तर पर गठन किया गया है जो जांच, स्वीकृति और प्रोजेक्ट की समीक्षा करेगी जिसमें राज्यों के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसी तरह संस्थागत व्यवस्था राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट को उपयुक्त तरीके से लागू किया जा सके।

उपसंहार

साइबर क्राइम नियंत्रण में क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम की भूमिका-मानव समाज के विकास के नजरिये से सूचना और संचार तकनीकों की खोज को बीसवी शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण अविष्कार माना जा सकता है। सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर न्यायिक प्रक्रिया में इसके उपयोग की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता। क्योंकि इसकी तेज गति अनेक समस्याओं से छुटकारा, मानवीय गलतियों की कमी, कम खर्चीला होने जैसे गुणों के चलते यह न्यायिक प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है, इतना ही नहीं ऐसे मामलों के निष्पादन में जहाँ सभी संबद्ध पत्रकारों को शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य न हो, यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प साबित हो सकता है।

सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। इसने हमारे बातचीत करने, मित्र बनाने, अद्यतन जानकारी को साझा करने, गेम्स खेलने, वित्तीय लेनदेन इत्यादि के तरीके को बदल दिया है।

प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश पहलूओं पर प्रभाव पड़ा है। संचार प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता ने साइबर अपराध को जन्म दिया है। यह अपराध कम्प्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कम्पनियों या संस्थानों के प्रति किये जाते है।

साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया। जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिये बनाये गये कानून है। सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी कर अतिसंवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना और संरचना संरक्षण केन्द्र का गठन किया है। देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीक से निपटने के लिये साइबर स्वच्छता केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना के अंतर्गत क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टमत

(सीसीटीएनएस) प्रोजेक्ट को मिशन मोड प्रोजेक्ट के तर्ज पर स्थापित किया गया है सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट पुलिस सम्पूर्ण कार्यप्रणाली की आधुनिकीकरण की अवधारणा है, जिसमें देशभर के पुलिस संगठन और इकाईयों को अपराध और अपराधियों की जानकारी साझा कर अनुसंधान करने में सहायक होगी । सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट ने नागरिकों के लिये अनेक सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ साथ पुलिस कार्यालयों के क्षमता निर्माण का कार्य भी किया है। यह प्रोजेक्ट में साइबर अपराध और अपराधियों के जांच प्रगति और अभियोजन केस की प्रगति जानने में बुनियादी बदलाव लाया है। इससे जांच अधिकारी को एक साधन, तकनीक और जानकारी से साइबर अपराधों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा।

सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट ने साइबर अपराध के निवारण के लिये अपराध और अपराधियों की जानकारी को राज्य पुलिस स्टेशनों में उपलब्ध करवाता है। इसके डाटा का प्रेषण सम्पूर्ण राष्ट्र में किया जा सकता है जिससे साइबर अपराध एवं साइबर अपराधियों का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान है।

****

रजिस्ट्रेशन सं. 40445/82

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर
नई दिल्ली - 110 037 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia
Bureau of Police Research & Development India www.bprd.nic.in